लोक-सभा

वाद-विवाद

(द्वितीय माला)

खण्ड २८, १९५९/१८८०-८१ (शक)

[२० मार्च से ४ अप्रैल, १९५९/२९ फाल्गुन १८८० से १४ चैत्र, १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

सातवां सत्र १९५९/१८८०-८१ (शक)

(खण्ड २८ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड २८, अंक ३१ से ४०——२० मार्च से ४ अप्रैल, १९५९/२९ फाल्गुन १८८० से [१४ चैत्र १८८१ (शक)]

	पृष्ठ
अंक ३१——शुक्रवार, २० मार्च, १९५९/२९ फाल्गुन, १८८० (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या १४०५ से १४११, १४१४ से १४१६, १४१८, १४२०, १४२१, १४२५, १४२७ से १४२९ और १४३१ .	३६६९—९३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १०	३६९३—९५
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या १४१२, १४१३, १४१७, १४१९, १४२२ से १४२४, १४२६, १४३० और १४३२ से १४४४ .	३६९५—३७०४
अतारांकित प्रश्न संख्या २१८० से २२५५ . . .	३७०४—३७
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	३७३८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३७३८
विधेयक पर राय	३७३९
तारांकित प्रश्न संख्या ११४७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि .	३७३९
सभा का कार्य	३७३९
अनुदानों की मांगें	३७३९——६५
गृह—कार्य मंत्रालय	३७३९—६५
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति——	
अड़तीसवां प्रतिवेदन	३७६५
विधेयक पुरःस्थापित :	३७६६–६७
(१) श्री हेम राज का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५९ (धारा ७३ का संशोधन)	३७६६
(२) श्री राम शंकर लाल का वस्तु मूल्य उल्लेखन विधेयक, १९५९ .	३७६६
(३) श्री राम कृष्ण गुप्त का पूर्त तथा धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, १९५९ (धारा ३ और ४ का संशोधन और नई धारा ७ क और ७ ख का रखा जाना) . . .	३७६६
(४) श्री झूलन सिंह का खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारण विधेयक, १९५९	३७६६–६७

पृष्ठ

सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक—

राय जानने की अवधि का बढ़ाया जाना . . ३७६७

भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक (वाद-विवाद स्थगित) . . ३७६७—६९

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—अस्वीकृत . ३७६९—८७

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३७८७—८८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ३७८९—९५

अंक २३—सोमवार, २३ मार्च, १९५९/२ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४४५ से १४५०, १४५२ से १४५५, १४५७ से १४५९, १४६१ और १४६४ से १४६६ . . ३७९७—३८२१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ . ३८२१—२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५१, १४५६, १४६०, १४६२, १४६३ और १४७० से १४८३ . . . . ३८२२—३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२५६ से २३२० . . . ३८३०—५५

स्थगन प्रस्ताव—

तिब्बत की स्थिति . . . . . ३८५६—५८

सभा पटल पर रखे गये पत्र— . . . . ३८५९—६०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . ३८६०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारत और पकिस्तान के बीच सीमावर्ती व्यापार का पुनः आरम्भ किया जाना . . . ३८६०—६१

अनुदानों की मांगें . . . . ३८६१—३९०६

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय . . . . ३८६१—३९०६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३९०७—१२

पृष्ठ

अंक ३३—गुरुवार, २६ मार्च, १६५६/५ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८५ से १४६१, १४६४, १४६६ से १५००, १५०२, १५०३, १५०५ और १५०६ . . . ३६१३—३७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ और १३ . . . ३६३७—४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८४, १४६२, १४६३, १४६५, १५०१, १५०४ और १५०७ से १५१२ . . ३६४१—४५

अतारांकित प्रश्न संख्या २३२१ से २३८५ और २३८७ . . ३६४५—७५

विशेषाधिकार प्रश्न के संबंध में ३६७५–७६

सदस्य की रिहाई ३६७७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६७७

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन ३६७७

प्राक्कलन समिति

चवालीसवां प्रतिवेदन ३६७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कलकत्ता–बम्बई मेल की दुर्घटना . . . ३६७८

कोयला श्रेणीकरण बोर्ड (निरसन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ३६७६

अनुदानों की मांगें . . . . ३६७६—४०१३, ४०१४—२६

स्वास्थ्य मंत्रालय . . . ३६७६—४०१३, ४०१४—२६

घरेलू कर्मचारियों के बारे में वक्तव्य ४०१३–१४

दैनिक संक्षेपिका ३४३०–३५

अंक ३४—शनिवार, २८ मार्च, १६५६/७ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१३, १५१७, १५१६ से १५२१, १५२५, १५२६, १५२८ से १५३०, १५३२ से १५३६, १०३१ और १५३१ ४०३७—६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . . . ४०६१—६३

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५१४ से १५१६, १५१८, १५२२ से १५२४ और १५२७ . . . . ४०६३—६७

अतारांकित प्रश्न संख्या २३८८ से २४६४ . . . ४०६७—६६

श्री कला वेंकट राव का निधन ४०६६-६७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ४०६७-६८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४०६८

प्राक्कलन समिति--

चालीसवां और इकतालीसवां प्रतिवेदन . ४०६६

सभा का कार्य ४०६६

अनुदानों की मांगें . . . . . ४०६६—४१३२

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय . . . ४०६६—४१३२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति--

उन्तालीसवां प्रतिवेदन ४१३३

सहकारी कृषि के बारे में संकल्प . . . . . ४१३३—५३

विदेशी मुद्रा संबंधी कदाचार को जांच करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ४१५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४१५४—५८

अंक ३५--सोमवार, ३० मार्च, १९५९/९ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५३८ से १५४६, १५४८, १५४९, १५५२, १५५६, १५५७ और १५५९ . . . . ४१५९—८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . ४१८४—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५३७, १५४७, १५५०, १५५१, १५५३ से १५५५, १५५६ और १५६० से १५६४ . . . . ४१८८—९४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६५ से २५२३ . . ४१९४—४२१७

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	४२१७—२३
स्थगन प्रस्ताव	४२२३—२५
(१) इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमान की दुर्घटना ; और	४२२३—२५
(२) दिल्ली में आंधी व तूफान आने से बेघरबार हुए परिवारों को सहायता	४२२५
प्राक्कलन समिति—	
उन्तालीसवां प्रतिवेदन . .	४२२५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पुर्तगालियों द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्र पर गोली वर्षा	४२२६–२७
बंगाल वित्त (बिक्री-कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	४२२७
अनुदानों की मांगें	४२२७—६२
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	४२२७—३५
इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय	४२३६—६२
दैनिक संक्षेपिका	४२६३—६७
अंक ३६—मंगलवार, ३१ मार्च, १९५९/१० चैत्र, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५६५ से १५७०, १५७२ से १५७४, १५७६ और १५७८ से १५८५ . .	४२६९—९३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६	४२९३—९५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५७१, १५७५, १५७७ और १५८६ से १५९१	४२९५—९८
अतारांकित प्रश्न संख्या २५२४ से २५६५	४२९८—४३१६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४३१६
प्राक्कलन समिति—	
पैंतालीसवां प्रतिवेदन	४३१७
अनुदानों की मांगें	४३१७—५७
इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय .	४३१७—५२
निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय	४३५३—५७
महेन्द्र घाट और पहलेजा घाट के बीच घाट से घाट तक बुकिंग के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . .	४३५७—६३
दैनिक संक्षेपिका	४३७४—६७

पृष्ठ

अंक ३७—बुधवार, १ अप्रैल, १९५९/११ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९२ से १५९४, १५९६ से १५९९, १६०१, १६०२, १६०४, १६०६, १६०७ और १६०९ से १६१३ ४३६९—८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९५, १६००, १६०३, १६०५ और १६०८ . ४३८९—९१

अतारांकित प्रश्न संख्या २५६६ से २५६९, २५७१ से २६३० और २६३२ से २६३६ . . . ४३९१—४४१९

स्थगन प्रस्ताव—

चीनी दूतावास द्वारा 'पीपुल्स डेली' में एक लेख का प्रकाशित करवाया जाना ४४१९—२६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४४२७-२८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन . ४४२८

प्राक्कलन समिति

तैंतालीसवां प्रतिवेदन . . . ४४२८

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—

तेरहवां प्रतिवेदन ४४२८

तारांकित प्रश्न संख्या ११६१ के उतर की शुद्धि . . . ४४२८

सदस्य को सदन से बाहर चले जाने के लिये दिये गये आदेश का रद्द किया जाना ४४२९

अनुदानों की मांगें . . . . . . ४४२९—८६

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . ४४२९—७८

वैज्ञानिक, गवेषणा तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . ४४७९—८६

दैनिक संक्षेपिका . . . ४४८७—९२

अंक ३८—गुरुवार, २ अप्रैल, १९५९/१२ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६१४, १६१५, १६१७ से १६२७, १६२९ और १६३१ से १६३७ . . . ४४९३—४५१८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . ४५१८—२०

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६१६, १६२८, १६३० और १६३८ से १६४० ४५२०—२२

अतारांकित प्रश्न संख्या २६३७ से २६७७ ४५२२—३८

स्थगन प्रस्ताव—

चीनी दूतावास द्वारा 'पीपुल्स डेली' में लेख का प्रकाशित करवाया जाना ४५३८—४६

पाकिस्तान से बेरुबाड़ी यूनियन और कूच-बिहार बस्तियों की अदला-बदली के बारे में वक्तव्य ४५४६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४५४६–५०

खाद्यान्नों में राज्य व्यापार की योजना के बारे में वक्तव्य ४५५०—५२

अनुदानों की मांगें . . . . ४५५३—८५

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय ४५५३—७५

परिवहन तथा संचार मंत्रालय ४५७५—८५

चिनाकुरी कोयला-खान दुर्घटना के बारे में प्रस्ताव ४५८६—४६०१

दैनिक संक्षेपिका ४६०२—०६

अंक ३६—शुक्रवार, ३ अप्रैल, १६५६/१३ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४१ से १६४५, १६४८ से १६५०, १६५२, १६५४, १६५५, १६५७, १६५८ और १६६१ से १६६४ ४६०७—३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ ४६३२—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४६, १६४७, १६५१, १६५३, १६५६, १६५६ और १६६० ४६३४—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६७८ से २७०७ ४६३७—४६

नियम ३७७ के अधीन सूचनायें ४६४६

नियम २२२ के अधीन सूचना ४६५०

दलाई लामा के बारे में वक्तव्य . ४६५०—५२

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४६५२

अनुदानों की मांगें . . ४६५२—४७००

परिवहन तथा संचार मंत्रालय ४६५२—४७००

पृष्ठ

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चालीसवां प्रतिवेदन . . ४७००

पत्तन हज समितियां (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित— ४७०१

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—वापस लिया गया ४७०१—०८

बाल सन्यास दीक्षा रोक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत ४७०८—२०

मध्यस्थता (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ४७२१

दैनिक संक्षेपिका ४७२२—२५

अंक ४०—शनिवार, ४ अप्रैल, १९५९/१४ चैत्र, १८८१ (शक)

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४७२७

लकड़ी के कोल्हू से निकाले गये तेल पर उत्पादन शुल्क के बारे में याचिका ४७२७

अनुपस्थिति की अनुमति ४७२७—२८

सभा का कार्य . ४७२८

अनुदानों की मांगें ४७२८—८९
परिवहन तथा संचार मंत्रालय ४७२८—८३
श्रम और रोजगार मंत्रालय ४७८४—८९

दैनिक संक्षेपिका ४७९०—९१

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शुक्रवार, २० मार्च, १९५९

२९ फाल्गुन, १८८० (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण

*१४०५. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने का कृपा करेंगे जिसमें परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के निमित्त की गई कार्यवाहियों के परिणाम दिखाये गये हों ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १**]

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या सरकार जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिये गर्भ निरोधक उपकरणों तथा तरकीबों का मुफ्त वितरण करने का विचार कर रही है ?

†**श्री करमरकर** : हम ग्रामीण दवाखानों में अल्प आय वर्गों के व्यक्तियों को बिना मूल्य गर्भ निरोधक उपकरण दे रहे हैं ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : ऐसे दवाखानों की संख्या बहुत कम है । क्या सारे देश में गर्भ निरोधक उपकरणों का वितरण किया जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री द्व० रा० चावन** : दवाखानों की संख्या कितनी है ?

†**श्री करमरकर** : दिसम्बर, १९५८ तक ५३० ग्रामीण और ३३३ नगरीय दवाखाने खोले गये ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सूपकार : क्या सरकार ने इस बात पर भी विचार किया है कि प्रो० निकोलस काल्डर के सुझाव के अनुसार जन्म-कर कर लगा कर परिवार नियोजन तथा जन संख्या नियंत्रण योजना आन्दोलन को काफी बल प्रदान किया जा सकता है ?

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

तार जांच समिति

+

*१४०६. श्री स० च० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तार जांच आयोग की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कौनसी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं ; और

(ग) क्या तार सर्किल और डाक सर्किल एक से रहेंगे ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) । ये सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री स० च० सामन्त : क्या समिति ने तार खंडों के प्रश्न पर विचार किया ?

†श्री राज बहादुर : मेरे विचार से तार सर्किल के पुनर्गठन का कार्य समिति के कार्यों की सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है ।

†श्री स० च० सामन्त : माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है । इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और इससे कौन अधिकारी सम्बन्धित है ?

†श्री राज बहादुर : इस प्रश्न पर डाक तथा तार के महानिदेशक के स्तर पर गौर होगा । तार जांच समिति ने संभवतः सुधार करने के निमित्त तार विभाग के कार्य के पुनर्गठन के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की होंगी ।

†श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि अगर पूरी रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी जा सकती है तो कम से कम क्या माननीय मंत्री जी उसकी मोटी-मोटी सिफारिशें बतलाने की कृपा करेंगे ताकि यह पता चल सके कि उसने क्या सिफारिशें की हैं ?

†श्री राज बहादुर : उस पर विचार होने के बाद ही विभाग द्वारा यह कर सकना संभव हो सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा** : पिछले सत्र में भी मंत्री जी ने यह कहा था कि प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है और यह कहना बहुत कठिन है कि प्रतिवेदन में क्या सिफारिशें की गई हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि वह विचाराधीन हैं। सारे प्रतिवेदन पर विचार करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : समिति का निर्देशपद बहुत व्यापक है और तदनुरूप सिफारिशें भी बहुत हैं। मुझे विश्वास है कि यथाशक्ति इस सम्बन्ध में विलम्ब नहीं होने दिया जायेगा।

†**श्री रामकृष्णगुप्त** : क्या इस समिति ने कुछ नये खंड बनाने की भी सिफारिश की है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं इस बात का उत्तर अभी हाल दे चुका हूं।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या यह सच है कि २४ फरवरी, १९५९ को राष्ट्रीय डाक तार संघ के प्रतिनिधि माननीय मंत्री जी से मिले और उन्होंने उन्हें वचन दिया कि उन्हें सिफारिशें संक्षेप रूप में दे दी जायेंगी। जब कि उक्त संस्था का एक सदस्य समिति में था तो उन्हें सिफारिशों का संक्षेप देने का वचन क्यों दिया गया ?

†**श्री राज बहारदुर** : उन लोगों को सिफारिशों का संक्षेप देने का वचन दिया गया है और वह संक्षेप उन्हें दे दिया जायेगा।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

+

†१४०७. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० च० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन ने बिना किसी ठेके या अग्रिम रक्षित धन के दिल्ली में गैर सरकारी जमीन जोतने में जो व्यय किया था उसकी बहुत बड़ी राशि को सरकार द्वारा बट्टेखाते में डाल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि बट्टेखाते में डाली गई ;

(ग) बिना ठेके या अग्रिम रक्षित धन के जोतने का कार्य किस प्रकार किया गया ; और

(घ) किसके कहने पर यह कार्य किया गया ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). कुल १,५५,१८४ रुपयों की वसूली करनी थी जिसमें से ३९,४०० रुपयों को बट्टेखाते में डाल दिया गया।

(ग) और (घ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २**]

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से ज्ञात होता है कि ५९ मामलों में अग्रिम धन किय गया। यह कहा गया है कि उन मामलों में वसूली की अस्थायी दरों से जोतने की वास्तविक लागत काफी अधिक आई ? यह कितनी अधिक थी ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** हमें १,५१,००० रुपये वसूल करने थे। जिसमें से ३९,००० रुपये बट्टेखाते में डाल दिये गये बाकी सब वसूल कर लिये गये।

†**श्री स० च० सामन्त :** कितने मामलों में सरकार की स्वीकृति ली गई, क्या जितने मामलों में सरकार की स्वीकृति ली गई उन सबकी राशि बट्टेखाते डालनी पड़ी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** ये सभी बातें सरकार की मंजूरी से की गई। दूसरे पक्ष से अग्रिम धन इस कारण नहीं लिया गया कि उन दिनों विभाजन के पश्चात् की असाधारण स्थिति में यह कार्य करना पड़ा। शरणार्थी अपनी जमीनों को पड़ती छोड़ गये थे और उन पर नये शरणार्थी आ गये थे। उनको यह भूमि नहीं दी गई थी। खाद्य की विषम स्थिति में सरकार ने यह तय किया चाहे भूमि किसी की भी हो उसे जोत कर उसमें बीज बो देने चाहिये। इसलिये उनमें फसल उगाई गई। बाद में उन व्यक्तियों से रुपया वसूल करना बहुत कठिन हो गया।

†**श्री रा० च० माझी :** क्या पड़ती जमीन किन्हीं अन्य व्यक्तियों को दे दी गई ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : वह सब पंजाब के शरणार्थियों को दी जा रही थी। लेकिन जिन शरणार्थियों की जमीनें जोती गई उन्होंने पेशगी नहीं दी थी। उनके विचार से यह राशि बहुत अधिक थी।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या केवल जबानी समझौते के आधार पर उनकी जमीन जोती गई थी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** जी हां, ऐसा असाधारण स्थिति में किया गया था। जमीन पड़ती पड़ी थी और वह बोने का मौसम था। इसलिये सरकार ने खाद्य की गम्भीर स्थिति को ध्यान में रख कर यह सोचा कि जमीन को पड़ती छोड़ने के स्थान में उसे जोत कर उसमें बीज बो लेना ठीक होगा।

सौराष्ट्र में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड

*१४०९. **श्री केशव :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सौराष्ट्र में पूर्व-विस्तार (राष्ट्रीय विस्तार सेवा) खंडों पर काम किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ; और

(ग) क्या सरकार ऐसे खंड या ऐसी प्रणाली को समस्त भारत में लागू करने पर विचार कर रही है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) :** (क) जी हां।

(ख) सन्तोषजनक।

(ग) सामुदायिक विकास के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सभी नये विकास खंडों में एक वर्ष के लिये कृषि क्षेत्र में पूर्व विस्तार कार्यक्रम अपनाया जायेगा।

†**श्री केशव :** इस विशेष विस्तार कार्यक्रम के विशेष पहलू क्या-क्या हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० स० मूर्ति** : इसका विशेष पहलू यह है कि कृषि के विकास पर अधिक बल दिया जाता है ।

†**श्री रघुबीर सहाय** : मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार समस्त सामुदायिक विकास कार्यक्रम को छः छः वर्ष के दो प्रक्रमों में बांटा गया है । जिसकी अवधि राष्ट्रीय विकास परिषद ने ५ वर्ष की कर दी है । क्या पूर्व विस्तार की अवधि को इनमें से किसी प्रक्रम के साथ जोड़ा जायेगा ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : जी नहीं ।

†**श्री रघुबीर सहाय** : पूर्व विस्तार अवधि कितने समय की होगी, और इस काम के लिये किस प्रकार के कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये एक वर्ष वाले पूर्व विस्तार खंड हैं । इनमें एक खंड विकास अधिकारी, एक कृषि विस्तार अधिकारी और ५ ग्राम सेवक नियुक्त किये जाते हैं ।

†**डा० मेल्कोटे** : प्रत्येक पूर्व विस्तार खंड में सरकार कितना रुपया व्यय कर रही है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : १८,८०० रुपया ।

†**श्री सूपकार** : क्या सरकार ने इस नये प्रकार की पूर्व विस्तार सेवाओं का उस क्षेत्र की कृषि में पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : किये गये कार्य के मूल्यांकन करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि पूर्व विस्तार खंड ही प्रथम स्थिति के खंड में बदल जाता है ।

नार्वे से सहायता

†**१४०६. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्वे ने भारत को सहायता और ऋण के रूप में देने के लिये कुल कितनी राशि अधिकृत रूप से घोषित की है ;

(ख) ऋण और अनुदानों के रूप में कितनी राशि प्राप्त हो चुकी है ; और

(ग) द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवशेष अवधि में ऋण और सहायता के रूप में कितनी राशि और प्राप्त होगी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). आज तक नार्वे की शाही सरकार ने और भारत के बीच हुये समझौते के अनुसार नार्वे की सरकार ने केरल के मछुवा समुदाय विकास परियोजना के लिये १६६.६६ लाख रुपयों की राशि घोषित की है । तथापि उक्त राशि से अधिक राशि व्यय हो चुकी है । इन आंकड़ों की लेखापरीक्षा होने के पश्चात् ही वास्तविक आंकड़े ज्ञात हो सकेंगे ।

(ग) हमारी जानकारी के अनुसार नार्वे की संसद गर्मियों में इस मामले पर विचार करेगी । अग्रेतर अनुदान उनकी चर्चा पर निर्भर करेंगे ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : जो ऋण हमने प्राप्त किया उसकी मुख्य शर्तें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** कोई शर्तें नहीं हैं। यह सारी राशि केरल में एक मत्स्यग्रहण परियोजना की स्थापना करने के लिये है। इस परियोजना का उद्देश्य यह है कि उपयुक्त ठंडे गोदामों का प्रबन्ध करके, यंत्रों द्वारा मछली पकड़े जाने की व्यवस्था करके तथा मछलियों का देश के अन्दरूनी भाग में निर्यात करने की व्यवस्था करके मछुवों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाये

†**डा० मेलकोटे :** यह योजना कितने अंशों में सफल हुई है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** यह बहुत सफल रही है। नार्वे के सारे विशेषज्ञों तथा वहां के प्रधान मंत्री ने भी जो दो दिनों के लिये परियोजना स्थल पर गये थे---यह राय व्यक्त की है कि योजना का कार्य बड़ी अच्छी तरह चल रहा है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** इस सहायता के फलस्वरूप निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** इस वर्ष हम विदेशों को भी मछली का निर्यात करने में समर्थ हुये हैं। हम मछलियों के निर्यात से हम ५ करोड़ से अधिक विदेशी मुद्रा कमाने में समर्थ होंगे।

†**श्री गोरे :** इस सहायता का लाभ केवल केरल को हो मिलेगा या अन्य तटीय राज्यों को भी प्राप्त होगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** अभी यह योजना केरल तक ही सीमित है। हमने नार्वे के परियोजना अधिकारियों से इसे पश्चिम किनारे पर विस्तृत करने के सम्बन्ध में पूछताछ की है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** भारत से मछलियां मुख्यतः किन देशों को भेजी जाती हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** सूखी मछलियां लंका, बर्मा, मलाया और दक्षिण-पूर्वी देशों को भेजी जाती हैं। और जमाई हुई झींगा मछलियां मुख्यतः ब्रिटेन और अमेरिका को भेजी जायेंगी।

खंड विस्तार समिति

***१४१०. पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री ४ दिसम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खंड विकास समिति के सदस्यों को प्रशक्षण देने की योजना अन्तिम रूप से निश्चित और स्वीकृत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना के मुख्य पहलू क्या हैं ; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं ;

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) :** (क) से (ग). योजना शीघ्र ही पूरी की जायेगी और उसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या खंड विकास समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिये कुछ प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे, यदि हां, तो कहां ?

†**श्री ब० स० मूर्ति :** कई, केन्द्र खोलने पड़ेंगे। योजना अभी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या स्थानों का चुनाव कर लिया गया है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : स्थानों के चुनाव करने का कोई प्रश्न नहीं है । हम जनता के बीच काम करने वाले स्वेच्छा संगठनों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् जब संसद सदस्यों की ट्रेनिंग के लिये एक केम्प हो चुका है तो ब्लाक सलाहकार सदस्यों के लिये कोर्स तैयार करने में इतनी देरी क्यों हो रही है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : कोई देरी नहीं हो रही है । हमने श्री ब० गो० मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त कर दी है । उसने एक पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है जिसे राज्य सरकारों को भेजा गया था । हम स्वेच्छा संगठनों से भी सम्पर्क कायम कर रहे हैं कि वे यथाशीघ्र ऐसी संस्थायें खोलने का प्रयत्न करें जहां खंड विकास समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा सके ।

†**श्री पाणिग्रही** : प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम कितनी अवधि का होगा तथा इन सदस्यों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : प्रशिक्षण में खंड विकास समिति के सदस्यों को खंड विकास समिति के कार्यों के संबंध में बताया जायेगा । अवधि का अभी अन्तिम रूप से निश्चय नहीं हुआ है वह एक सप्ताह के लगभग होगी ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इस प्रशिक्षण में कितना व्यय किया जायेगा ? क्या किसी विदेशी विशेषज्ञ को भी इस प्रयोजन के लिये बुलाया जायेगा ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : इन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिये किसी विदेशी विशेषज्ञ को नहीं बुलाया जायेगा । व्यय के संबंध में अभी हमने अंतिम रूप से कोई निश्चय नहीं किया है ।

†**श्री खुशवक्त राय** : क्या मैं जान सकता हूं कि वालेन्टरी एजेन्सीज के नाम क्या हैं जिनसे लिखा पढ़ी हो रही है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : कई स्वेच्छा संगठन हैं । हमने राज्य सरकारों से हमें उन स्वेच्छा संस्थाओं के नाम देने को कहा है जो हमें खंड विकास समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण देने में सहायता कर सकती हैं ।

†**श्री रघुबीर सहाय** : क्या इस सम्बन्ध में खंड विकास समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण देने वालों को प्रशिक्षण देने के लिये भी कोई योजना है, यदि हां तो यह योजना कब क्रियान्वित की जायेगी ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : इस संबंध में एक योजना है । लेकिन उसका अभी अंतिम रूप से निश्चय नहीं हुआ है ।

डाक तथा तार विभाग के क्षय रोग से पीड़ित कर्मचारी

*१४११. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १८ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक-तार विभाग के जो कर्मचारी राज्यक्ष्मा रोग से पीड़ित हो जाते हैं उनके इलाज के लिये अधिक सुविधायें देने का जो प्रश्न विचाराधीन था उस के सिलसिले में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : डाक-तार विभाग के कर्मचारियों और उनके पारिवारिक सदस्यों के लिए चौदह क्षय अस्पताल और आरोग्य गृहों में १५१ आरक्षित पलंगों के अलावा १० और अधिक पलंग आरक्षित किये गये हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस बात का पता लगाने की कोशिश की गई है कि पिछले कुछ वर्षों के अन्दर डाक तार कर्मचारियों में राज्यक्ष्मा का रोग बढ़ रहा है या घट रहा है ?

श्री राज बहादुर : यह कहना तो मेरे लिये मुश्किल है। लेकिन इतना बता सकता हूं कि पिछले दिनों में जो ऐलाटमेंट्स हुए हैं उन को देखते हुए यह तो नहीं कहा जा सकता कि यह बढ़ रहा है ।

†**श्री हेम बरूआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डाक तथा तार कर्मचारियों को नगरों से दूर के क्षेत्रों में छोटे-छोटे कमरों में काम करना होता है जो क्षय का कारण है सरकार ने उन्हें अच्छी सुविधायें और वातावरण देने के सम्बन्ध में क्या किया है ?

†**श्री राज बहादुर** : इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि कुछ डाकखानों में काम के बढ़ने के कारण कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने से, काफी लोग काम करते हैं । तथापि मेरे विचार से वहां की अवस्था भी देश की सामान्य अवस्था की तरह है विशेषरूप में विभाग में ही कोई बुराई नहीं है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या जिन कर्मचारियों को क्षय हो जाता है उन्हें बीमारी की अवधि में असाधारण अवकास मिलता है। यदि हां तो कितनी छुट्टी मिलती है तथा उन्हें उस अवधि में पूरे, आधे या औसत वेतन पर छुट्टी मिलती है ?

†**श्री राज बहादुर** : इस सम्बन्ध में डाक्टरी छुट्टी नियमों के अनुसार मिलती है । वे नियम सभी के लिये हैं । मेरे विचार से डाक तथा तार विभाग को भी इन नियमों का लाभ प्राप्त होता है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : उन्हें बिना वेतन १८ महीने की छुट्टी मिलती है। जिससे वे भूखों मरते हैं और भीख मांगते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नियम तथा विनियमों पर सामान्य चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मैं केवल यह पूछ रहा था कि क्या उन्हें आधे वेतन पर छुट्टी मिलती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सभी सरकारी कर्मचारियों पर जो नियम लागू होते हैं वे ही इन पर भी लागू होते हैं । मंत्री महोदय के कथन का आशय यही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : उन्हें यहां बताने में क्या हानि है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य नियमों को देख सकते हैं । तत्संबंधी नियमों की एक प्रति पुस्तकालय में रखी है। साधारणतया व्यवहार तथा छुट्टी के सारे नियम लागू होते हैं एवं बार-बार यह पूछना व्यर्थ है कि और कितनी छुट्टी है, आदि।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने इस बात की व्यवस्था पर भी कोई गौर किया है कि डाकखानों और तारघरों में जो टी० बी० के मरीज काम कराने के लिए जाते हैं उनके रोग की छूतछात कर्मचारियों को न लग सके इसके लिए कुछ प्रबन्ध किया जाये ?

श्री राज बहादुर : यह असम्भवप्राय मालूम होता है ।

†**श्री प्र० च० बोस** : क्षय रोगियों की आधुनिक चिकित्सा का व्यय सरकार उठाती है या रोगी ?

†**श्री राज बहादुर** : विस्तर की व्यवस्था विभाग करता है ।

†**डा० मेलकोटे** : क्या स्वास्थ्य बीमा योजना डाक कर्मचारियों पर लागू हो गई है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं इस प्रश्न का अभी निश्चित उत्तर नहीं दे सकता।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, पिछली बार इस प्रश्न के सम्बन्ध में जो विवरण सभा पटल पर रखा गया था उसमें बताया गया था कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी में कोई रोगी नहीं था, तीसरी श्रेणी में १५२ रोगी थे और चौथी श्रेणी में ७३ । क्या गवर्नमेंट ने इसके कारण का पता लगाने की कोशिश की है कि कम वेतन, काम का अधिक भार और बच्चों का भी अधिक भार होने के कारण तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारी अधिक बीमार पड़ते हैं और क्या इसलिए उनके वेतन आदि सुविधाओं को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्षय रोगियों की चिकित्सा एक बात है । हमें और सेवा की शर्तों पर नहीं जाना चाहिये।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान इससे पता लगता है कि इन श्रेणियों में रोगी ज्यादा हैं। इसलिए क्या इसका पता लगाने की कोशिश की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : कितना देना चाहिये निवारण करने के लिए।

बहु-प्रयोजनीय खाद्य

†*१४१४. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की कोई योजना यूनीसेफ के सहयोग से बड़ी मात्रा में बहु-प्रयोजनीय खाद्य बनाने की है ;

(ख) इस परियोचना पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है और कितना उत्पादन हुआ है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यह बहु-प्रयोजनीय खाद्य देश में कहां प्रयोग होती है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** :(क) मद्रास सरकार का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) कहा जाता है कि मैसूर की केन्द्रीय खाद्य प्रविधिक गवेषणा संस्था ने जिसन यह उत्पादन बनाया था, संस्था के प्रयोग एकक में लगभग २ लाख पौंड बहु-प्रयोजनीय खाद्य के उत्पादन पर लगभग १ लाख रु० व्यय किया है।

(ग) बहु-प्रयोजनीय खाद्य अधिकतर राज्यों में बांटा गया है। कहा जाता है कि मद्रास और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मांग है। इसके अतिरिक्त मैसूर, बम्बई, केरल और राजस्थान में भी इसका उपभोग होता है।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या यह सच है कि भारत सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों से इस कार्यक्रम में सहायता देने की प्रार्थना कर रही है ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह भारत सरकार के किसी संगठन से प्रार्थना करने का प्रश्न न था। खाद्य विभाग ने एक अन्तरविभागीय प्राविधिक कार्यसंचाल दल बनाया है एवं इसका कार्य बहु-प्रयोजनीय खाद्य के बड़े पैमाने पर उत्पादन की विभिन्न समस्याओं की जांच करना है। उन्होंने यूनीसेफ के एक प्रतिनिधि के साथ परियोजना की रूपरेखा भी तैयार की है। मद्रास सरकार का विचार 'यूनीसेफ' की सहायता से बहु-प्रयोजनीय खाद्य का दस टन प्रति दिन क्षमता का एक कारखना स्थापित करने का है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि विश्व संगठनों से हमें क्या सहायता मिलेगी।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या इस बात का पता लगाया गया है कि क्या इस कार्यक्रम के विस्तार से विदेशों से खाद्यान्न के आयात में कमी होगी ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह मुख्य रूप से बच्चों और बनने वाली माताओं के लिए पूरक भोजन के रूप में है तथा इससे पौष्टिक तत्व बढ़ता है। हो सकता है कि इससे आयात में कोई महत्वपूर्ण कमी न हो।

†**श्री सूपकार** : क्या यह खाद्य सरकारी एजेंसियों के अतिरिक्त देश में हर जगह उपलब्ध है ?

†**श्री अ० म० थामस** : केवल आधा टन प्रति दिन इसका उत्पादन होता है तथा यह विभिन्न राज्यों में सरकारी एजेंसियों द्वारा बांटा जाता है।

श्री म० ला० द्विवेदी : अभी माननीय मंत्री जी ने मैसूर के एक कारखाने का जिक्र किया जहां पर कुछ काम इस सिलसिले में हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि नकली चावल बनाने के सिलसिले में सरकार जो काम कर रही थी उसमें क्या प्रगति हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : नकली चावल मल्टी परपज फूड नहीं है।

†**श्री अ० म० थामस** : कदाचित वह "मैकरौनी" का उल्लेख कर रहे हैं। इस संबंध में मैंने कदाचित दो दिन पूर्व उत्तर दिया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रादेशिक निदेशक (खाद्य), पूर्वी प्रदेश

+

†*१४१५. { श्री हाल्दर :
श्री तंगामणि :
श्री वारियर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई १९५८ से प्रादेशिक निदेशक (खाद्य), पूर्वी प्रदेश के कलकत्ता कार्यालय के २००० कर्मचारियों ने इतिवार तथा अन्य छुट्टियों में काम करना बन्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) प्रादेशिक निदेशालय (खाद्य) कलकत्ता के कुछ कर्मचारियों जो २८ जुलाई (छुट्टी) १६ और ३० नवम्बर १९५८ (इतिवार) को गोदियों से खाद्यान की प्राप्ति के लिये केन्द्रीय गोदामों में रखे गये थे काम पर नहीं आये। वे छुट्टियां थीं।

(ख) इतिवार तथा छुट्टियों को खाद्यान्न प्राप्ति कार्यक्रम के विरोध में ऐसा किया गया था।

†श्री हाल्दर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्रालय तथा भारत सरकार ने कर्मचारी संस्थाओं को आश्वासन दिया है कि इतिवार व छुट्टियों के अतिरिक्त काम के घन्टे प्रातः ९ बजे से सांय ५ बजे तक होंगे।

†श्री अ० म० थामस : सामान्यतया प्रातः ९ बजे से सांय के ५ बजे तक काम के घन्टे होते हैं तथा इनमें बीच में १ घन्टे की भोजन की छुट्टि होती है। हम इन कर्मचारियों को इतिवार तथा छुट्टियों में काम पर उसी समय बुलाते हैं जबकि प्रादेशिक खाद्य निदेशालय को ऐसा करना अनिवार्य हो जाता है तथा जबकि इतिवार तथा छुट्टियों के कार्य के लिए खाद्यान्न की प्राप्ति तथा देन की देख भाल के लिए गोदियों में न्यूनतम कर्मचारियों का काम पर लगाना आवश्यक होता है। २० मई से ३० नवम्बर, १९५८ तक चालीस छुट्टियां थीं परन्तु हमने केवल छुट्टियों में कर्मचारी बुलाये।

†श्री हाल्दर : इतिवार तथा छुट्टियों में काम करने से मना करने वाले सभी व्यक्तियों पर कोई आरोप लगाये गये हैं ?

†श्री अ० म० थामस : उन ७२ व्यक्तियों से उत्तर मांगा गया है जिनसे उस दिन काम पर आने को कहा गया था। १२ व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। उनमें से दस ने अपील की है जो अभी अनिश्चित पड़ी है।

†श्री वारियर : क्या इन छुट्टियों तथा इतिवारों को काम करने के लिए कोई अधिक मजूरी दी जाती है तथा यदि हां, तो कितनी ?

†श्री अ० म० थामस : उन्हें प्रतिकारात्मक छुट्टी दी जाती है और वे किसी काम वाले दिन छुट्टी ले सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी** : इनमें से कुछ कर्मचारियों ने पहिले ही इतिवार को काम पर न बुलाने की प्रार्थना की थी क्यों कि उन्हें कुछ आवश्यक कार्य था और इतने पर भी उन पर आरोप लगाये गये हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह सच नहीं है।

इच्छा छेरा नदी में बाढ़‡

†***श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इच्छा छेरा नदी के आसपास के क्षेत्रों के लोग प्राधिकार से धान भूमि के एक बड़े क्षेत्र की जिसकी वार्षिक पैदावार लगभग १,५०,००० मन धान होगी, इच्छा छेरा नदी के पानी से सुरक्षा की प्रार्थना करते रहे हैं ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार का विचार कब कार्यवाही करने का है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) तथा (ख), अपेक्षित जानकारी त्रिपुरा प्रशासन से एकत्रित की जा रही है तथा यथाशीघ्र पटल पर रखी जायेगी।

†**श्री बांगशी ठाकुर** : इस दृष्टि से कि अधिक अन्न उपजाओ भारत की ज्वलन्त आवश्यकता है एवं इस दृष्टि से कि त्रिपुरा में सिंचाई की छोटी योजनाओं के लिए लगभग ५ लाख रु० मंजूर हुए थे तथा यह दीर्घकालीन समस्या बहुत पहिले ही आसानी से सुलझ जाती, धान की ३०,००० एकड़ भूमि जलमग्न होने से बचाने के लिए यह अब तक क्यों नहीं किया गया ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हम योजनाओं की प्राप्ति पर उन पर विचार करेंगे ?

†**श्री बांगशी ठाकुर** : क्या सरकार को विदित है कि त्रिपुरा में शिवसागर क्षेत्र, जहां से ऐसा अभ्यावेदन किया गया है, असानी से २,३०,००० टन धान पैदा कर सकता है यदि सिंचाई की कोई छोटी योजना कार्यान्वित कर दी जाये एवं यदि हां तो सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब अपना मत है। मैं उपजाऊ भूमि पर चर्चा सुनना नहीं चाहता।

हीराकुड परियोजना

†***१४१८. श्री संगण्णा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार से महानदी घाटी विकास (प्रक्रम तीन तथा ४ संबंधी अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख), यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

‡Iccha Chherah Floods.

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री संगण्णा : क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में ऐसी किसी योजना पर विचार किया जायेगी ?

†श्री हाथी : हमें कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है परन्तु उड़ीसा सरकार महानदी घाटी विकास (प्रक्रम ३ तथा ४) की योजनायें बना रही है ।

†श्री सूपकार : क्योंकि अब भारत सरकार को अमरीका सरकार से नदी घाटी विकास परियोजनाओं के लिये पर्याप्त सहायता प्राप्त हो रही है इसलिये क्या महानदी घाटी विकास के ये प्रक्रम ३ तथा ४ सम्भवतः उस योजना में सम्मिलित किये जायेंगे ?

†श्री हाथी : इस योजनाओं को आरम्भ करने की बात केवल राज्य सरकार से विस्तृत योजनाओं की प्राप्ति पर ही निश्चित की जा सकती है ।.

†श्री पाणिग्रही : महानदी घाटी विकास परियोजना के ३ व ४ प्रक्रम में क्या-क्या योजनायें सम्मिलित हैं तथा क्या इन में से किसी का सर्वेक्षण किया गया है ?

†श्री हाथी : महानदी घाटी विकास के प्रक्रम ३ में चिपलीमा विद्युत् गृह तथा दुलेश्वर के पास बनने वाले विद्युत्गृहों के अवशिष्ट जल का प्रयोग सम्मिलित है । चौथे प्रक्रम में कहा गया है कि दुलेश्वर से मिलने वाले जल को टिक्करपाड़ा में फिर प्रयोग किया जायेगा तथा विद्युत् पैदा की जायेगी ।

†श्री महन्ती : माननीय मंत्री ने कहा कि प्रक्रम ३ व ४ राज्य सरकार को तैयार करने होंगे । इस दृष्टि से कि समूची हीराकुड योजना भारत सरकार ने बनाई थी तथा कार्यान्विती की थी, मैं जानना चाहता हूं कि केवल प्रक्रम ३ व ४ राज्य सरकार द्वारा क्यों तैयार किये जायेंगे एवं क्या इसके लिये कोई विभाग है ?

†श्री हाथी : हां, श्रीमान्। राज्य सरकार ने इन जांच पड़तालों के लिये एक विभाग खोला है तथा वे प्रारम्भिक जांच पड़ताल कर भी चुके हैं । हीराकुड का मुख्य इंजिनियर यह कार्य कर रहा है।

†श्री प्र० क० देव : क्या टिक्करपाड़ा बान्ध योजना अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी गई है ?

†श्री हाथी : नहीं, परन्तु प्रारम्भिक सर्वेक्षण से विदित होता है कि बड़े क्षेत्र के जलमग्न होने की सम्भावना है। अतः उड़ीसा सरकार जलमग्न होने वाले पूरे क्षेत्र का पूर्ण सर्वेक्षण करना तथा महानदी घाटी के समूचे विकास का निर्णय करना चाहती है।

†श्री संगण्णा : क्या डेल्टा सिंचाई योजना भी महानदी घाटी परियोजना में सम्मिलित है ?

†श्री हाथी : डेल्टा सिंचाई योजना कार्यान्वित हो रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री पाणिग्रही : हीराकुड बांध का एक उद्देश्य महानदी में बाढ़ पर नियंत्रण करना था परन्तु हाल में यह विदित हुआ है कि स्वयं हीराकुड महानदी में बाढ़ नियंत्रित नहीं कर सकता। इस दृष्टि से क्या महानदी घाटी के विकास के और प्रक्रमों पर विचार किया जायेगा ?

†श्री हाथी : उन पर विचार किया जायेगा।

मछली पकड़ने के जहाज

†*१४२०. **श्री आसर : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मत्स्यगृहण उद्योग के विकास के लिये अमरीका ने भारत को मछली पकड़ने के जहाज भेंट किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने मछली पकड़ने के जहाज भेंट किये गये हैं ;

(ग) क्या ये सारे मछली पड़कने के जहाज विभिन्न राज्यों को बांट दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों के नाम क्या हैं तथा कितने मछली पकड़ने के जहाज बांटे गये हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) हां, प्राविधिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत ।

(ख) नौ ।

(ग) आरम्भ में मछली पकड़ने के जहाज कुछ समुद्री राज्यों को दिये गये थे ।

(घ)

पश्चिमी बंगाल	३
बम्बई	२
केरल	२
केन्द्रीय सरकार	२
योग	९

†**श्री आसर** : क्या यह सच है कि बम्बई को दिये गये जहाज बम्बई बन्दरगाह में बेकार पड़े हैं, यदि हां, तो क्यों ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : वे बेकार नहीं पड़े हैं। उन्हें केन्द्रीय सरकार ने ले लिया था तथा केन्द्रीय सरकार का गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का सर्वेक्षण केन्द्र उनका पूरा और ठीक प्रयोग कर रहा है ।

†**श्री ना० नि० पटेल** : मछली पकड़ने के इन जहाजों ने क्या कार्य किया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हम अरब सागर में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के सारे स्थानों, धारों तथा प्रति-धारों का सर्वेक्षण कर सके। हमने सौराष्ट्र से आरम्भ किया और टूटीकोरिन तक गये। हमारा विचार चारों ओर जाने तथा विजग आने का है ताकि बंगाल की खाड़ी

†मूल अंग्रेजी में

का भी उचित रूप से सर्वेक्षण किया जा सके एवं मछली पकड़ने के स्थानों, घारों और प्रति घारों का मानचित्र बन सकें।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या इन मछली पकड़ने के जहाजों से केवल सर्वेक्षण किया जा रहा है या मछली भी पकड़ी जाती हैं? यदि मछली भी पकड़ी जाती हैं तो, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कारण कितनी मछली कलकत्ता आई?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** सर्वेक्षण करते हुए हम मछली भी पकड़ते हैं परन्तु मछली पकड़ना मुख्य कार्य नहीं है; मुख्य कार्य तो सर्वेक्षण करना है। विशेषकर पश्चिमी बंगाल में वे चार मछली पकड़ने के जहाज प्रयोग करते हैं एवं पर्याप्त मात्रा में मछली पकड़ी जाती है तथा कलकत्ता में बिकती है।

†**श्री आचार :** मैसूर को कोई जहाज क्यों नहीं दिया गया?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** यह कार्य केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। हमने सौराष्ट्र से आरम्भ किया तथा टूटीकोरीन तक गये। हम विज़ग तथा कलकत्ता तक जाना चाहते हैं ताकि सम्पूर्ण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का सर्वेक्षण हो जाये।

†**श्री आचार :** सौराष्ट्र से जाते समय टूटीकोरिन से पहिले मैसूर आता है।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** अर्थात् हम मैसूर का सर्वेक्षण कर चुके हैं। हमने सारे पश्चिमी घाट का सर्वेक्षण कर लिया है। सौराष्ट्र में मछली बहुत मिलती हैं अतः हमें उधर से आरम्भ करना पड़ा। टूटीकोरिन से हम नागापटनम, फिर विज़ग जाना चाहते हैं तथा पश्चिमी बंगाल पहुंचना चाहते हैं।

सेवा सहकारी समितियां

+

†*१४२१. { **कुमारी मो० वेद कुमारी :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री जाधव : }

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेवा सहकारी समितियां बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) प्रत्येक राज्य में ऐसी कितनी 'सर्विस कोआप्रेटिव्ज' हैं; और

(ग) इन सहकारी समितियों के विवेक पर कितनी वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता रखी जायेगी?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति):** (क) से (ग). आजकल सहकारी समितियों का "सेवा सहकारी समितियां" शीर्षक के अधीन पृथक वर्गीकरण नहीं किया जाता। फिर भी, ३०-६-१९५७ को, जिसके लिये प्रकाशित आंकड़े उपलब्ध हैं, १.६२ लाख प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियां थीं। राज्यवार वितरण पटल पर रखे गये विवरण में दिया है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३]** में समितियां, अधिकतर ऋण समितियां हैं। कुछ बीज,

†मूल अंग्रेजी में

खाद, कृषि के औजार आदि देना जैसी सुविधायें भी देती है। प्रारम्भिक सहकारी समितियों को राष्ट्रीय विकास परिषद् के सहकारी नीति सम्बन्धी संकल्प में निर्धारित आधार पर "सेवा सहकारी समितियों" के रूप में संगठित / पुनर्संगठित करने के लिये की जाने वाली विभिन्न कार्यवाहियां, प्रत्येक राज्य में बनने वाली ऐसी सहकारी समितियों की संख्या एवं ऐसी सहकारी समितियों के विवेक पर रखी जाने वाली वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता का विवरण तैयार किया जा रहा है ।

†**कुमारी मो० वेद कुमारी** : सभी विद्यमान ऋण समितियों को सहकारी समितियों में बदल देने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है और इस काम में कितना समय लगेगा ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : राष्ट्रीय विकास परिषद् के संकल्प के पश्चात् संकल्प में अपेक्षित उद्देश्यों को कार्य रूप में परिणत करने की संभावना का पता लगाने के लिये एक कार्यकारी दल बनाया गया है । कार्यकारी दल ने इस मामले की जांच की है और कुछ सिफारिशें की हैं जिन पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

†**सेठ गोविन्द दास** : क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार कुछ इस प्रकार का विचार कर रही है कि सब राज्यों में एक प्रकार का कानून बन जाय और ये सर्विस को आपरेटिव्ज़ उस कानून के अन्तर्गत पृथक रूप से आ जायें ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : जी हां ।

श्री हेम बरूआ : क्या यह सच है कि भारतीय सहकारिता संघ ने एक ज्ञापन प्रधान मंत्री के पास और दूसरा योजना आयोग के पास भेजा है जिसमें सहकारिता बिधि समिति की सिफारिशों को बिल्कुल नामंजूर कर देने की म्मांग की गई है क्योंकि ऐसा करने से सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को मध्यस्थ निर्णय की शक्ति मिल जायेगी ? क्या सरकार ने भारतीय सहकारिता संघ की इस मांग की जांच की है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : कार्यकारी दल द्वारा इसकी भी जांच की गई है ।

सरदार अ० सिं० सहगल : सर्विस कोआपरेटिव्स जो भिन्न-भिन्न प्रान्तों में चल रही हैं उनको एक सूत्र में बांधने के लिये क्या व्यवस्था सरकार करने जा रही है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि सर्विस कोआपरेटिव्स पहले से ही बनी हुई हैं । उनको तो अभी बनाना है ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : विवरण में तो केवल ऋण समितियों की संख्या बताई गई है । प्रत्येक राज्य में बहु-प्रयोजनीय समितियों की संख्या कितनी है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

†**श्री अय्याकण्णु** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस समय सहकारी समितियों पर अमीरों का एकाधिकार है, क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय उपमंत्री गरीबों को भी इसमें अंश दिलाने तथा उन्हें उचित स्थान देने के लिये क्या कार्यवाही करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० स० मूर्ति : जैसी कि राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अपेक्षा की गई है एक बार सहकारी समितियों के बन जाने पर सहकारी समिति में प्रत्येक परिवार को स्थान मिलेगा तथा इसमें पूंजीपति द्वारा गरीबों का शोषण न हो कर आपसी सहायता का काम हुआ करेगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं माननीय उपमंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिन कोआपरेटिव सोसाइटीज़ का उन्होंने अभी जिक्र किया है क्या वे वही कोआपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिन्हें कि हमने एन० डी० सी० में मंजूर किया है, यदि हां, तो उनकी क्या रूपरेखा है, क्या वे ठीक तरह से चल रही हैं, उनमें कोई गबन वगैरह तो नहीं हो रहा है ?

†श्री ब० स० मूर्ति : मैं इस प्रश्न का अनुवाद चाहूंगा।

†श्री म० ला० द्विवेदी : क्या माननीय सदस्य ने जिन सहकारी सम्मितियों की बात कही है वे वही सम्मितियां हैं जिनका उल्लेख राष्ट्रीय विकास परिषद् ने किया है और यदि ऐसा है, तो इन सहकारी सम्मितियों की रूप-रेखा क्या है। क्या वे ठीक तरह से चल रही हैं और क्या इनमें कोई ग़बन आदि तो नहीं हो रहा है ?

†श्री ब० स० मूर्ति : राष्ट्रीय विकास परिषद् के संकल्प में एक नीति रखी गई है जिसमें उद्देश्य तथा उस उद्देश्य को कार्य रूप में परिणत करने के लिये एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की बात कही गई है। कार्यकारी दल ने इस मामले की जांच-पड़ताल की है और कुछ सिफारिशें की हैं तथा ये सिफारिशें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।

†श्री सिंहासन सिंह : क्या सहकारिता अधिनियम में संशोधन करने के लिये कोई नया विधेयक रखा जा रहा है ?

†श्री ब० स० मूर्ति : मैं इसके लिये पूर्व सूचना चाहूंगा।

†श्री मं० रं० कृष्ण : क्या नई सर्विस कोआपरेटिव्ज विद्यमान १.६२ लाख सहकारी सम्मितियों को बदल देने के बाद ही बनेंगी ?

†श्री ब० स० मूर्ति : उनका संगठन अथवा पुनर्संगठन किया जायेगा।

श्री खुशवक्त राय : जब तक जो मौजूदा कोआपरेटिव ऐक्ट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तब तक ये सर्विस कोआपरेटिव्स बन भी सकती हैं या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं ?

†श्री ब० स० मूर्ति : यह तो अपनी-अपनी राय का मामला है।

†श्री पाणिग्रही : अब राज्य ने उद्योगों का संगठन और उनकी स्थापना करना आरम्भ कर दिया है किन्तु मंत्री महोदय ने ऋण सम्मितियों के बारे में उत्तर दिया है। इसका क्या तुक है ?

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा था कि इनको बदला जा रहा है।

†श्री म० ला० द्विवेदी : इस समय सर्विस कोआपरेटिव्स हैं ही नहीं, इसलिये बदलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उनका कहना यह है कि कुछ सहकारी समितियां हैं। इस बारे में कुछ स्पष्टीकरण होना चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय वाद-विवाद की काफी गुंजाइस रहेगी। इस शीर्ष के अन्तर्गत मांगों पर विचार अभी नहीं हुआ है। अगला प्रश्न।

भारत-इटली विमान सेवा

†*१४२५. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शीघ्र ही भारत और इटली के बीच एक नई विमान सेवा आरम्भ होने वाली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विशद ब्योरा क्या है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). ४ मार्च, १९५९ से रोम और बम्बई के बीच एक 'अलीटालिया' नामक इटली की अनुसूचित विमान सेवा आरम्भ हो गई है। इससे रोम-कराची-बम्बई हो कर सप्ताह में दो बार हवाई जहाज़ आया-जाया करेंगे।

†श्रीमती इला पालचौधरी : 'अलाटालिया' को मिलाकर हमारे देश में अब १८ विमान के द्वारा १८ देशों से आना-जाना हो जायेगा। हाल में कितने और विमान मार्ग खोले गये हैं और एयर इण्डिया ने वायु यातायात अधिकार के रहते हुये इस नये मार्ग को क्यों नहीं आरम्भ किया था ?

†श्री मुहीउद्दीन : भारत से हो कर इस समय लगभग १८ देशों से विमान सेवा चल रही है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्या को विदित है एयर इण्डिया इन्टरनेशनल रोम से हो कर बहुत दिनों से विमान सेवा चला रहा है। हमारे लन्दन जाने वाले हवाई जहाज़ सप्ताह में लगभग तीन बार रोम में ठहरते हैं।

मध्य प्रदेश में धान का क्रय

†१४२७. श्री खुशवक्त राय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में अब तक कुल कितना धान खरीदा है ;

(ख) यह धान किन-किन राज्यों को भेजा जा रहा है; और

(ग) क्या धान कूट कर चावल के रूप में बेचा जा रहा है अथवा धान के रूप में और यह किस मूल्य पर बेचा जाता है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में धान की कोई खरीद नहीं की है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†श्री म० ला० द्विवेदी : क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों को धान भेजने की अनुमति नहीं है जबकि अन्य स्थानों से मध्य प्रदेश को खाद्यान्न भेजा जाता है जिसके परिणामस्वरूप खाद्य समस्या और भी गंभीर हो जाती है। इसका क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस :** मध्य प्रदेश में धान की खरीद राज्य सरकार के लेखे पर की जाती है और उसने १३ मार्च तक लगभग ७४,२०० टन धान खरीदा है। मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र किस राज्य की बात कर रहे हैं। क्या वह राज्य उत्तर प्रदेश तो नहीं है ?

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** जी हां।

†**श्री अ० म० थामस :** मध्य प्रदेश से चोरी-छिपे अनाज लाया जाता है।

सरदार अ० सिं० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार जो पैडी खरीद रही है, उसके मिलिंग कराने का क्या कोई इन्तजाम भारत सरकार की तरफ से हुआ है ?

†**श्री अ० म० थामस :** मध्य प्रदेश से धान के रूप में लाने ले जाने का प्रबन्ध है। मध्य प्रदेश सरकार इस स्थिति में है कि वह पश्चिमी बंगाल को १०,००० टन धान भेज सकती है। धान कूटने का प्रबन्ध भी है—या तो उसको वहीं कूटा जायेगा अथवा अन्य राज्यों को भेज दिया जायेगा।

†**सरदार अ० सिंह० सहगल :** मेरा प्रश्न यह था कि क्या मध्य प्रदेश में जबकि सरकार धान खरीदती है तो वहां उन्हें कूटने के लिये कोई प्रबन्ध है अथवा उसे अन्य स्थानों को भेज दिया जाता है।

†**श्री अ० म० थामस :** मैं ने इससे पहले दिन सभा में बताया था कि केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश से चावल खरीदती है तथा धान राज्य सरकार खरीदती है; दोनों का प्रबन्ध वहां रहता है। मैं समझता हू कि सन्तोषजनक काम हो रहा है।

सेठ गोविन्द दास : मध्य प्रदेश की सरकार ने जो धान मध्य प्रदेश में खरीदा है उसका चावल बन कर अलग अलग प्रदेशों में जा सके और मध्य प्रदेश की सरकार को और भी धान वहां खरीदने में सुभीता हो सके, इसके लिये क्या केन्द्रीय सरकार कुछ कर रही है ?

†**श्री अ० म० थामस :** मैं बता चुका हूं कि धान कूटने के लिये अन्य स्थानों को भेजा जाता है। हम हाथ से कुटा हुआ चावल भी खरीद रहे हैं। मेरे मित्र संभवतः हाथ से कुटे चावल की बात कर रहे थे।

श्री खुशवक्त राय : मध्य प्रदेश से जो धान खरीदा जा रहा है वह किस भाव से खरीदा जा रहा है और वेस्ट बंगाल में जो जाता है वह किस भाव पर जाता है ?

†**श्री अ० म० थामस :** मध्य प्रदेश का धान खरीदा जा रहा है। इसका भाव अलग अलग किस्मों के लिये ६.१५ रुपये से लेकर १४.२० रुपये तक रहता है। मोटे किस्म का भाव ६.५० रुपये होता है। मध्य प्रदेश सरकार के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार को १०.६६ प्रति मन के भाव से बेचना संभव हो सका है।

श्री खादीवाला : मैं जानना चाहता हूं कि जो धान और राइस खरीदा जा रहा है क्या सरकार सारा धान और राइस खरीद कर रही है या पूरे तौर से खरीद नहीं कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस :** जी हां, जितना भी बेचने का प्रस्ताव किया जाता है, हम उतना सभी खरीद लेते हैं ।

डाक तथा तार कर्मचारियों द्वारा वेतन हड़ताल

+

†*१४२८. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के डाक तथा तार कर्मचारियों ने २ मार्च, १९५९ को वेतन हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या थीं ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां । डाक तथा तार के कुछ कर्मचारियों ने फरवरी, १९५९ का वेतन २ मार्च, १९५९ को नहीं लिया ।

(ख) (१) अन्तरिम सहायता की दूसरी किश्त का तत्काल स्वीकृत किया जाना ;

(२) वेतन आयोग प्रतिवेदन का शीघ्र प्रकाशन ;

(३) केन्द्रीय सेवा (आचरण) नियमों के नियम ४(क) और ४(ख) का निरसन ; और

(४) इन नियमों के अन्तर्गत यूनियन के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध जो कार्यवाही की गई है उसे समाप्त कर देना ।

(ग) जैसा कि सभा में पहले ही घोषित किया जा चुका है, वेतन आयोग के निर्देश पद के अन्दर यह आ जाता है कि वह द्वितीय अन्तरिम सहायता मंजूर करने की सिफारिश कर सकता है । वेतन आयोग के प्रतिवेदन के अगली जून के अन्त तक प्रकाशित होने की आशा है ।

जहां तक (३) और (४) बातों का संबंध है, सरकार स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिये असमर्थ है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या माननीय मंत्री को पता है कि सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों में हाल ही में जो संशोधन किया गया है उससे पत्तनों, गोदी और प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को नियम ४(क) और ४(ख) के क्षेत्र से बाहर रखा गया है,

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार कर्मचारियों की एक मांग यह भी है तथा क्या मंत्रालय ने इस मामले में डाक तथा तार कर्मचारियों को इससे अलग कर देने के बारे में बात की थी ?

†**श्री राज बहादुर :** नियम ४(क) और ४(ख) पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिये लागू नहीं होगा ; वे इससे अलग रखे गये हैं । किन्तु डाक तथा तार कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं है । सम्पूर्ण प्रश्न पर भली भांति विचार कर लेने के पश्चात् यह निश्चय किया गया है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण देश के डाक तथा तार कर्मचारियों के पास से तार प्राप्त हुये हैं और क्या इस बारे में डाक तथा तार कर्मचारियों के प्रतिनिधियों तथा गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों में बात-चीत नहीं होगी ?

†**श्री राज बहादुर :** जी हां, तार प्राप्त हुये हैं ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या डाक तथा तार कर्मचारियों के साथ जो भेदभाव किया गया है उसका निर्देश वेतन आयोग को किया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर :** भेदभाव का जो आरोप लगाया गया है मैं उसका खंडन करता हूं । यह जो निर्णय किया गया है वह इस बात को ध्यान में रख कर किया गया है कि डाक तथा तार कर्मचारी अत्यावश्यक लोकोपयोगी सेवा में आते हैं और वे औद्योगिक कर्मचारियों की श्रेणी में भी नहीं रखे जा सकते । इसी कारण उनके लिये ऐसे नियम बनाये गये हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि डाक तथा तार कर्मचारी अन्तरिम सहायता की दूसरी किश्त की मांग कर रहे हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि विवरण में बताया गया है कि वेतन के निर्देश-पद के अन्दर यह चीज आती है, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने वेतन आयोग को इस स्थिति के बारे में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करने के लिये क्या उपाय किये हैं जिससे उन्हें अन्तरिम सहायता की दूसरी किश्त दी जा सके ?

†**श्री राज बहादुर :** सरकार ने वेतन आयोग के स्वविवेक में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा तथा वित्त मंत्री ने उस दिन जो बात इस बारे में कही थी वह न्यायसंगत है ।

†**डा० मेलकोटे :** डाक तथा तार विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है और इस हड़ताल का असर कितने केन्द्रों पर पड़ा तथा कितने कर्मचारियों ने उसमें भाग लिया था ?

†**श्री राज बहादुर :** उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार डाक तथा तार कर्मचारियों के अराजपत्रित कुल २,१४,००० कर्मचारियों में से केवल ३३,२०५ लोगों ने २ मार्च को वेतन नहीं लिया था जिसका तात्पर्य यह हुआ कि कुल कर्मचारियों में से लगभग १/७ लोगों ने इस तथाकथित हड़ताल में भाग लिया था ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों ने २ मार्च को तनख्वाह नहीं ली थी, उन्होंने अभी तक भी तनख्वाह नहीं ली है या कि उसके बाद ले ली ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राज बहादुर : जी नहीं, उन्होंने दूसरे दिन तनख्वाह ले ली।

†**श्री स० म० बनर्जी** : वित्त मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन की दृष्टि से कि वेतन आयोग का प्रतिवेदन जून, १९५९ तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है तथा अन्य विभिन्न मांगों के संबंध में जो आश्वासन दिये गये उन्हें देखते हुये क्या माननीय मंत्री के लिये यह संभव हो सकेगा कि इस आन्दोलन के बारे में डाक तथा तार कर्मचारियों का एक सम्मेलन बुला सकें ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं नहीं समझता कि परिवहन तथा संचार मंत्रालय इस मामले में वित्त मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन—यदि उन्होंने कोई आश्वासन दिया है तो—से अधिक कुछ कह सकता है।

आन्ध्र से चावल का समाहार

+

†*१४२९. { **श्री इ० मधुसूदन राव** :
श्री रामी रेड्डी : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने केन्द्र से निवेदन किया है कि वह श्रीकाकुलम, त्रिचूर, वारंगल और निजामाबाद के जिलों से चावल का समाहार न करें क्योंकि बाढ़ अथवा सूखे के कारण उनकी दशा बड़ी खराब है ; और

(ख) इस मामले में केन्द्र द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र से निवेदन कया है कि वह इन जिलों से चावल का समाहार न करे क्योंकि वहां बहुत कम फालतू चावल है।

(ख) राज्य सरकार ने यह परामर्श दिया है कि जहां तक संभव होगा केन्द्र इन जिलों से चावल की मांग नहीं करेगा तथा इन जिलों से व्यापारियों और चावल कूटने की मिलों के मालिकों के पास जो ऐच्छिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे उसी के आधार पर खरीद की जायेगी।

श्री इ० मधुसूदन राव : क्या मंत्री महोदय बतला सकेंगे कि श्रीकाकुलम, गुन्तूर, वारंगल और निजामाबाद में अब तक कितना प्राक्योरमेंट (समाहार) किया गया है ?

†**श्री अ० म० थामस** : मैं कह चुका हूं कि खरीद ऐच्छिक प्रस्तावों के आधार पर ही की जायेगी और हम इन स्थानों से कुछ भी मांग नहीं कर रहे हैं। आन्ध्र में स्वेच्छा के आधार पर लगभग ४०,००० टन चावल का समाहार किया गया है। इन जिलों से मैं समझता हूं कि कुछ भी समाहार नहीं किया गया है।

†**श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र गवर्नमेंट को क्या उन्होंने इन्फार्म (सूचित) कर दिया है कि वे इन डिस्ट्रिक्ट्स में क्लेक्ट नहीं करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० म० थामस : आन्ध्र प्रदेश सरकार समाहार थोड़े ही कर रही है। समाहार तो केन्द्रीय सरकार कर रही है । यद्यपि समाहार करने का काम हमने राज्य सरकार पर छोड़ दिया है, अब वह समाहार करने को तैयार नहीं है । जहां तक इन जिलों का संबंध है, कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया जा सकता । यदि अधिक मात्रा में व्यापार न किया गया अथवा हम इस बात से सन्तुष्ट हो गये कि जानबूझ कर चावल जमा किया जा रहा है—उदाहरण के लिये नेल्लोर जिला ले लीजिये तो हमें स्थिति पर पुनः विचार करना होगा ।

†अध्यक्ष महोदय : नेल्लोर जिला उनमें नहीं है । उपमंत्री महोदय ने ऐसा कहा जान पड़ता है कि वह समाहार नहीं कर रहे हैं । माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि यदि इन जिलों से चावल समाहार करने का प्रस्ताव किया भी जाता है तो भी सरकार क्यों खरीदे ?

†श्री अ० म० थामस : यदि प्रस्ताव किया जाता है तो नैतिक रूप से हम खरीदने के लिये बाध्य हो जाते हैं क्योंकि आन्ध्र प्रदेश से बाहर उत्तर के राज्यों में चावल ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा है ।

†श्री मं० रं० कृष्ण : आन्ध्र प्रदेश के खाद्य तथा कृषि मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है कि वह राज्य सरकार के हाथ समाहार किया गया चावल भी वापस बेच दें । आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कितनी मात्रा का उल्लेख किया है ?

†श्री अ० म० थामस : आन्ध्र को समाहार की गई मात्रा के बारे में प्रश्न नहीं उठाया गया था । आन्ध्र प्रदेश में उसकी अपनी आवश्यकता से अधिक चावल होता है और मैं नहीं समझता कि आन्ध्र को कुछ चावल वापस देना है ।

†श्री मं० रं० कृष्ण : क्या यह सच नहीं आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र से जितनी मात्रा का समाहार किया गया था उसमें से कुछ उसके हाथ वापस बेच देने के बारे में वहां के खाद्य तथा कृषि मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है ?

†श्री अ० म० थामस : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

†श्री पाणिग्रही : क्या आन्ध्र प्रदेश में चावल के समाहार के लिये राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों ही काम कर रही हैं ?

†श्री अ० म० थामस : वहां केवल केन्द्रीय सरकार ही समाहार का काम कर रही है । मैं कह चुका हूं कि यदि राज्य सरकार समाहार करने के लिये तैयार है तो हम समाहार संबंधी काम उसी के ऊपर छोड़ने को तैयार हैं । राज्य सरकार ने कुछ ऐसी शर्तें लगा दी थीं जिन्हें हम स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे ।

†श्री मं० रं० कृष्ण : क्या बाढ़ वाले उन क्षेत्रों के लिये कुछ सहायता दी गई है जिनमें जितनी सामान्यतः पैदावार होती थी उतनी भी नहीं हुई ?

†श्री अ० म० थामस : केवल उन्हीं क्षेत्रों की आवश्यकतायें पूरी करने के पश्चात् यदि कुछ चावल बचा तो हम समाहार करेंगे । किसी क्षेत्र विशेष में जितनी आवश्यकता होगी उसमें से हमारे खरीदने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मं० रं० कृष्ण : समाहार को छोड़कर क्या केन्द्रीय सरकार ने उन क्षेत्रों की कुछ सहायता की है जिनमें चावल बहुत पैदा हुआ करता था किन्तु जिनमें बाढ़ के कारण सामान्य फसल तक न हो सकी ?

†श्री अ० म० थामस : अधिक अन्न उपजाओ योजना के अधीन तथा केन्द्रीय सरकार की अन्य योजनाओं के अधीन सामान्य सहायता दी जाती है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का कथन यह है कि हमारे हाथ जितनी मात्रा में चावल बेचा जायेगा उतना हम अवश्य खरीदेंगे । साथ ही मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री अब इन जिलों से और आगे समाहार नहीं करेंगे ।

मनीपुर के गांवों में बिजली लगाना

†*१४३१. श्री ले० अचौ सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८३५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के गांवों में बिजली पहुंचाने के लिये लकड़ी के खम्भे प्राप्त कर लिये गये हैं ;

(ख) क्या मनीपुर के गांवों में बिजली लगाने की योजना कार्यान्वित की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो अब कितनी लम्बी ट्रांसमिशन लाइन बन चुकी है ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) अब तक ट्रांसमिशन और वितरण की २९ मील लम्बी लाइन बन चुकी है ।

†श्री ले० अचौ सिंह : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि अनेक ट्रांसमिशन की लाइनें बन जाने के बावजूद भी इम्फाल के उपनगरों तथा मनीपुर घाटी के गांवों में बिजली नहीं पहुंच सकती ? गांवों में बिजली पहुंचाने के लिये कौन सी तारीख निश्चत की गई है ?

†श्री हाथी : विद्युत्-संभरण की कमी के कारण हमने दो योजनाओं को एक ही में मिला दिया है जिनमें से एक लीकरवांग में जल-विद्युत् की है और दूसरी इम्फाल पद्धति के विस्तार की है । १९५९-६० तक दूसरी योजना तैयार हो जायेगी ।

†श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि चांदनी में मनीपुर के नृत्य इतने लुभावने लगते हैं कि जो देवताओं तक के लिये देखने योग्य होते हैं, फिर भला सरकार गांवों में बिजली के बल्ब लगा कर उस नैसर्गिक दृश्य की छटा क्यों समाप्त कर देना चाहती है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लें० अचौ सिंह** : क्या चुदाचांद कपुर, उखरुल और थोनवाल के पहाड़ी डिवीजन के मुख्यालयों में भी यथासमय बिजली लगेगी क्योंकि अभी तक वहां विद्युत् संयंत्र नहीं लगे हैं ?

†**श्री हाथी** : मैं इसका ब्योरा तो नहीं जानता किन्तु लगभग ७६ गांवों में बिजली लगायी जायेगी।

अल्प-सूचना प्रश्न और उत्तर

उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण क्षेत्र में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के 'डकोटा' के साथ दुर्घटना

+

†अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १०
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री पाणिग्रही :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १२ मार्च, १९५९ को उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण क्षेत्र में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का एक डकोटा विमान दुर्घटना का शिकार हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति मरे और सरकार को इससे कितनी हानि पहुंची ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां।

(ख) पांच व्यक्ति मरे और विमान नष्ट हो गया। विमान को अर्जित करने का मूल्य १,१३,६७४ रुपये था और अवलिखित मूल्य २३९.५७ रुपये था।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि जब से इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने लगभग ९ मास पूर्व विमानों द्वारा उत्तर पूर्व सीमान्त अभिरकरण में अनाज गिराने का काम अपने हाथ में लिया है तब से तीन विमान दुर्घटनायें हो चुकी हैं जब कि पहले जब साढ़े चार वर्ष तक यह काम एक गैर-सरकारी समवाय के हाथ में था केवल एक दुर्घटना हुई जब कि परिस्थितियां बहुत ही खराब थीं।

†**श्री मुहीउद्दीन** : माननीय सदस्य जो तुलना कर रहे हैं उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हम तो यह जानते हैं कि उस क्षेत्र में विमानों से अनाज गिराना बड़े जोखिम का काम है परन्तु देश सेवा के लिये वह भी करना पड़ता है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच नहीं कि गत ९ मास में उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण में तीन दुर्घटनायें हुई हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : १९५७-५८ में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन विमान की एक मामूली और एक बड़ी दुर्घटना हुई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि अनाज गिराते समय जो व्यक्ति दुर्घटना के शिकार हुए वे बम्बई में थे और उन्हें उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण का कोई अनुभव नहीं था ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : उन्हें अनुभव था । जब तक उस क्षेत्र में पाइलट प्रशिक्षण न पा चुका हो तब तक उसे इस क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाती ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह देखते हुए कि प्रत्येक वर्ष ऐसी विमान दुर्घटना हो जाती है सरकार ने इसके लिये क्या कार्यवाही की है कि अनाज गिराने के लिये विमान भेजने से पहले उस क्षेत्र के मौसम के हालात का पता लगा लिया जाये ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : हालात को सुधारने की पूरी अहत्यात और कोशिश की जा रही है । पाइलट को जानकारी देने से माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है यह मैं नहीं समझ सका । यदि उनका यह अभिप्राय हो कि अपेक्षित जानकारी ठीक तौर से नहीं दी जाती तो यह सही नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह सही बात नहीं है मेरा प्रश्न यह था कि मौसम के बारे में जानकारी न होने के कारण दुर्घटनायें होती हैं । मुझे पता चला था कि पिछली बार विमान दुर्घटना होने से पूर्व पाइलट उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण क्षेत्र में नहीं जाना चाहता था परन्तु उसे जाने के लिये मजबूर किया गया था इससे पता चलता है कि विमान को भेजने से पूर्व मौसम का ठीक प्रकार पता नहीं लगाया जाता है ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : मेरे ख्याल में यह जानकारी सही नहीं है कि पाइलट को जाने के लिये मजबूर किया गया था । विमान चालकों को मौसम के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है और जब मौसम ठीक नहीं होता तब विमान उड़ान नहीं लेता ।

†**श्री हेम बरुआ** : तब मौसम की पूरी जानकारी देने पर भी यह दुर्घटना कैसे हुई ? क्या विमान के उड़ान लेने के बाद मौसम में कोई परिवर्तन हुआ था और यदि हां, तो क्या उसकी सूचना विमान चालक को दे दी गई थी और क्या विमान के उड़ान लेने से पूर्व विमान चालक को वहां के मौसम के बारे में बताया गया था ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : इस दुर्घटना के कारणों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि इस विमान दुर्घटना के दो दिन बाद कलकत्ता से एक हैलीकाप्टर भेजा गया था ? यदि हां, तो हैलीकाप्टर ने क्या जानकारी एकत्र की थी और क्या वह उस स्थान तक पहुंच गया था ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : हेलीकाप्टर १५ मार्च को बचे हुए व्यक्तियों को लाने के लिये पहुंचा था और यह कार्य बड़ा सफल रहा । असल दुर्घटना की जांच दुर्घटनाओं के मुख्य निरीक्षक द्वारा की जा रही है जो वहां पहुंच गये हैं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : कुछ समय पूर्व आप ने यह आदेश दिया था कि जब कभी कोई रेल अथवा विमान दुर्घटना हो सरकार उसके बारे में वक्तव्य दिया करे । इस बार इस आदेश का पालन नहीं किया गया है हालांकि पांच व्यक्ति मर गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं यह स्पष्ट कर देता हूं । यह दुर्घटना १२ तारीख को हुई थी । शुक्रवार १३ मार्च को मैं वक्तव्य देना चाहता था परन्तु मेरे पास बचे हुए लोगों के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी और मैं अधूरी बात नहीं कहना चाहता था ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या इन पांच व्यक्तियों के सम्बन्धियों को कोई प्रतिकर दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण में विमान प्रवर्तनों के लिये प्रतिकर की विशेष व्यवस्था की गई है । इतनी जल्दी प्रतिकर तो नहीं दिया जा सकता परन्तु यथासमय दे दिया जायेगा । इस क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं के लिये काफी प्रतिकर दिया जाता है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : यह तो ठीक है कि परिवारों को प्रतिकर दिया जायेगा परन्तु क्या कोई तात्कालिक सहायता दी गई है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मालूम नहीं कि कोई तात्कालिक सहायता दिना आवश्यक था । यदि आवश्यकता होगी तो उस पर अवश्य विचार किया गया होगा । अभी मुझे यह सब मालूम नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं । कुछ लोग कहते हैं तो तुरन्त यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या प्रतिकर दे दिया गया है । सब लोग जानते हैं कि प्रतिकर दिया जायेगा । ये मामूली बातें होती हैं । जब तक यह पता न चले कि सरकार प्रतिकर नहीं दे रही है अथवा देने में विलम्ब कर रही है उस हालत में यह प्रश्न पूछना तो वाजब होता है ।

†**श्री हेम बरुआ** : दुर्घटना के दो दिन बाद हैलीकाप्टर क्यों भेजा गया था? पहले क्यों नहीं भेजा गया था ? सरकार ने यह निश्चय करने में इतना विलम्ब क्यों कर दिया ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : ऐसे क्षेत्र में हैलीकाप्टर को ले जाना कभी आसान नहीं होता । पहले उसे जोरहाट ले जाया गया था । वह १५ तारीख को वहां पहुंच गया और उसने लोगों को निकाला । बचे हुए लोगों को दुर्घटना स्थल से ट्यूगसांग के अस्पताल में लाया गया और वहां उनकी देखभाल की गई ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बिहार में चीनी के सहकारी कारखाने

†१४१२. **श्री झूलन सिंह** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार को आवंटित किये गये चीनी के सहकारी कारखानों की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से चल रहे चीनी के सहकारी कारखानों के गन्ना उत्पादकों को कितने लाभ का भुगतान किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) वह गन्ना उत्पादकों द्वारा विनियोजित की गई पूंजी का कितने प्रतिशत है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) अभी तक बिहार में चीनी का कोई सहकारी कारखाना नहीं खोला गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

चीनी के मूल्य पर नियंत्रण

१४१३. श्री विभूति मिश्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ जनवरी, १९५९ को भारतीय चीनी मिल्स संस्था ने सरकार से प्रार्थना की थी कि उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार और पंजाब में चीनी के कारखाने के मूल्य पर नियंत्रण हटा दिया जाये अथवा चीनी का मूल्य बढ़ा दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं किन्तु १५ जनवरी, १९५९ को नहीं ।

(ख) यह विषय विचाराधीन है ।

टिकटों की छपाई

†*१४१७. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि टिकटों पर स्टेशन का नाम और भाड़ा अंग्रेजी, हिन्दी और प्रादेशिक भाषा तीनों में छापा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट रेल का फाटक

†*१४१९. { श्रीमती सुचेता कृपालानी :
श्री ओंकार लाल :

क्या स्वास्थ्य मंत्री १० सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली के निकट रेल के फाटक पर भीड़ भाड़ को कम करने के लिये जो एक डाईवर्ज़न रोड का निर्माण किया जाने वाला था उस में क्या प्रगति हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) कोई प्रगति नहीं हुई क्योंकि वित्त के बारे में कुछ तय नहीं हुआ था। इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ख) आशा है कि निर्माण कार्य आरम्भ होने के लगभग डेढ़ वर्ष के बाद पूरा हो जायेगा।

नवद्वीप–शान्तिपुर रेलवे लाइन का बन्द किया जाना

†*१४२२. **श्री सुबिमन घोष** . क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के सियालदा डिवीजन के नवद्वीप—शान्तिपुर सैक्शन की मीटर लाइन को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उन्हें मालूम है कि इसे बन्द करने से लोगों को बड़ी कठिनाई होगी विशेष कर जब कि नवद्वीप और शांतिपुर दोनों तीर्थस्थान हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी) :** (क) स्पष्ट है कि माननीय सदस्य का संकेत पूर्व रेलवे की छोटी लाइन के शान्तिपुर-नवद्वीप घाट की ओर है। अभी इस लाइन को बन्द करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मनमाड में रेल का ऊपरी पुल

†*१४२३. { **श्री जाधव :**
श्री पांगरकर : }

क्या रेलवे मंत्री १८ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे पर मनमाड में रेल के ऊपरी पुल के निर्माण का पुनरीक्षित प्राक्कलन अब तैयार हो गया है।

(ख) क्या बम्बई सरकार से योजना को अनुमति और खर्च वहन करने की स्वीकृति प्राप्त की गई है ; और

(ग) कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) कार्य तभी आरम्भ हो सकता है जब बम्बई सरकार योजना और प्राक्कलन को स्वीकार कर ले।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब के लिये रासायनिक उर्वरक

†*१४२४. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५८–५६ और १६५६–६० के लिये पंजाब सरकार ने रासायनिक उर्वरक की कुल कितनी मांग की है ;

(ख) १६५८–५६ में कितना आवंटन किया गया है और १६५६–६० में कितना आवंटन किया जाने वाला है ; और

(ग) क्या इन राज्यों को कोई प्राथमिकता दी जाती है जो अधिक अनाज उपजाने की क्षमता रखते हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४**]

(ग) मांग और संभरण के अनुपात को देखते हुए संभरण किया जाता है ।

बर्मा से रेलवे स्लीपरों का आयात

†*१४२६. **श्री सुब्बया अम्बलम् :** क्या रेलवे मंत्री १७ दिसम्बर, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६४६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविदा की शर्तों के अनुसार बर्मा से रेल के स्लीपरों की सभी खेपें भारत में पहुंच चुकी हैं ;

(ख) कितने स्लीपर घटिया किस्म के थे अथवा बताये गये आकार प्रकार के नहीं थे ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) अभी स्लीपरों का निरीक्षण किया जा रहा है । अब तक जो निरीक्षण किया गया है उस में ६ प्रति शत से कम ऐसे हैं जो बताये गये आकार प्रकार के अनुसार नहीं हैं ।

(ग) संविदा की शर्तों के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

रेलवे में सतर्कता विभाग

†*१४३०. **श्री हरिश्चंद्र माथुर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५८ में प्रात्येक रेलवे क्षेत्र (ज़ोन) में सतर्कता विभागों की सिफारिश पर कितने पदाधिकारियों पर दोषारोपण लगाये गये हैं ;

(ख) उस में से कितनी राशि का मामला है ; और

(ग) दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) सब रेलवे विभागों में १७ पदाधिकारियों पर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). अभी यह बताना कठिन है कि कुल कितनी राशि के लिये इन पदाधिकारियों पर आरोप लगाया गया है । इन में से अधिकांश मामलों की जांच हो रही है ।

पदाल वृक्ष

†*१४३२. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पदाल वृक्ष बहुत होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्राय: वे कहां होते हैं ? ;

(ग) क्या इनकी तुलना साल से की जा सकती है ;

(घ) क्या बन लगाने में भी इनका प्रयोग किया जा रहा है ; और

(ङ) इन में किस प्रकार की इमारती लकड़ी प्राप्त होती है और इसकी उपयोगिता क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) यह सारे भारत में विशेषकर हिमालय के साथ-साथ के क्षेत्र में साल वृक्ष के साथ साथ होते हैं ।

(ग) जी नहीं।

(घ) अभी इसका अधिक प्रयोग नहीं किया गया है।

(ङ) इस से प्राप्त होने वाली लकड़ी पायदार नहीं होती और वह सख्त और खुरदरी होती है । इसका प्रयोग औज़ारों के हत्थे और मकान आदि बनाने के लिये कर के देखा जा सकता है ।

रेलों पर भोजन आदि के मूल्य

†*१४३३. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के एक ही क्षेत्र (जोन) में स्टेशनों पर भोजन आदि की दरों में बड़ा अन्तर है।

(ख) क्या विभागीय तौर पर चलाये जाने वाले रेस्तुरांओं और अल्पहारगृहों में भोजन आदि के मूल्य अधिक हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५**]

(ख) नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है । विभिन्न स्थानों पर वस्तुओं के मूल्य में अंतर और खाना घटिया या बढ़िया होने के कारण यह अन्तर रहता है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उचित मूल्य वाली दूकानों द्वारा गेहूं का संभरण

†*१४३४. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री अ० क० गोपालन : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित मूल्य वाली दूकानों पर बेचे जाने वाले गेहूं में स्टार्च कम होती है ;

(ख) क्या देहरादून नगरपालिका समिति ने स्वास्थ्य पदाधिकारी के कहने पर हाल ही में लखनऊ में कोई विश्लेषण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** (क) पौष्टिक तत्वों की दृष्टि से अनाज में "स्टार्च' को उतना महत्व नहीं दिया जाता और इस लिये उचित मूल्य वाली दूकानों पर बिकने वाले गेहूं में 'स्टार्च' की मात्रा का पता नहीं लगाया जाता ।

(ख) और (ग). जी हां । गत छः मास में २ नमूनों का विश्लेषण किया गया था उन में से कोई ऐसा नहीं था जो मनुष्य द्वारा उपयोग के उपयुक्त न हो । नमूनों में 'स्टार्च' की मात्रा निर्धारित नहीं की गई थी ।

मनीपुर राज्य परिवहन

†*१४३५. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर राज्य परिवहन पर सरकार के विभागीय नियम लागू होते हैं या कि उस उपक्रम में अलग नियम हैं ; और

(ख) क्या मनीपुर राज्य परिवहन को एक वाणिज्यिक उपक्रम घोषित करने की कोई प्रस्थापना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) इस समय मनीपुर राज्य परिवहन पर सरकारी नियम ही लागू होते हैं । इस संस्था के दैनिक कार्य के लिए एक अलग विभागीय नियम पुस्तक भी है ।

(ख) जी हां ।

मोटर गाड़ियों पर कर लगाने की एकरूप नीति

†*१४३६. **श्री झूलन सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ८ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मोटर गाड़ियों पर कर लगाने की एक रूप नीति बनाने और कर से होने वाली आय को विभिन्न राज्यों में कुछ निश्चित आधारों पर बांटने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** क्योंकि इस सुझाव से नीति संबंधी एक बहुत बड़ा मामला पैदा हो जाता है इस लिये अभी राज्य सरकार को इस बात के लिये राजी किया जा रहा है कि वह मोटर गाड़ियों पर लगाये गये विभिन्न करों को एक ही कर में शामिल कर के उसकी वसूली का काम एक ही अभिकरण को सौंप दे और उसका उच्चतम स्तर मद्रास की दरों का ७५ प्रतिशत निश्चित कर दे ।

तूफान एक्सप्रेस

*१४३७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९५८ से २८, फरवरी १९५९ तक की कालावधि में दिल्ली से कलकत्ता जाने वाली तूफान एक्सप्रेस कितनी बार समय पर चली ;

(ख) क्या यह सच है कि तूफान एक्सप्रेस सामान्यतः देरी से चलती है ; और

(ग) यदि हां, तो इसे ठीक समय पर चलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). इस अवधि में तूफान एक्सप्रेस गाड़ियां दिल्ली में ९८ बार और हावड़ा में १३१ बार ठीक समय पर पहुंची ।

(ग) रेल प्रशासन और रेलवे बोर्ड इस बात पर बराबर ध्यान दे रहे हैं कि तूफ़ान एक्सप्रेस गाड़ियां ठीक समय पर चलें । डिविज़नल और हेडक्वार्टर दोनों स्तरों पर और रेलवे बोर्ड के दफ्तर में भी इन गाड़ियों के आने-जाने पर पूरी निगरानी रखी जाती है और इनको समय पर चलाने के लिये हर कोशिश जारी रहेगी ।

बम्बई राज्य द्वारा तलकर्षकों (ड्रेजर्स) की मांग

†*१४३८. **श्री आसर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य सरकार ने पश्चिमी तट के छोटे पत्तनों के तलकर्षण के लिये और अधिक तलकर्षकों (ड्रेजर्स) की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो कितने तलकर्षक (ड्रेजर्स) भेजे गये हैं ; और

(ग) यदि अभी तक कोई नहीं भेजा गया है तो कब तक भेजा जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६]**

मैडिकल कालेजों में महिलाओं के लिये रक्षित स्थान

†*१४३९. **श्री जाधव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में यह विचार किया जा रहा है कि वहां के मैडिकल कलिजों में महिलाओं के लिये रक्षित स्थान कम कर दिये जायें ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से राज्य हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इसका पता लगाया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार कोई राज्य सरकार महिलाओं के लिये रक्षित स्थानों में कमी करने का विचार नहीं कर रही है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

दिल्ली में आयात किये हुये गेहूं का वितरण

†*१४४०. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में आयात किये हुए गेहूं के वितरण का ठेका एक सहकारी समिति को दे दिया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि व्यापारियो को इस प्रकार के गेहूं की बिक्री के परमिट कुछ प्रसंगेतर बातों को ध्यान में रखते हुए दिये जाते हैं।

(ग) क्या सरकार को इस सहकारी समिति के पदाधिकारियों के ख़िलाफ़ हिसाब-किताब में मनमानी करने की शिकायतें मिलीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) दिल्ली के ग्राम्य तथा शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं में वितरण के लिये सरकार ने कई रजिस्टर्ड सहकारी समितियों और दूकानों को आयात किये हुए गेहूं के कोटे दिये हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) एक सहकारी समिति के खिलाफ लगाये गये आरोप जांच करने पर झूठें सिद्ध हुए।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे कार्यालय में पटाखे का विस्फोट

†*१४४१. { **श्री संगण्णा :**
श्री नवल प्रभाकर : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में उत्तर रेलवे डिवीजनल सुपरिन्टेंडेन्ट के कार्यालय में १० मार्च, १९५९ को एक पटाखे का विस्फोट हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह पटाखा उस कार्यालय में कैसे पहुंचा ;

(ग) क्या उस कार्यालय में पहरा देने और रक्षा करने वाले कर्मचारी तैनात नहीं किये जाते ;

(घ) क्या इस से कोई हताहत हुआ ; और

(ङ) क्या इस दुर्घटना के लिये किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पता नहीं। स्थानीय पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल की इंटेलिजेंस ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है।

(ग) जी, हां, केवल गेटों पर तैनात रहते हैं ;

(घ) एक भी नहीं।

(ङ) जांच चल रही है।

उत्तर प्रदेश में सहकारी चीनी मिलें

†*१४४२. **श्री स० म० बनर्जी**: क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९-६० में उत्तर प्रदेश में कुछ और सहकारी चीनी मिलें चलायी जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कारखानों की संख्या कितनी है ; और

(ग) उनकी क्षमता कितनी होगी ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

परिवार नियोजन गवेषणा केन्द्र

†*१४४३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रव्यापी पैमाने पर जनसंख्या पर नियंत्रण करने की सम्मस्या पर गवेषणा के लिये क्या सरकार का विचार एक सुदृढ़ केन्द्रीय संस्था स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां किस प्रकार की गवेषणा की जायेगी।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). यह मसला विचाराधीन है।

मध्यवर्ती पत्तनों का विकास

†*१४४४. **श्री आसर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई सरकार ने बम्बई राज्य के पन्द्रह पत्तनों को मध्यवर्ती पत्तनों के रूप में विकसित करने की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो इन पत्तनों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या इन सभी पत्तनों का विकास कार्य सरकार ने आरम्भ किया है ;

(घ) किन-किन पत्तनों पर विकास कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ; और

(ङ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ङ). लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) और (ख). कुछ छोटे पत्तनों को मध्यवर्ती पत्तनों की श्रेणी में लाने के लिये कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन १८ छोटे पत्तनों को, जिन से वर्ष में पहले एक लाख टन या उस से अधिक माल आता-जाता था या जिन्हें अन्य कारणों से महत्व का माना गया था, उन्हें पिछले ७ वर्षों से मध्यवर्ती पत्तन माना जाता रहा है ताकि उनके प्रति उचित दृष्टिकोण अपनाया जा सके और छोटे पत्तनों में अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण पत्तनों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। इन १८ पत्तनों में से ६, अर्थात् ओखा, रत्नगिरी, मांडवी, भावनगर, वेरावल, पोरबन्दर, बेदी और नवलाखी बम्बई राज्य में स्थित हैं।

(ग) इन पत्तनों के विकास का कार्य पालन उत्तरदायित्व बम्बई सरकार में निहित है। ज्ञात हुआ है कि सरकार इन पत्तनों से संबंधित द्वितीय योजना में शामिल अधिकांश विकास कार्यों को पूरा कर रही है।

(घ) एक भी नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नही होता।

रेलवे के सवारी डिब्बों की खरीद

†२१८०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे के सवारी डिब्बे खरीदने में पिछले आठ वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रायें व्यय हुई हैं?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: रेलवे के सवारी डिब्बे खरीदने के लिये १९५०-५१ से १९५७-५८ तक के आठ वर्षों में किये गये भुगतान के अनुसार भारतीय रेलवे द्वारा १३.०७ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रायें व्यय हुई हैं।

नोट: इन आंकड़ों में वे सवारी डिब्बे शामिल नहीं हैं जो टी० सी० एम० या कोलम्बो योजना के अधीन सहायता के रूप में मिले हों या भारतीय रेलवे को छोड़कर अन्य सरकारी विभागों द्वारा खरीदे गये हों।

रेलवे-स्टेशनों पर खाने के सस्ते पैकेटों की बिक्री

†२१८१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाने के सस्ते पैकेटों की बिक्री के लिये प्रत्येक जोन के कौन-कौन से स्टेशन चुने गये हैं?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७]**

बहुप्रयोजनीय और बड़ी सिंचाई परियोजनायें

†२१८२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में अब तक कौन-कौन सी बहुप्रयोजनीय और बड़ी सिंचाई परियोजनायें पूरी हो गयी हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक राज्य में इस समय किन-किन बहुप्रयोजनीय और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर निर्माण कार्य हो रहा है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की और किन–किन नयी योजनाओं के संबंध में जांच हो रही है?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८**]

रेलवे माल डिब्बे तैयार करने वाले कारखाने

†२१८३. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री वभूति मिश्र :
श्री सिद्धनंजप्पा : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेल के माल डिब्बे बनाने वाले कुल कितने कारखाने हैं और इनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) १९५८ में भारत में कुल कितने माल डिब्बे बनाये गये; और

(ग) इसी अवधि में किस-किस देश से कितने-कितने माल डिब्बों का आयात किया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क)

कारखानों की संख्या		वार्षिक उत्पादन क्षमता
स्थापित हो चुके	विकसित होने वाले	
६	१०*	१७३७२

* इसमें वह एक कारखाना शामिल नहीं है जिसने माल डिब्बे बनाने के और आर्डर स्वीकार करना बन्द कर दिया है।

(ख) १३५८९ ।

(ग)

१. आस्ट्रिया	६६०
२. बेल्जियम	२९
३. जर्मनी	१५०
४. इटली	२८२
५. ब्रिटेन	४७१
जोड़	१५९२

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली और फुलेरा के बीच जनता गाड़ी

†२१८४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन मिले हैं कि दिल्ली और फुलेरा के बीच एक एक्सप्रेस या जनता गाड़ी चलायी जाय; और

(ख) यदि हां। तो उनपर क्या निश्चय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) यह अभ्यावेदन मिले हैं कि दिल्ली और फुलेरा के बीच रींगस होकर एक अतिरिक्त गाड़ी चलायी जाय।

(ख) इस सेक्शन पर इतना यातायात नहीं है जिससे एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना उचित प्रतीत हो।

बम्बई राज्य में गोशालाओं के लिये अनुदान

†२१८५. **श्री पांगरकर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि गोशालाओं के विकास के लिये १९५८-५९ में अब तक केन्द्रीय सरकार ने बम्बई राज्य को कितने अनुदान दिये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : गोशालाओं के विकास के लिये १९५८-५९ में केन्द्रीय सहायता के रूप में बम्बई राज्य को १.६५ लाख रुपयों की राशि आवंटित की गयी है।

बम्बई राज्य के लिये सिंचाई योजनायें

†२१८६. **श्री पांगरकर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई संबंध छोटे निर्माण-कार्यों के लिये १९५७-५८ में बम्बई राज्य को कितनी राशि आवंटित की गयी थी और वास्तव में कितनी व्यय हुई है; और

(ख) इन निर्माण कार्यों के फलस्वरूप कितनी भूमि में खेती आरम्भ हो गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) सिंचाई संबंधी छोटे निर्माण कार्यों के लिये १९५७-५८ में बम्बई राज्य को आवंटित की गयी राशि ३७०.४६ लाख रुपये थी।

राज्य सरकार द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार सिंचाई संबंधी छोटे निर्माण कार्यों पर १९५७-५८ में हुआ वास्तविक व्यय ३४३.०९ लाख रुपये का था।

(ख) प्राप्त जानकारी के अनुसार १९५७-५८ में सिंचाई संबंधी छोटे निर्माण कार्यों से १.४५ लाख एकड़ भूमि को लाभ पहुँचा।

बम्बई में उचित मूल्य वाली दूकानें

†२१८७. **श्री पांगरकर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की उचित मूल्य वाली दूकानों के कार्य के संबंध में १९५८-५९ में अब तक सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ये शिकायतें किस प्रकार की हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां।

(ख) शिकायतों में यह आरोप लगाया गया था कि---

(१) दूकानें अपर्याप्त हैं;

(२) स्टाक अपर्याप्त हैं और चावल कम दिया जाता है ;

(३) ज्यादा कीमत वसूल की जाती है;

(४) विहित मात्रा से अधिक अनाज बेचा जाता है ;

(५) दूकानदार नकदी की रसीद नहीं देते या झूठी रसीद देते हैं।

(६) आयात किया गया गेहूँ घटिया किस्म का है।

उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर यात्री-सुविधायें

†**२१८८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के निम्नलिखित सेक्शनों के स्टेशनों पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में किन-किन यात्री सुविधाओं का उपबन्ध किया गया:---

(१) अमृतसर-पठानकोट; और

(२) पठानकोट-जोगिन्दर नगर; और

(ख) किस प्रकार का निर्माण-कार्य किया गया और प्रत्येक निर्माण कार्य पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाजखां) : (क) और (ख). प्रथम पंचवर्षीय योजना में अमृतसर-पठानकोट और पठानकोट-जोगिन्दर नगर सेक्शनों पर जिन यात्री सुविधाओं का उपबन्ध किया गया उनका विवरण और लागत इस प्रकार है:---

अमृतसर-पठानकोट सेक्शन

	रुपये
१. बटाला---प्लेटफार्म को ऊँचा उठाना	१६,३२०
२. गुरदासपुर---प्लेटफार्म पर शेड डालना	१६,७१३
३. वरका---तृतीय श्रेणी का प्रतीक्षालय	१०,७६७
ऊँचा प्लेटफार्म	२६,१६३

पठानकोट-जोगिन्दर नगर सेक्शन

१. बैजनाथ पपरोला २. पालमपुर पंजाब ३. जोगिन्दर नगर	पानी छानने और उसमें क्लोरीन मिलाने वाला संयंत्र	४०,३८२
४. अनूर---४ खुड्डियों वाले शौच-गृह (		१७,४८

†मूल अंग्रेजी में

	रु०
५. पंच—नया फ्लैग-स्टेशन रुखी	४४,३६६
६. सल्ला—नया फ्लैग स्टेशन हाल्ट	३३,६८५
७. ज्वालामुखी रोड—पहले दर्जे का प्रतीक्षालय	८,११४
८. कांगड़ा—प्रतीक्षालय	१,६४२
६. नगरोटा से जोगिन्दर नगर—लकड़ी की बेंचे	३,७४३
१०. अनूर— } स्टेशन की इमारत ११. भारमूर }	१६,०००

मध्य रेलवे में माल डिब्बों का लादा जाना

†२१८६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५८-५६ में अबतक मध्य रेलवे के स्टेशनों पर उत्तर रेलवे के स्टेशनों के लिये प्रतिदिन औसतन कुल कितने माल-डिब्बे लादे गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: १अप्रैल, १६५८ से २८ फरवरी, १६५६ तक की अवधि में मध्य रेलवे के स्टेशनों से उत्तर रेलवे के स्टेशनों के लिये रोजाना औसतन १८७ बड़ी लाइन के और ६ मीटर लाइन के डिब्बे लादे जाते थे।

उड़ीसा में स्टेशनों पर बिजली लगाना

†२१६०. **श्री प्र० के० देव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उड़ीसा के उन स्टेशनों पर, जहां बिजली उपलब्ध है, बिजली लगाने वाली है,;

(ख) यदि हां, तो यह काम कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) अभी कितने और किन-किन स्टेशनों पर बिजली नहीं लगी है; और

(घ) १६५८-५६ और १६५६-६० में ऐसे कितने स्टेशनों पर बिजली लगने वाली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी हां, भारतीय रेलवे पर पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर।

(ख) से (घ). ऐसे आंकड़े प्रत्येक राज्य के आधार पर नहीं रखे जाते। यदि मांगे तो रेलवे जोनों या डिवीजनों/जिलों आदि के आधार पर इस प्रकार की जानकारी दी जा सकती है।

इंजनों का फेल हो जाना

†२१६१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

भारतीय रेलवेज की प्रत्येक रेलवे में प्रतिमास कुल कितने-कितने इंजन फेल हुए (गाड़ी खींचने में असमर्थ रहे);

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इंजनों के फेल हो जाने के क्या कारण थे; और

(ग) भविष्य में इंजनों को फेल होने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६]**

रेल-मार्ग के नीचे पड़ने वाली खानें

†**२१६२. श्री प्र० गं० देब** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में रेलवे लाइनों का जो जाल सा बिछा हुआ है उसके नीचे कितनी खानें पड़ती हैं;

(ख) इन खानों के कारण कितनी रेलवे लाइनों के गिर पड़ने का खतरा है ;

(ग) इस प्रकार के खानों को बन्द कराने के लिये सरकार को खानमालिकों को कुल कितना मुआवजा देना पड़ेगा; और

(घ) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : माननीय सदस्य का प्रयोजन संभवतः उन कोयला खानों से है जिन तक दक्षिण-पूर्व और पूर्व रेलवे जाती हैं। यदि हां, तो उत्तर इस प्रकार है:—

(क) ५१० ।

(ख) एक भी नहीं।

(ग) कुछ नहीं।

(घ) रेलवे की भूमि के नीचे अथवा उसकी ओर को बढ़ते आने वाले कार्य की निगरानी करने और उसका हिसाब रखने के लिये रेलवे ने धनबाद में एक खनन मंत्रणा संगठन बनाया है। कोयला समवाय जब भी सरकारी भूमि की ओर काम बढ़ाते हैं तो उन्हें भूमि अधिग्रहण खान अधिनियम, भारतीय खान अधिनियम और उन्होंने रेलवे के साथ जो करार किया है उसके भी अधीन रेलवे को इस बात की सूचना देनी पड़ती है। ऐसा नोटिस मिलने पर कोयला समवायों से यह कहा जाता है कि वे ऊपर की रेलवे की भूमि के लिये पर्याप्त आधार छोड़ दें।

चिदम्बरम् स्टेशन को नये नमूने का बनाना

†**२१६३. श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के चिदम्बरम् स्टेशन को नये नमूने का बनाने के लिये १६५६–६० में कुल कितनी राशि मंजूर की गयी है; और

(ख) उपर्युक्त स्टेशन को नये नमूने का बनाने का कार्य कब तक पूरा हो जायगा?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) इस कार्य के लिये १६५६-६० में २,३१,००० रुपयों के व्यय की व्यवस्था है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह कार्य १९६०-६१ में पूरा हो जाने की संभावना है।

असैनिक हवाई अड्डों पर विशिष्ट व्यक्तियों के लाउंज[1]

†२१९४. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक हवाई अड्डों में विशेष प्रतीक्षा-कक्ष विशिष्ट व्यक्तियों के लाउंजों के रूप में सुरक्षित रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो किस वर्ग के लोग उनका उपयोग कर सकते हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां। कुछ हवाई अड्डों पर कुछ विशेष प्रतीक्षा कक्ष होते हैं।

(ख) ये कक्ष प्रथमतः उच्च पदस्थ विदेशी महानुभावों के लिये होते हैं। जब ऐसे महानुभाव इनका उपयोग न कर रहे हों ऐसे समय अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति भी यदा-कदा उनका उपयोग कर सकते हैं।

उड़ीसा सरकार द्वारा चावल और धान की खरीद

†२१९५. **श्री पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा सरकार ने अपने हिसाब में की गयी खरीद के अलावा भारत सरकार के हिसाब में अब तक कितना-कितना चावल और धान खरीदा है;

(ख) भारत सरकार ने राज्य सरकार को अब तक इस खाते कितना पेशगी धन दिया है;

(ग) जनवरी, १९५९ के बाद से भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल को उड़ीसा से कुल कितने धान का संभरण किया है; और

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार प्रतिमन कितने भाव पर, यह चावल और धान केन्द्रीय सरकार से खरीद रही है; और

(ङ) पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में चावल और धान किस भाव पर बेच रही है?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) १३ मार्च, १९५९ तक उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के हिसाब में खरीदे गये चावल और धान का परिमाण निम्नलिखित है:—

चावल	५१,९०० टन
धान	२९,५०० टन

(ख) १२५ लाख रुपये।

(ग) उड़ीसा से पश्चिम बंगाल को अबतक जो २०,००० टन का आवंटन हुआ है उसमें से १३,१४० टन धान १३ मार्च, १९५९ तक पश्चिम बंगाल को भेजा जा चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]V.I.P. Lounges

(घ) उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के लिये जो खरीद की गयी है उसमें से अभी तक पश्चिम बंगाल को चावल नहीं दिया गया है। धान के लिये केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल से अपनी असली लागत[1] वसूल करेगी जो लगभग निम्नलिखित होगी :—

किस्म	भेजने वाले स्टेशन तक रेल पर्यन्त निःशुल्क बोरे में प्रतिमन भाव
सामान्य	१०.२५ रुपये
बढ़िया	१०.७५ रुपये
बहुत बढ़िया	११.४५ रुपये

(ङ) रूपभेदित राशन योजना के अधीन पश्चिम बंगाल में धान उपभोक्ताओं को नहीं दिया जाता। चावल चाहे जहां से मिला हो, उसे चावल की किस्म और सरकारी गोदाम से वितरण केन्द्र की दूरी के आधार पर ४४ से ५८ नये पैसे तक प्रतिसेर के भाव से बेचा जाता है।

लक्कदीव द्वीपसमूह में अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी केन्द्र

†२१९६. **श्री नल्लाकोया:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कदीव द्वीपसमूह के आन्द्रोथ द्वीप में एक अन्तरीक्ष विज्ञान संबंधी केन्द्र की स्थापना करने और अमीन दीवी वाले केन्द्र का स्तर ऊँचा उठाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, हां।

(ख) आन्द्रोथ द्वीप में एक सतही अन्तरीक्ष विज्ञान वेधशाला के और अमीन दीवी में एक मिले जुले सतही और पाइलट बैलून वेधशाला की स्थापना के लिये उपयुक्त स्थान चुनने के लिये प्रारम्भिक सर्वेक्षण फरवरी–मार्च, १९५८ में किया गया था। लेकिन इन वेधशालाओं का निर्माण तत्काल आरम्भ नहीं किया जा सकता क्योंकि इन दोनों द्वीपों में से किसी में भी अभी तार संचार की ऐसी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं जिनसे भारत की मुख्य भूमि के मौसम संबंधी भविष्य वाणी करने वाले कार्यालयों को वहां से पर्यवेक्षण संबंधी आँकड़े प्रेषित किये जा सकें।

बम्बई राज्य के लिये सिंचाई योजनायें

†२१९७. **श्री पांगरकर :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री १९ फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४९९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में बम्बई राज्य की बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये निर्धारित किये गये १४.६० करोड़ रुपयों में से वास्तव में कितनी राशि खर्च की गयी थी ; और

(ख) उन योजनाओं के परिणामस्वरूप कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकी है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) १९५७-५८ में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर कुल १२.२८ करोड़ रुपये खर्च किये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Economic cost

(ख) १९५७-५८ में कुल लगभग १,३८,००० एकड़ भूमि की सिंचाई की गयी थी, जबकि कुल २,२१,००० एकड़ भूमि की सिंचाई क्षमता थी ।

नागपुर में दन्तचिकित्सा कालेज

†२१९८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नागपुर में दन्तचिकित्सा कालेज की स्थापना संबंधी प्रस्थापना की इस समय क्या स्थिति है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** बम्बई सरकार ने नागपुर में दन्तचिकित्सा कालेज की इमारत बनाने के लिये आवश्यक योजना तथा प्राक्कलन मंजूर कर दिये हैं और काम शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा । इमारत तैयार हो जाने पर शीघ्र ही कालेज प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

रेलवे में अपराध

†२१९९. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन चलती हुई गाड़ियों तथा स्टेशन यार्डों में होने वाली हत्याओं डाके, तथा चोरियों के मामलों के संबंध में स्वयं पूरा-पूरा रिकार्ड रखता है, याकि वह इन आंकड़ों के लिये राज्यों के पुलिस विभागों पर निर्भर करता है ;

(ख) क्या यह आंकड़े प्रति वर्ष के अनुसार रखे जाते हैं या कि वित्तीय वर्ष के अनुसार ; और

(ग) १९५८ में इस प्रकार के कितने मामले हुये थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) चलती हुई गाड़ियों और स्टेशन यार्डों में होने वाली चोरियों के मामलों के आंकड़े तो रेलवे प्रशासन द्वारा रखे जाते हैं, परन्तु हत्याओं और डाके के तथा अन्य प्रकार के फौजदारी मामलों के आंकड़े राज्य पुलिस विभाग द्वारा रखे जाते हैं क्योंकि वे मामले 'विधि तथा व्यवस्था' के मामले हैं और उनका संबंध राज्य सरकारों से है ।

(ख) वे आंकड़े पत्री वर्ष के अनुसार रखे जाते हैं ।

(ग) १९५८ में निम्नलिखित मामले हुये थे :—

हत्या	डाके	छोटी चोरी	बड़ी चोरी
४४	२६	९३८	१०,९५१

उत्तर प्रदेश में गेहूं, आटा आदि की कीमतें

†२२००. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने १ जनवरी, १९५९ से आटा, सूजी और मेदे के भाव निर्धारित कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार के परामर्श से वैसे भाव निश्चित किये गये हैं ; और

(ग) क्या गेहू के भाव भी निश्चित कर देने के संबंध में कोई संभावना है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार द्वारा गेहूं की वस्तुओं के मिलों के भाव निश्चित किये गये थे और उन्हीं मूल्यों के आधार पर राज्य सरकारों ने उचित मूल्य की दूकानों पर फुटकर बिक्री के लिये कीमतें निश्चित की हैं।

(ग) उचित मूल्य वाली दुकानों से गेहू की बिक्री के लिये कीमतें निर्धारित की जा चुकी हैं।

दिल्ली में पुरस्कार वितरण

२२०१. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में प्रति एकड़ अच्छी और अधिक उपज के लिये वर्ष १९५८-५९ में पुरस्कारै वितरण के लिये कुछ राशि नियत की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उन किसानों के नाम क्या हैं, जिन्हें ये पुरस्कार दिये गये ; और

(ग) खेती के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त करने वालों की अर्हताओं का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्र

२२०२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम और नरेला स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों ने दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन केन्द्रों के लिये इमारतें बनाई गई हैं ; और

(घ) इन इमारतों पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). पालम स्वास्थ्य केन्द्र की इमारत पूरी हो चुकी है और केन्द्र ने कार्य शुरू कर दिया है।

नरेला स्थित स्वास्थ्य केन्द्र ने अभी तक कार्य शुरू नहीं किया है। नरेला में केन्द्र की इमारत पूरी हो चुकी है लेकिन परिशोधी सेवाओं की व्यवस्था अभी होनी है।

		रुपये
(घ)	(१) पालम	२,१०,१२०
	(२) नरेला	३,०९,५५३

मारवाड़, भीमल और भिलडी के बीच गाड़ियां

†२२०३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारवाड़, भीमल और भिलडी के बीच कितनी गाड़ियां चलती हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या वे गाड़ियां गांधीधाम तक भी जाती हैं ; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उस क्षेत्र में बहुत कम गाड़ियां चलती हैं और उन में किराया तथा भाड़े के दर बहुत ऊंचे हैं जिनके कारण उस क्षेत्र के विकास पर बुरा असर पड़ रहा है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) हर तरफ एक-एक गाड़ी चलती है।

(ख) नम्बर २ ज० एस० बी० समदरी–भिलड़ी सवारी गाड़ी का भिलड़ी स्टेशन पर नम्बर ६५ अप पालनपुर-गांधीधाम तेज सवारी गाड़ी से मेल होता है। (नम्बर २ जे० एस० बी० वहां पर २०.२५ बजे पहुचती है और नम्बर ६५ अप गाड़ी वहां से ००.३६ बजे चलती है।) दूसरी दिशा में नम्बर १ जे० एस० बी० भिलड़ी--समदरी सवारी गाड़ी जो कि भिलड़ी से ००.४० बजे चलती है, उसका नम्बर ६६ डाऊन गांधीधाम-पालनपुर तेज सवारी गाड़ी से कोई मेल नहीं होता जोकि भिलड़ी स्टेशन पर ०३.११ बजे पहुंचती है।

नम्बर १ जे० एस० बी० का ६६ डाऊन से भिलड़ी स्टेशन पर मेल कराने के लिये उसे लगभग ३ घंटे देरी से चलाना संभव नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में नम्बर १ जे० एस० बी० समदरी स्टेशन पर ९.३० के स्थान पर लगभग १२.३० बजे पहुंचेगी और वहां पर बारमेर जाने वाली गाड़ी नम्बर १ जे० जे० बी० (यह समदरी से १०.२३ बजे चलती है), और जोधपुर जाने वाली गाड़ी नम्बर ३ जे० जे० बी० (यह समदरी से १०.१० बजे चलती है) से मेल न कर सकेगी।

६६ डाऊन को भी गांधीधाम से लगभग ३ घंटे पहले अर्थात् १८.४० बजे की अपेक्षा १५.४० बजे चलाना संभव नहीं है। क्योंकि उस स्थिति में वह गांधीधाम स्टेशन पर १८.०८ बजे पहुंचने वाली नम्बर २४७ अप भूज-न्यू कांडला सवारी गाड़ी से मेल न रख सकेगी और फिर ६६ डाऊन पालनपुर में ४.५६ बजे की अपेक्षा ०१.५६ बजे पहुंचेगी और इस प्रकार से अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों को वहां पर ३ अप दिल्ली अहमदाबाद एक्सप्रैस के लिये तीन घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जोकि पालनपुर से ७.४४ बजे चलती है।

(ग) जी, नहीं।

उड़ीसा में फलों के उद्यान

†२२०४. **श्री पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ९ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में फलों के उद्यानों का विकास करने के लिये उड़ीसा सरकार द्वारा १९५६-५७ में किस प्रकार की योजना प्रस्तुत की गयी थी ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूरी मिल जाने पर भी राज्य सरकार ने वित्तीय कठिनाइयों के कारण उस योजना को प्रारम्भ करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०**]

(ख) वह योजना वास्तव में प्रारम्भ नहीं की गयी थी क्योंकि राज्य सरकार को अतिरिक्त अन्न के उत्पादन के लिये अन्य अधिक महत्वपूर्ण योजनायें प्रारम्भ करनी पड़ गयीं थीं।

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में बाढ़ नियन्त्रण योजनायें

†२२०५. **श्री पाणिग्रही :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में बाढ़ नियत्रंण योजना के अधीन १९५६-५७ में ५९.०५ लाख रुपयों की केन्द्रीय सहायता और १९५७-५८ में ४५.०० लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता से कौन-कौन सी परियोजनायें प्रारम्भ की गयी थीं ;

(ख) क्या १९५८-५९ में बाढ़ नियन्त्रण योजना के लिये उड़ीसा सरकार को कोई केन्द्रीय सहायता दी गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या-क्या परियोजनायें प्रारम्भ करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) १९५६–५७ में बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के लिये उड़ीसा सरकार को केन्द्र की ओर से ६५ लाख रुपयों का ऋण दिया गया था, न कि ५९.०५ लाख रुपयों का ऋण जैसा कि प्रश्न में बताया गया है। उस वर्ष राज्य सरकार द्वारा बाढ़, नियन्त्रण संबंधी ६५ योजनायें प्रारम्भ की गयी थीं। उनमें दो नदी अनुसंधान योजनायें, ३३ बांध बनाने की योजनायें, १८ जल निस्सारण संबंधी योजनायें, ११ भूमि कटाव की रक्षा करने की योजनायें और बाढ़ स्तर से गांव को ऊपर उठाने की एक योजना सम्मिलित है।

१९५७-५८ में केन्द्र की ओर से ४५ लाख रुपयों का ऋण मंजूर किया गया था। उस वर्ष १३२ नयी योजनायें प्रारम्भ की गयी थीं। उनमें १०४ बांध बनाने की योजनायें, १९ जल निस्सारण योजनायें, १ अनुसंधान योजना और भूमि की कटाव से रक्षा करने की ८ योजनायें सम्मिलित हैं।

(ख) बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के लिये उड़ीसा सरकार को १९५८-५९ के लिये ३० लाख रुपयों की राशि मंजूर की गयी है।

(ग) १९५८–५९ में उड़ीसा सरकार ने १८ नयी योजनायें प्रारम्भ की हैं। उनमें १३ बांध बनाने की योजनायें, एक जल निस्सारण योजना और ४ भूमि कटाव की रोक थाम करने की योजनायें सम्मिलित हैं।

प्रादेशिक प्रयोगशालायें

†२२०६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न प्रदेशों में स्थानीय संसाधनों के शीघ्रता से एक समान विकास करने और उनका उपयोग करने की दृष्टि से प्रादेशिक प्रयोगशालायें स्थापित करने की योजना इस समय किस स्थिति में है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** संभवत: माननीय सदस्य कुछ एक फसलों के संबंध में गवेषणा कार्य प्रारम्भ करने के लिये देश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किये जाने वाले प्रादेशिक गवेषणा केन्द्रों की ओर निर्देश कर रहे हैं। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी स्थिति इस प्रकार है :—

१. कपास, तिलहनों और जुआर बाजरा के सम्बन्ध में प्रादेशिक गवेषणा को गति देने की परियोजना।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुल १७ प्रस्थापित केन्द्रों में से ८ केन्द्रों में काम प्रारम्भ हो गया है। शेष ९ केन्द्रों के संबंध में राज्य सरकारों से स्थान आदि के संबंध में फैसला होते ही, उन्हें भी स्थापित कर दिया जायेगा।

२. मक्का अभिजनन योजना

योजना के निर्धारित १३ केन्द्रों और उपकेन्द्रों में से १२ में काम प्रारम्भ हो गया है। शेष १ केन्द्र में भी काम आगामी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

३. मुख्य फलों के सम्बन्ध में गवेषणा-कार्य को गति देने की योजना।

फलों के संबंध में गवेषणा-कार्य चलाने के लिये कुल १८ प्रादेशिक केन्द्र तथा उप-केन्द्र स्थापित करने का विचार किया गया है। उसके लिये केन्द्र द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के बारे में विचार किया जा रहा है। आशा है कि इस बारे में फैसला होने पर शीघ्र ही कार्यान्विति का काम प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

पटसन सम्बन्धी सम्मेलन

†२२०७. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पटसन के उत्पादकों को पटसन की उचित मूल्य देने के लिये उपाय ढूंढने के लिये छः राज्यों, भारत के राज्य बैंक और सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) उक्त सम्मेलन ने क्या-क्या सिफारिशें की थीं ; और

(ग) सरकार ने उनके संबंध में क्या-क्या निर्णय किया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) पटसन के वास्तविक उत्पादकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये पटसन की सहकारी समितियों द्वारा बिक्री करने, पटसन को गोदामों में रखने और उसे तैयार करने के संबंध में हुई प्रगति पर पुनर्विचार करने के लिये १२-१-५९ को कलकत्ता में एक सम्मेलन हुआ था।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि सम्मेलन में क्या-क्या निर्णय किये गये थे। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११]**

(ग) सम्मेलन के सुझाव सामान्य प्रकार के हैं। उन्हें कार्यान्वित करने का काम विभिन्न अभिकरणों द्वारा किया जा रहा है।

एक अल्प कालीन उपाय के रूप में राज्य व्यापार निगम ने आसाम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल से सहकारी समितियों के द्वारा पटसन खरीदने की एक योजना प्रारम्भ की थी। सम्मेलन में दिये गये सुझाव को ध्यान में रखते हुये अब निगम ने उक्त चार राज्यों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा से भी पटसन खरीदना स्वीकार कर लिया है।

सम्मेलन के सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय से विशेष रूप से यह सिफारिश की है कि जूट मार्केटिंग एंड प्रोसेजिंग सोसाइटीज़ को वित्तीय सहायता दी जाये। राष्ट्रीय सहकारिता

†मूल अंग्रेजी में

विकास तथा भांडागार बोर्ड प्रोसेसिंग सोसाइटीज़ को वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ताकि वे समितियां प्रविधिक व्यक्तियों को रोजगार दे सकें। सहकारी समितियों को सहायता देने के लिये केन्द्रीय सहकार राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा भाण्डागार बोर्ड को अधिक से अधिक राशि दे रहे हैं। १९५८–५९ में राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा भाण्डागार बोर्ड को १०० लाख रुपये मंजूर किये गये थे और यह विचार है कि १९५९–६० में २०० लाख रुपये मंजूर किये जायें। पटसन उत्पादन राज्यों में कोआपरेटिव मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग सोसाइटीज़ को इस राशि से पर्याप्त लाभ होगा।

बर्दवान स्टेशन पर उपरी पुल

†२२०८. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५८ में पूर्व रेलवे के बर्दवान स्टेशन से लगभग ३० लाख यात्रियों का (वहां से केवल गुजरने वाले यात्रियों को छोड़कर) आना जाना हुआ था ;

(ख) क्या उन्हें ज्ञात है कि यात्रियों को आने जाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है क्योंकि वहां का ऊपरी पुल बहुत तंग है और उसके आधे भाग में कोई छत नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ;

(घ) क्या यह सच है कि जिस समय हावड़ा-वर्दवान लाइन पर बिजली से गाड़ी चलनी प्रारम्भ हुई थी, उस समय पुल को नया रूप नहीं दिया गया था ; और

(ङ) उक्त पुल के उत्तरी भाग के मध्य में कितनी चौड़ाई है और उसकी कुल कितनी लम्बाई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) १९५८ में वर्दवान स्टेशन पर लगभग २७ लाख यात्रियों का आना जाना हुआ था।

(ख) यात्री कुछ असुविधा का अनुभव कर रहे हैं।

(ग) पुल के तंग भाग के स्थान पर खुला मार्ग बनाने और उस पर छत लगाने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है।

(घ) जी, हां ।

(ङ) चौड़ाई ४ फुट १० इंच है और कुल लम्बाई १४७ फुट है।

बेलानगर स्टेशन पर यात्री यातायात

†२२०९. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे पर जब से बेलानगर स्टेशन खुला है, तब से लेकर आजतक प्रत्येक मास में कितना साधारण यात्रियों और कितने मासिक टिकटधारी यात्रियों का उस स्टेशन पर आना जाना हुआ है ; और

(ख) उस स्टेशन पर कितनी मासिक आय होती है और स्टेशन की देखभाल पर कितना व्यय होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) बेलानगर स्टेशन २३–११–१९५८ में खोला गया था। उस समय से लेकर आज तक वहां पर आने और जाने वाले यात्रियों की संख्या निम्नलिखित है :—

	यात्रियों की संख्या		मासिक धारी	टिकट-यात्री
	आने वाले	जाने वाले		
नवम्बर १९५८ (२३-११-५८ से ३०-११-१९५८ तक)	४६८	१६३१	शून्य	
दिसम्बर, १९५८ . .	६९४	१९५०	१५५	
जनवरी, १९५९ . . .	७०९	२०१७	१८२	

(ख) इस स्टेशन पर होने वाली मासिक आय और स्टेशन की देखभाल करने पर होने वाला व्यय इस प्रकार है :—

मासिक आय

	रुपये
नवम्बर, १९५८ (२३-११-५८ से ३०-११-५८ तक)	२४०.४३
दिसम्बर, १९५८	९९६.६०
जनवरी, १९५९	१०८१.४४
कर्मचारियों पर तथा स्टेशन की देखभाल पर आने वाला मासिक खर्चा (जिसमें गाड़ियों के ठहराने पर आने वाला खर्च सम्मिलित नहीं है)	७१२

टेलीफोन एक्सचेंज, बर्दवान

†२२१०. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार महानिदेशक द्वारा बर्दवान (पश्चिमी बंगाल) में टेलीफोन एक्सचेंज के विस्तार के लिये एक इमारत बनवाने की मंजूरी दी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो वह मंजूरी कब दी गयी थी; और

(ग) निर्माण-कार्य अभी तक प्रारम्भ न करने के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). जी, नहीं। इमारत बनवाने का काम तो टेलीफोन एक्सचेंज की विस्तार परियोजना का एक भाग है। अक्तूबर, १९५६ में मूल परियोजना को मंजूरी दे दी गयी थी जिसके अनुसार २५० लाइन वाले नान-मल्टिपल एक्सचेंज के स्थान पर ३०० लाइन वाला मल्टिपल एक्सचेंज बनाया जाना था। इमारत के लिये ९९,००० रुपयों की मंजूरी दी गयी थी। वर्तमान योजना यह है कि ५०० लाइनों वाला एक्सचेंज बनाया जाये। वास्तविक प्राक्कलन के अनुसार इमारत की लागत भी बढ़ कर १.५२ लाख रुपये हो गई है।

(ग) नयी योजना के लिये मंजूरी दी जा रही है। निर्माण-कार्य परियोजना तथा निर्माण सम्बन्धी प्राक्कलन मंजूर कर देने के बाद प्रारम्भ किया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

गैर-विभागीय टेलीफोन आपरेटर

†२२११. **श्री सुबिमन घोष : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल, मद्रास और दिल्ली में डाक तथा तार विभाग के कितने गैर-विभागीय टेलीफोन ओपरेटर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन ओपरेटरों में से उन को, जिनकी कुल सेवा दो वर्षों की और लगातार सेवा एक वर्ष की हो गयी है, नियमित टेलीफोन ओपरेटरों के रूप में नियुक्त किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उनमें से कितने लोग अभी तक नियमित रूप में नियुक्त नहीं किये गये हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि उन कर्मचारियों को, जो कि उक्त शर्तों को पूरा नहीं करते, काम से अलग कर दिया गया है। यद्यपि उन्हें छोटी ग्रेड में नियुक्त कर लिया जाना चाहिये था;

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के कितने कर्मचारी हैं; और

(च) सरकार उनकी किस प्रकार से सहायता करने का विचार रखती है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) इस समय गैर-विभागीय टेलीफोन ओपरेटरों की संख्या निम्न लिखित है :—

पश्चिमी बंगाल	१६४
मद्रास	६५
दिल्ली	८

(ख) जी, हां। वे गैर-विभागीय टेलीफोन ओपरेटर, जिन्होंने १–२–५८ तक एक वर्ष तक लगातार काम किया हो, अथवा कुल २ वर्ष तक काम किया हो, कुछ शर्तों के अधीन नियमित टेलीफोन ओपरेटरों के रूप में नियुक्त किये जा सकते थे।

(ग)	पश्चिमी बंगाल	१४६
	मद्रास	७६
	दिल्ली	७
	कुल	२२६

(घ) जी, नहीं। जैसा कि सामान्य आदेशों में बताया गया है, जहां भी संभव है, उन्हें दूसरी नौकरी देने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया गया है।

(ङ)	पश्चिमी बंगाल	१४
	मद्रास	८२
	दिल्ली . . .	७

†मूल अंग्रेजी में

(च) उन्हें कोई और नौकरी दिलाने का पूरा पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। यदि कोई खाली स्थान न हुआ या किसी और नौकरी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, तो उस स्थिति में उन के बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकेगा।

सरकारी क्षेत्र में विद्युत संयंत्र की स्थापना

†२२१२. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंच वर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में एक विद्युत् संयंत्र स्थापित करने के लिये कोई फैसला किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) और (ख). तृतीय पंचवर्षीय योजना में विद्युत् संयंत्र की स्थापना के कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

अनाज का तस्कर व्यापार

२२१३. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में दिल्ली से कितने व्यक्ति चोरी छिपे अनाज बाहर ले जाते हुए पकड़े गये; और

(ख) यह तस्कर व्यापार सामान्यत: किन किन नाकों पर होता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) ४३३।

(ख) चोरी छिपे माल ले जाने के लिये रेल के अतिरिक्त निम्न मार्ग हैं :

१. जी० टी० रोड।

२. लूनी रोड।

३. पटपड़गंज रोड।

४. मथुरा रोड।

५. गुड़गांव रोड।

त्रिपुरा में चावल और धान का समाहार

†२२१४. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिरातिया चावल और धान के अतिरिक्त त्रिपुरा में वर्ष १९५७–५८ और १९५८–५९ में अब तक कितने चावल और धान का स्थानीय रूप से समाहार किया गया है और १९५९–६० में स्थानीय रूप से कितनी मात्रा के समाहार किये जाने का अनुमान है;

(ख) त्रिपुरा में किन क्षत्रों में समाहार किया जा रहा है और किया जायेगा;

(ग) यह समाहार एजेंटों द्वारा किया जा रहा है या स्थानीय सहकारी समितियों द्वारा; और

(घ) समाहार के भाव क्या हैं और क्या यह भाव उत्पादन-लागत से कम हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) त्रिपुरा में समाहार के आकड़ों को पत्री वर्ष के आधार पर इकट्ठा किया जाता है। वर्ष १९५८ में चावल और धान की निम्नलिखित मात्रा समाहार किया गया :—

चावल	लगभग १७,४०० मन
धान	लगभग ६,६०० मन

१९५९ में अमन चावल और धान की निम्नलिखित मात्रा के समाहार किये जाने की आशा है :—

चावल	३,००० मन
धान	५०० मन

(ख) समाहार के सामान्य क्षेत्र ये हैं :

बेलोनिया सब-डिवीजन	शान्तिर बाजार, जुलायबाडी, बेतगा और लौगंग ।
धर्म नगर सब-डिवीजन	उप्ताखील, धर्मनगर पानीसागर और तिलथई।
कैलाशहर सब-डिवीजन	समरूपाड़ा, मूर्तिपाड़ा, बंगुति, मंगुरुलिया, तिल्लाबगर, जुआजनगर, सोनेमुरी, फटिकराय, दालुगोओं, कंचन बाड़ी, चौमानेर, करनचेरा और चैलेंगता ।
कमालपुर सब-डिवीजन	हालाहली, माणिकमंडर और सलेमा ।
सबरूम सब-डिवीजन	मानु और गोराकापा ।

(ग) साधारणतः समाहार सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। जिन स्थानों पर यह संभव नहीं है, वहां व्यापारियों को एजेंट नियुक्त कर दिया जाता है।

(घ) त्रिपुरा में चावल के लिये समाहार मूल्य १३ रुपये से १६ रुपया प्रति मन तक है और उसी के अनुसार धान के मूल्य हैं। उत्पादन-लागत का ठीक पता लगाना कठिन है।

रेलवे लाइनों का जीर्णोद्धार

२२१५. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्न रेलवे लाइनों के जीर्णोद्धार का कार्य शीघ्र ही आरम्भ करने का विचार है :

(१) बरेली-पीलीभीत-डालीगंज रेलवे लाइन (पूर्वोत्तर रेलवे);

(२) पीलीभीत-टनकपुर रेलवे लाइन (पूर्वोत्तर रेलवे);

(ख) क्या यह सच है कि बरेली-पीलीभीत-डालीगंज लाइन की मरम्मत के पश्चात् जो गर्डर बचेंगे वे पीलीभीत-टनकपुर लाइन पर लगाये जायेंगे;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस समय केवल बरेली से लखीमपुर तक की लाइन ही बनाई जा रही है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो उस पर अनुमानतः कितना धन व्यय होगा और यह काम कब से आरम्भ होगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) (१) जी, हां।

(२) इस पर विचार किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं। पीलीभीत-टनकपुर सेक्शन के गर्डरों को इस समय बदलने की जरूरत नहीं है।

(ग) और (घ), रेल-पथ के नवीकरण का काम बरेली-भोजीपुरा सेक्शन में फरवरी, '५८ में और डालीगंज-लखीमपुर सेक्शन में जून, '५८ में शुरू हुआ और दोनों सेक्शनों में काम हो रहा है। लखीमपुर और भोजीपुरा के बीच १९५९–६० में काम शुरू होगा। बरेली और डालीगज के बीच काम पर कुल २.७ करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।

कोयम्बटूर में खाद्यान्न विक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही

†२२१६. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि कोयम्बटूर के उन खाद्यान्न विक्रेता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है जिसने जनवरी, १९५९ के दूसरे सप्ताह में खाद्य उपमंत्री से मैदा के लिये सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य मांगा था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : सम्बन्धित विक्रेता को कोयम्बटूर जिले के कलेक्टर द्वारा कारण बताने के लिये एक नोटिस दिया गया था और विक्रेता का उत्तर विचाराधीन है। इस मामले में मद्रास सरकार द्वारा शीघ्र ही फैसला किये जाने की आशा है।

गाड़ियों में स्नान करने की सुविधायें

†२२१७. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९ से गाड़ियों में तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये स्नान करने की सुविधाओं की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे पदाधिकारियों के लिये सैलूनों का रक्षण

†२२१८. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन में रेलवे पदाधिकारियों के लिये कितने सैलून और डिब्बे रक्षित हैं; और

(ख) उसी डिवीजन में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कितने मिले-जुले डिब्बे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जिन गाड़ियों का रेलवे पदाधिकारी प्रयोग करते हैं उनको 'इस्पैक्शन कैरिज' कहा जाता है। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन में रेलवे पदाधिकारियों के लिये रक्षित इस्पैक्शन कैरिज का कुल सख्या निम्न प्रकार है :

	बड़ी लाइन	छोटी लाइन
बोगी इस्पैक्शन कैरिज	१	३
चार पहिये वाला इस्पैक्शन कैरिज	१६	..

(ख) फिरोजपुर डिवीजन में केवल बड़ी लाइन की केवल प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी की मिलीजुली बोगी कैरिज (डिब्बा) है।

रेलवे प्लेटफार्मों पर वस्तु विक्रेता

†२२१६. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के अम्बाला-अमृतसर सेक्शन पर रेलवे प्लेटफार्मों पर कुछ अनधिकृत वस्तु विक्रेताओं को आने दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) किसी भी अनधिकृत वस्तु विक्रेता को नहीं आने दिया जाता है। परन्तु उन में से कुछ बिन आज्ञा और नियमों के विरुद्ध कार्य करते हैं।

(ख) रेलवे प्लेटफार्मों पर बिना लाइसेंस वाले वस्तु विक्रेताओं के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही संलग्न विवरण में दी गयी है :

विवरण

१. निम्नलिखित कार्यवाही, जो अभी चल रही है, जारी रखी जायेगी :

(१) विशेषतः बड़े स्टेशनों पर रेलवे पुलिस की सहायता से विशेष छापा मारना।

(२) रेलवे सुरक्षा बल के सैनिकों समेत स्टेशन कर्मचारियों द्वारा रेलवे भवन में बिना लाइसेंस वाले 'वेंडरों' के प्रवेश को रोकने की ओर ध्यान देना।

(३) लाउडस्पीकरों द्वारा जनता को बिना लाइसेंस वाले 'वेंडरों' से सामान न खरीदने के लिये कह कर उन का सहयोग प्राप्त करना।

२. रेलवे भवन में किसी भी वस्तु के अनधिकृत रूप से बेचने पर जुर्माने को ५० रुपये से बढ़ा कर २५० रुपये तक बढ़ा देने का भी प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय राजपथों पर पुल

†२२२०. **श्री पांगरकर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदनगर और जलगांव जिलों (बम्बई राज्य) में राष्ट्रीय राजपथों पर कितने पुल बनाये जा चुके हैं; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि में उपरोक्त जिलों में राष्ट्रीय राजपथों पर कितने पुल बनाये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) अहमद नगर जिला — कोई नहीं।

(पूना-नसिक रोड, राष्ट्रीय राजपथ संख्या ५०)

(ख) जलगांव जिला

(राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ का धूलिया-इदलाबाद, नागपुर, रोड सेक्शन)

(ख) अहमदनगर जिला — १

जलगांव जिला — कोई नहीं।

करजात स्टेशन के समीप गाड़ी का पटरी से उत्तर जाना

†२२२१. **श्री आसर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० जनवरी, १९५९ को मध्य रेलवे पर करजात और लोनावला स्टेशनों के बीच एक गाड़ी पटरी से उतर गयी थी;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण थे;

(ग) क्या यह सच है कि यद्यपि गाड़ी पटरी से उतर गयी थी, फिर भी अधिकारियों द्वारा पूना और बम्बई वी० टी० से गाड़ियों को उसी लाइन पर जाने दिया गया और यात्रियों को करजात और लोनावला स्टेशनों पर २४ घंटे तक कष्ट दिया गया;

(घ) क्या यह भी सच है कि २४ घंटे तक प्रतीक्षा करने के बाद गाड़ियों को मन्माड के रास्ते भेजा गया;

(ङ) यदि हां, तो गाड़ी के पटरी से उतरने के बाद आरम्भ से ही गाड़ियों को दूसरे रास्ते से न भेजने के क्या कारण हैं;

(च) यात्रियों को हुई असुविधा और कठिनाई के लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायी हैं; और

(छ) उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) २९-१-५९ को रात्रि के लगभग ११ बज कर ४२ मिनट पर जब संख्या आर ३० अप माल गाडी चल रही थी, गाड़ी का एक माल डिब्बा मध्य रेलवे के करजात-लोनावला सेक्शन पर ठाकुरवाडी और पलासधारी स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गया ।

(ख) दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं। गाड़ियों को उसी लाइन पर नहीं छोड़ा गया जिस पर दुर्घटना हुई थी। अतः यात्रियों को हुई कठिनाई का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जो गाड़ियां दुर्घटना के समय से पहले छूट चुकी थीं, उन के सम्बन्ध में, लाइन के साफ होने तक, दुर्घटना स्थल के दोनों ओर स्टेशनों पर उचित व्यवस्था कर दी गयी थी।

(घ) दुर्घटना के कारण किसी भी गाड़ी को मन्भाड के रास्ते से नहीं भेजा गया।

(ङ) से (छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

गाड़ियों में स्थानों का रक्षण

†२२२२. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टर्मिनस स्टेशनों पर रेलवे में सीटों के अनियमित और फर्जी बुकिंग को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)**: (क) एक विवरण सलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२]**

(ख) गाड़ियों में सीटों के अनियमित और फर्जी रक्षण के बारे में कुछ मामलों का पता लगा है ।

हर मामले में जांच की गयी है अथवा की जा रही है और जहां कहीं रेलवे कर्मचारियों को दोषी पाया गया है, उन के विरुद्ध उचित कार्यवाही की गयी है ।

भारत में मोटर गाड़ियों का यातायात

†२२२३. **श्री रघुनाथ सिंह**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में ३१ दिसम्बर, १९५८ को राज्य-वार कितनी मोटर साइकिलें, आटो-रिक्शा, जीप, प्राइवेट मोटर-कार, टैक्सियां, बसें, सामान ढोने वाली गाड़ियां और अन्य विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियां चल रही थीं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियों की संख्या जिन पर कर लगाया गया है और वे मोटर गाड़ियां जो कर से मुक्त हैं और अस्थायी रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में प्रयोग में न लाई गयी गाड़ियों की संख्या के बारे में वार्षिक आंकड़े केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों से एकत्र किये जाते हैं जो कि जानकारी देने में पर्याप्त समय लेती हैं । वर्ष १९५६-५७ के बारे में उपलब्ध नवीनतम जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १३]**

पंजाब में डाक तथा तार भवन

†२२२४. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के उन कस्बों के क्या नाम हैं जहां डाक तथा तार घर विभाग के अपने भवनों में हैं ; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि में डाक तथा तार विभाग का किन स्थानों पर अपने भवन बनाने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर में प्रशासकीय यूनिट

†२२२५. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) मनीपुर प्रशासन द्वारा खोली गयी ग्यारह प्रशासकीय यूनिटों के क्या नाम हैं ; और

(ख) 'उन सदर-मुकामों के क्या नाम हैं जहां पर सब-डिप्टी कलेक्टर और सब-डिवीजनल पदाधिकारी रखे जायेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख)

प्रशासकीय यूनिटें	सदर मुकाम
१. न्यू चुरा चांदपुर सर्किल	न्यू चुराचांदपूर
२. नुंगशाई सर्किल	नुंगशाई
३. थांगलोन सर्किल	टिंगसांग
४. वंगाई सर्किल	एन्डा पाबंग
५. उखरूल सर्किल	उखरूल
६. फईसात सर्किल	फुंगयार
७. चिंगाई सर्किल	चिंगाई
८. तामेंगलांग सर्किल	तामेंगलांग
९. ताउसम खुलन सर्किल	ताउसम
१०. ऐमोल सर्किल	ऐमोल

तेंगनौपाल सब-डिवीजन में ग्यारहवें यूनिट का सदर मुकाम अभी अन्तिम रूप से नहीं चुना गया है ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर रेलवे टेक्निकल कर्मचारी

†२२२६. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में विकास-कार्य क्रम को बढ़ाने के लिये रेलवे टेक्निकल कर्मचारियों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का रूरकेला में इस्पात कारखाने से सम्बद्ध एक रेलवे टेक्निकल स्कूल की स्थापना करने का प्रस्ताव है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) रेलवे के पास पर्याप्त टेक्निकल स्कूल हैं ।

रेलवे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार

†२२२७. **श्री अरविंद घोषाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिये रेलवे यनियनों के कार्मिक संघ पदाधिकारियों की सहायता ली गयी थी ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रिंग रोड नई दिल्ली, पर रोशनी की व्यवस्था

†२२२८. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सर्फदरजंग अस्पताल और लाजपतनगर (नई दिल्ली) के बीच रिंग रोड पर रात्रि में देर तक यातायात रहता है और वहां पर रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) इस सड़क पर कब तक बिजली लगाये जाने का प्रस्ताव है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** (क) जी, हां ।

(ख) विषय परीक्षणाधीन है और मामले के तथ्य सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

नई व्यवस्था के अधीन रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति

†२२२६. **श्री बि० दास गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नयी व्यवस्था के अधीन पदों की क्रमोन्नति के परिणामस्वरूप दक्षिण-पूर्व रेलवे के अद्रा जिले में कितने रेलवे कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है ;

(ख) क्या सभी मामलों में पदोन्नति की गयी है ;

(ग) यदि नहीं, तो कितने मामले अभी बाकी हैं और कितने दिनों से बाकी है; और

(घ) उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) ३७५ ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) ३१ मामले, लगभग १५ मास से ।

(घ) पदोन्नति क्रियान्वित करने में देरी का कारण यह है कि कर्मचारी क्रमोन्नत पदों का प्रभार लेने के लिये स्थानांतरण आदेशों का शीघ्रता से पालन नहीं कर रहे हैं ।

गाड़ी निरीक्षक

†२२३०. **श्री गोरे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अपरेन्टिस-मेकेनिकों का, जिन्हें गाड़ी निरीक्षक (ट्रेन एग्ज़ामिनर) का प्रशिक्षण दिया गया था, वेतन क्रम कम क्यों कर दिया गया था ;

(ख) क्या दुर्घटना जांच समिति ने इस बात की सिफारिश की है कि पर्यवेक्षी पदों पर शिक्षित और टेक्निकल प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति-जैसे प्रशिक्षित गाड़ी निरीक्षक—रखे जाय ; और

(ग) यदि हां, तो इस सिफारिश को क्रियान्वित करने में रेलवे बोर्ड द्वारा क्या पग उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) उनका वेतन क्रम कभी कम नहीं किया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

"माल-डिब्बों का अधिकाधिक उपयोग" आन्दोलन[1]

†२२३१. **श्री ओंकार लाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में सब भारतीय रेलवे में "माल डिब्बों के अधिकाधिक उपयोग" आंदोलन के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : यद्यपि रेलवे का सदा ही यह ध्येय रहा है कि समस्त चल-स्टाक के, जिसमें माल-डिब्बे भी शामिल हैं, जल्दी जल्दी फेरे (टर्न राउन्ड) लगें, फिर भी प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के अन्तिम दो वर्षों में माल यातायात में यकायक वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप माल-डिब्बों के (टर्न राउन्ड) में सुधार करने के लिये १९५६ में एक आंदोलन शुरू किया गया था । इन दो वर्षों में माल यातायात में पहले वर्ष की अपेक्षा ८ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पहले दो वर्षों में ४ प्रतिशत और १ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । आगे इस आंदोलन की आवश्यकता इसलिये हुई कि यातायात में इस असमान्य वृद्धि का सामना करने के लिये अतिरिक्त लाइनों और चल-स्टाक की व्यवस्था करने में दो से तीन वर्ष तक लग सकते थे और यह मुनासिब समझा गया कि अतिरिक्त लाइनों और चल-स्टाक की व्यवस्था होने तक मौजूदा चल-स्टाक का ही अधिकाधिक उपयोग करके बढ़े हुये यातायात की मांग कुछ हद तक पूरी की जाये ।

२. १९५८ तक द्वितीय योजना के लगभग दो वर्ष गुजर चुके थे । अतिरिक्त माल-डिब्बों देने और मौजूदा माल-डिब्बों के अधिकाधिक उपयोग से माल लादने की बाकी मांग काफी हद तक कम हो गयी । १९५७ और १९५८ के अन्त में माल-डिब्बों के बाकी रजिस्ट्रेशन के बारे में तुलनात्मक आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

	३१–१२–५७ को	३१–१२–५८ को
	माल-डिब्बे	माल-डिब्बे
बड़ी लाइन . .	६३,३३२	२१,८९१
मीटर लाइन .	३३,२४१	४०,९५०

क्योंकि समूचे यातायात का ७५ प्रतिशत से भी अधिक माल बड़ी लाइन पर लादा जाता है, अतः यह स्पष्ट है कि बड़ी लाइन पर बाकी मांग को अधिक महत्व दिया जाता है । मीटर लाइन पर वृद्धि मुख्यतः पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे वाले क्षेत्र में पटसन की अधिक फसल के कारण हुई है ।

३. रेलवे लाइनों के नवीकरण, लाइनों को दोहरा करने, नये स्टेशन बनाने, यार्डों का नवनिर्माण करने आदि के इंजीनियरिंग कार्यों के चालू होने के कारण माल-डिब्बों के आने जाने की गति १९५७ की तुलना में १९५८ में कुछ धीमी पड़ गई थी । यह हालत तब तक जारी रहेगी जब तक कि विकास कार्यों का जोर कायम रहेगा और जब तक कि उन सेक्शनों पर पर्याप्त माल-डिब्बे उपलब्ध न हो जायेंगे जिन पर कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास-कार्यों के फलस्वरूप यातायात बढ़

†मूल अंग्रेजी में

[1]Work the wagons harder 'Campaign'.

रहा है। तथापि, यह स्पष्ट है कि १९५८ में आन्दोलन के उद्देश्य काफी हद तक पूरे हुए हैं क्योंकि माल लाने ले जाने के लिये बाकी मांग कम हो गयी है।

४. चल-स्टाक, जिस में माल-डिब्बे शामिल हैं, के 'टर्न राउन्ड' में सुधार के लिये आन्दोलन पर रेलवे समय समय पर विद्यमान परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, पूर्ण और सतत ध्यान दे रही है।

रेलवे चिकित्सा सहायता नियम

†२२३२. **श्री ओंकार नाथ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को रेलवे चिकित्सा सहायता नियमों के लिये विकल्प दिया जाता है जब कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को कोई विकल्प नहीं दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां।

(ख) रेलवे से इस कार्यालय में पदाधिकारी थोड़े समय के लिये लिये जाते हैं। रेलवे से जो तृतीय श्रेणी के कर्मचारी लिये जाते हैं उनको सामान्यतः दीर्घ काल के लिये नियुक्त किया जाता है अतः उन से उसी प्रकार व्यवहार किया जाता है जिस प्रकार बोर्ड के कार्यालय में सीधी भरती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों से किया जाता है।

मन्माड स्टेशन

†२२३३. **श्री जाधव :** क्या **रेलवे** मंत्री ७ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के मन्माड स्टेशन के निचले प्लेटफार्म के विस्तार कार्य में कितना काम किया गया है; और

(ख) क्या मन्माड रेलवे यार्ड के नव-निर्माण का कार्य वर्ष १९५९–६० में आरम्भ किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) कुछ नहीं। इस कार्य को वर्ष १९५९–६० में करने वाले कार्यों की सूची में सम्मिलित कर दिया गया है और यह आशा है कि यह कार्य १९५९–६० में पूरा हो जायेगा।

(ख) जी नहीं।

राज्यों को उर्वरक ऋण

†२२३४. **श्री पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ से १९५८–५९ तक की अवधि में केन्द्रीय सरकार ने किन राज्यों को उर्वरक ऋण दिये हैं;

(ख) उपरोक्त कालावधि में प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि का ऋण दिया गया;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) केन्द्रीय सरकार को उन से कितना ब्याज लेना बाकी है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसे ऋणों का भुगतान अस्थगित कर दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो किस तिथि तक अस्थगित किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १५]**।

(ग) अल्पकालीन ऋण पर सामान्यतः ३ १/८ प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लिया जाता है। तथापि यह इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार भाव क्या है और राज्य सरकारों ने कितने समय तक ऋण रखा है। ब्याज सम्बन्धित नियंत्रक महालेखापालों द्वारा इकट्ठा कर दिया जाता है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मद्रास राज्य में क्षय को रोकना

†२२३५. **श्री इलयापेरूमाल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य को १९५८–५९ में क्षय रोग को रोकने के लिये कुल कितना धन दिया गया है; और

(ख) क्या मद्रास सरकार ने और अधिक सहायता की प्रार्थना की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १९५८–५९ में क्षय रोग को रोकने के लिये मद्रास में स्वेच्छिक क्षय रोग संस्थाओं को २२,३४० रुपयों का अनुदान दिया गया है। मद्रास सरकार को निम्नलिखित योजनाओं के अधीन रोग पर नियंत्रण करने के लिये २,५३,००० रुपयों की मंजूरी की गयी है :

१. क्षय रोगियों के लिये बाद की देख भाल और उन को बसाने के केन्द्र ।
२. क्षय रोगियों के लिये पृथक बिस्तरों की व्यवस्था ।
३. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ।
४. बी० सी० जी० टीका आन्दोलन ।

उपरोक्त प्रत्येक योजना के लिये पृथक पृथक रूप से दिये गये धन के बारे में जानकारी नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

छोटी सिंचाई योजनायें

†२२३६. **श्री इलयापेरूमाल : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटी सिंचाई योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा चालू वर्ष में केरल, मद्रास, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: चालू वर्ष में केरल, मद्रास, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के लिये छोटी सिंचाई योजनाओं समेत उनकी अधिक अन्न उगाओ योजनाओं के लिये निम्नलिखित खर्च की मंजूरी दी गयी है :

	(रुपये लाखों में)
१. केरल	६२.६५
२. मद्रास	१४५.६३
३. मैसूर	१७५.५६
४. आन्ध्र प्रदेश	२०६.४०

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में कर्मचारी

†२२३७. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में इस समय नियोजित कर्मचारियों को स्थायी करने का फैसला कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो फैसले को कार्य रूप देने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) यह कब लागू होगा; और

(घ) इस फैसले के परिणामस्वरूप कुल कितने कर्मचारियों को लाभ होगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) से (ग). जी हां। सामान्य सरकारी नीति के अनुरूप खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में अनेक अस्थायी पदों को स्थायी बना दिया गया है। आवश्यक औपचारिकता पूरी करने के पश्चात् इन पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है।

(घ) उपरोक्त फैसले के फलस्वरूप खाद्य विभाग और इस के अधीन कार्यालयों में लगभग २२४० अस्थायी कर्मचारियों को लाभ होगा। कृषि विभाग के बारे में यह जानकारी एकत्र की जा रही है ।

गोबर की रेलवे भाड़ा दर में कमी

†२२३८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड को बम्बई सरकार से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें बम्बई राज्य से तट-दूर स्टेशनों[1] को ले जाने वाले गोबर पर भाड़ा दरों में कमी करने को कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Up-Country Stations.

(ख) बम्बई सरकार ने (१) पश्चिम रेलवे के बोरिवली, अन्धेरी और गोरे गांव (और मिल्क साइडिंग) स्टेशनों से और (२) मध्य रेलवे के कुरला स्टेशन से बैगनों में लादी जाने वाली गोबर की खाद को बम्बई से २०० मील के अन्दर अन्दर स्थित पश्चिम और मध्य रेलवे के किसी भी स्टेशन पर भेजने के दर में ५० प्रतिशत कमी करने को कहा है।

(ग) बम्बई सरकार की प्रार्थना मंजूर कर ली गयी है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों की भर्ती

†२२३९. **श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९५८–५९ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को क्लर्कों, टिकट क्लेक्टरों और अन्य ऐसे ही पदों पर भर्ती करने के लिये रेलवे प्रशासन को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं;

(ख) उसी कालावधि में भारत में चुनाव (सेलेक्शन) के लिये कितने प्रार्थी पदाधिकारियों के सम्मुख पेश हुए; और

(ग) उन में से कितने अब तक चुने जा चुके हैं और अपने पदों पर नियुक्त किये जा चुके हैं?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां।

(ख) ६४२८।

(ग) चुने गये-२५८३

नियुक्त किये गये-९१२

गुड़

२२४०. **राजा महेन्द्र प्रताप :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुड़ पर वायदे के सौदे करना कब तक के लिये बन्द कर दिया गया है?

†**खाद्य तथा कृषिमंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** गुड़ के वायदे के सौदों को नियमित करने के लिये वायदा सौदे (नियमन) अधिनियम, १९५२ की धारा १५ के अन्तर्गत आदेश दिये गये हैं। उपरोक्त अधिनियम के अधीन, फारवर्ड मारकेट कमीशन द्वारा सस्थाओं की मान्यता सम्बन्धी औपचारिकता पूरी हो जाने पर वायदे के सौदे फिर से आरम्भ हो जायेंगे।

वाणिज्यिक विमान चालकों का प्रशिक्षण

†२२४१. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने वाणिज्यिक विमान चालकों ने असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद से, केन्द्र के स्थापित होने से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक, डकोटा चलाने के समेत प्रक्षिक्षण पाठ्यक्रम पास किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ३१ दिसम्बर, १९५८ तक ऐसे कितने विमान-चालकों को इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन या अन्य गैर-सरकारी उड्डयन उपक्रमों में लगा लिया गया है;

(ग) इलाहाबाद केन्द्र में इस समय कितने प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पा रहे हैं; और

(घ) क्या उनकी नौकरी के बारे में सरकार के सम्मुख कोई योजना है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) लगभग २६० ।

(ख) २४६ ।

(ग) ८० ।

(घ) जी, नहीं । प्रशिक्षणार्थियों को विमान परिवहन संचालकों के पास नौकरी ढूंढनी पड़ती है ।

दक्षिण रेलवे पर ऊपरी पुल

†२२४२. **श्री इलया पेरूमाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास राज्य की चिदाम्बरम् नगरपालिका से दक्षिण रेलवे में कोठा-नकुट्टी-पलामन रोड के समीप रेलवे लाइन को पार करने के लिये एक ऊपरी पुल बनाने के लिये कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे बोर्ड में अनुसूचित जातियों के पदाधिकारी

†२२४३. { **श्री नवल प्रभाकर** :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री दलजीत सिंह : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड में अनुसूचित जातियों के कितने गजेटेड पदाधिकारी हैं; और

(ख) वे किन-किन पदों पर हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ६ ।

(ख) विशेष कार्य अफसर (श्रम)	(दर्जा १)—१
उप निदेशक (सिब्बन्दी)[1]	(दर्जा १)—१
सेक्शन अफसर ग्रेड २	(दर्जा १)—२
सेक्शन अफसर ग्रेड ३	(दर्जा २)—२

†मूल अंग्रेजी में

[1]Establishment.

रामपल्ली में 'हाल्ट' स्टेशन

†२२४४. **श्री दोरा:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के सलूर और बोब्बिली स्टेशनों के बीच रामपल्ली में एक 'हाल्ट' स्टेशन खोलने में क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** वहां पर रेल की पटरी के साथ साथ एक प्लेटफार्म और एक 'वेटिंग शेड' पहले ही है। एक ठेकेदार की नियुक्ति के बारे में बातचीत चल रही है और 'हाल्ट' स्टेशन से जारी करने के लिय टिकट छप रहे हैं।

आशा है कि 'हाल्ट' स्टेशन पर यात्री यातायात इस वर्ष के मध्य तक आरम्भ हो जायेगा ?

बम्बई राज्य के रत्नगिरि जिले में जड़ी बूटियां

२२४५. **श्री आसर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जड़ी-बूटी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये बम्बई राज्य के रत्नगिरि जिले में जड़ी-बूटियों के बारे में सर्वेक्षण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब आरम्भ होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

गांधी स्मारक न्यास द्वारा कोढ निरोधक कार्य

†२२४६. **श्री कोरटकर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी स्मारक न्यास को कोढ निरोधक कार्यों के लिये कोई वित्तीय सहायता दी जाती है; और

(ख) इस अनुदान से न्यास द्वारा किये गये कोढ निरोधक कार्य की क्या मुख्य बातें हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) १९५५-५६ से १९५८-५९ तक के वर्षों में ५३,००० रुपयों के अनुदान की मंजूरी दी गयी।

(ख) कोढ-नियंत्रण यूनिटों की स्थापना, कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा, कोढ-निरोधक कार्य में व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना, कोढ के बारे में जनता को जानकारी देना इत्यादि।

अनाज

२२४७. **राजा महेन्द्र प्रताप :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में देश में अनाज की कितनी खपत हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : देश में १९५८ में अनाज की खपत का ठीक ठीक अनुमान लगाने के लिये विश्वासनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में सिंचाई कार्य

†२२४८. **श्री दलजीत सिंहः** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में हिमाचल प्रदेश में सिंचाई कार्यों के लिये कितना धन मंजूर किया गया है; और

(ख) १९५८–५९ में अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) १९५८–५९ में हिमाचल प्रदेश में बड़े और छोटे सिंचाई क्षेत्रों में सिंचाई कार्यों के लिये कोई धन मंजूर नहीं किया गया है क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसी भी बड़ी या छोटी सिंचाई योजना को सम्मिलित नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर रेलवे में आउट-एजेंसियां

†२२४९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में इस समय कितनी आउट-एजेन्सियां कार्य कर रही हैं;

(ख) १९५८–५९ में कितनी आउट-एजेन्सियों को रद्द किया गया; और

(ग) निकट भविष्य में कितनी आउट-एजेन्सियां खोली जायेंगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ४६ ।

(ख) १ ।

(ग) ५ ।

उत्तर रेलवे पर स्टेशनों का निर्माण

†२२५०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ और १९५९-६० में उत्तर रेलवे पर चन्डीगढ़, कीरतपुर साहिब, आनन्दपुर साहिब और नांगल डैम रेलवे स्टेशनों का नव-निर्माण करने के लिये कितना धन आवंटित किया गया है; और

(ख) इन स्टेशनों में से प्रत्येक पर क्या-क्या सुधार किये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). इस समय इन स्टेशनों के नव-निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, एक विवरण संलग्न है जिसमें इन स्टेशनों पर किये जाने वाले कार्यों की सूची दी गयी है और वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में पूर्वानुमानित खर्च बताया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १६**]

अमृतसर-कलकत्ता मेल में भोजन-यान

†२२५१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५ अप और ६ डाउन अमृतसर–कलकत्ता मेल में कोई भोजन-यान नहीं लगाया जाता;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यात्रियों की सुविधा के लिये इस मेल के साथ एक भोजन-यान लगाने का प्रस्ताव है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां।

(ख) गाड़ियों पर इस समय जो भार है उससे उनके साथ भोजन–यान नहीं लगाया जा सकता। वर्तमान भीड़-भाड़ को देखते हुए यह उचित नहीं प्रतीत होता कि भोजन-यान लगाने के लिये यात्रियों के स्थान में कमी की जाये।

यात्रियों की आवश्यकताएं रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों पर विद्यमान भोजन व्यवस्था से पूरी हो जाती है।

(ग) जी, नहीं।

कानपुर-झांसी लाइन पर सवारी गाड़ियां

२२५२. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे की कानपुर–झांसी शाखा लाइन पर एक नई सवारी गाड़ी चलाने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब से चलाई जायेगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) १-४-१९५९ से कानपुर और झांसी के बीच दोनों ओर से एक-एक और सवारी गाड़ी चलायी जायेगी।

व्यापारिक फसलें

†२२५३. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में देश में खाद्यान्न वाले क्षेत्र की तुलना में व्यापारिक फसलों वाले क्षेत्र में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) हाल ही के वर्षों में खाद्यान्न और व्यापारिक फसलें दोनों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे स्लीपर

†२२५४. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ढलवां लोहे के रेलवे स्लीपरों का सम्भरण करने के लिये १९५५-५६ और १९५६-५७ में भारत में विभिन्न फाउन्ड्रियों (ढलाई घरों) को आर्डर दिये गये;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन फाउन्ड्रियों के क्या नाम हैं जिनको आर्डर दिये गये और दोनों वर्षों में पृथक-पृथक रूप से कितनी मात्रा के आर्डर दिये गये और प्रत्येक वर्ष में प्रति टन क्या भाव स्वीकार किये गये;

(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न फाउन्ड्रियों को उनकी आवश्यकता का ७५ प्रतिशत तक कच्चा लोहा नियंत्रित दरों पर दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो दोनों वर्षों में विभिन्न फाउन्ड्रियों को पृथक रूप से कितना कच्चा लोहा दिया गया?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १७]**

(ग) और (घ). पूरी जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है और इकट्ठी की जा रही है।

आंध्र प्रदेश में सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के लिये इस्पात

†**२२५५. श्री रामी रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्याप्त इस्पात और लोहे की कमी के कारण आन्ध्र प्रदेश में कौन-कौन सी परियोजनाओं को पूरा करने का काम रोक दिया गया है ;

(ख) १९५८-५९ में सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के लिये आन्ध्र प्रदेश को लोहे और इस्पात का कितना अभ्यंश आवंटित किया गया है ;

(ग) अब तक कितनी मात्रा दी जा चुकी है;

(घ) पूरे अभ्यंश के न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) पूरा अभ्यंश कब तक दिया जायेगा?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) राज्य सरकार ने बताया है कि इस्पात की कमी के कारण निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं पर काम रोक दिया गया है;

१. कृष्णा बैरेज ।

२. अपर पेन्नार ।

३. चेन्नारायागुडी परियोजना ।

४. मैरावनिटिप्पा ।

५. लोअर सागिलेरू परियोजना ।

६. पिंचा परियोजना ।

७. राल्लापाद परियोजना ।

(ख) और (ग). आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथाशीघ्र सभा को बता दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी): **उठे**––

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने माननीय सदस्य के स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है।

†**श्री प्र० के० देव :** मेरा निवेदन है कि वहां भूख हड़ताल के कारण बड़ा गम्भीर वातावरण पैदा हो गया है.......

†**अध्यक्ष महोदय :** लेकिन आप वैसा वातावरण यहां उत्पन्न न करें। सभा में कुछ इस प्रकार की भावना फैलती जा रही है कि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति न दिए जाने पर भी माननीय सदस्य यहां पर उसे उठाने का प्रयत्न करते हैं। मैं कई बार यहां कह चुका हूं कि यदि माननीय सदस्य मेरे निर्णय से सन्तुष्ट नहीं हों, तो वे मेरे पास आकर अनुमति न देने के कारण पूछ सकते हैं। इस मामले में माननीय सदस्य ४-१५ बजे मेरे कमरे में आकर मुझ से मिल सकते हैं। यदि मैं ठीक समझूंगा तो कल अथवा किसी अन्य दिन इस प्रश्न को उठाने की अनुमति दूंगा। एक बार जब मैं अपना निर्णय दे दूं तो फिर सभा में इस प्रश्न को उठाना उचित नहीं है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश का संशोधन

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा):** मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक ७ मार्च, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २८२।

(२) दिनांक ७ मार्च, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २८३।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—१३०८/५९]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं घी एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:––

(१) दिनांक ९ मार्च, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या २८९।

(२) दिनांक ९ मार्च, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २९०।

(३) दिनांक ९ मार्च, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २९१, जिसमें चावल तथा धान (केरल) मूल्य नियंत्रण आदेश १९५९ दिया हुआ है।

(४) दिनांक १० मार्च, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २९२, जिसमें उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमा पर लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध आदेश, १९५९ दिया हुआ है।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—१३०९/५९]

---

†मूल अंग्रेजी में

विधेयक पर राय

†**श्री रघुवीर सहाय** : (बदायूं): श्रीमान्, मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिसको सभा ने ५ सितम्बर, १६५८ को राय जानने के लिए परिचालित किया था, रायों का पत्र संख्या ४ सभा पटल पर रखता हूं ।

तारांकित प्रश्न संख्या के ११४७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : श्रीमान, ब्रिटिश शिपयार्ड मिशन की सिफारिशों पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी किए गए एक नोट के बारे में श्री स० चं० सामन्त के एक अनुपूरक प्रश्न का मैंने जो उत्तर दिया था उसे मैं शुद्ध करना चाहता हूं । मुझे पता लगा है कि हाल में ही पश्चिम बंगाल सरकार से इस विषय के सम्बन्ध में एक पत्र मिला है । पत्र में दी गई बातों की ओर अन्तः विभागीय समिति का ध्यान आकृष्ट कराया गया है ।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं सोमवार, २३ मार्च, १६५६ के आरंभ होने वाले सप्ताह में लिए जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं । इस सप्ताह में निम्नलिखित मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर विचार तथा मतदान होगा :—

(१) सिंचाई और विद्युत

(२) स्वास्थ्य

(३) सूचना और प्रसारण, और

(४) इस्पात, खान और ईंधन

अनुदानों की मांगें

गृह-कार्य मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा में कल प्रस्तुत की गई गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों तथा उन पर प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों पर चर्चा पुनः आरंभ होगी । श्री पद्म देव अपना भाषण जारी रखें ।

श्री पद्म देव (चम्बा) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल यह निवेदन कर रहा था कि आज हमारे गृह मंत्रालय का कार्य संचालन एक सुयोग्य, चतुर, दीर्घदर्शी, धृतिवान, दयालु, वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध नायक के हाथ में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पद्म देव]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कल यहां यह बात कही गयी थी कि आज बूढ़े लोगों को कष्ट दिया जा रहा है और उन से यह बड़ा भार संचालन कराया जा रहा है । अगर कुश्ती का काम होता तब तो मैं सहमत हो जाता कि हम को इन वृद्ध लोगों को कष्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन यहां तो बुद्धि का काम है और कहा गया है कि 'बुद्धिर्यस्य बलम् तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम्'। जहां तक बुद्धि है वहीं शक्ति है । और शासन के लिये इस शक्ति की आवश्यकता है जो हमारे नेताओं के पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद है । न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः बूढ़े लोगों का पार्लियामेंट में होना यह देश के लिए सौभाग्य की बात है ।

इस मंत्रालय के नेतृत्व में अनेक समस्याओं का हल हुआ है । जो देश जीवित हैं, जो व्यक्ति जीवित हैं वे समस्यापूर्ण हैं और वह समस्याओं को हल करता है, और नई समस्यायें जीवन में उत्पन्न होती रहती हैं । दुःख वहां पर होता है जब कि समस्याओं को हल करने के लिये कोई किसी किस्म का विचार न हो ।

यहां पर इस मंत्रालय के संबंध में बहुत सी बातें कही गयीं । यह कहा गया कि इस में पक्षपात यानी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है । लेकिन मैं देखता हूं कि जैसे ही देश आजाद हुआ, विधान बना, उसके पश्चात् भारत के हर नागरिक को पूर्ण अधिकार दिया गया, चाहे वह किसी भी संस्था से या किसी भी जाति पांति से संबंध रखता हो, कि वह पार्लियामेंट में और असेम्बलियों में भाग ले सकता है और अपनी सरकार बना सकता है । अगर पक्षपात होता तो जिस पार्टी के हाथ में राज्य आया था शायद वह अपने ही लिए नाना प्रकार के आरक्षण रखती । परन्तु ऐसा नहीं किया गया ।

फिर कहा गया कि विक्टिमाइजेशन होता है । जब से हम आजाद हुए तब से इस घर के सुधार के लिए कम प्रयत्न हुआ लेकिन घर में उथल पुथल करने की बहुत बातें हुईं । कल एक प्रश्न के उत्तर में यह विवाद हुआ था कि घरों में काम करने वाले कर्मचारियों की एक यूनियन बनी है । उन में से कुछ लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं । उस समय मैं सोच रहा था कि दो महकमें बाकी रह गये हैं । जहां अभी यह अवस्था नहीं आयी है, एक तो पतियों का । अभी तक उनकी कोई यूनियन नहीं बनी । आशा है लीडर लोग जरूर प्रयत्न करेंगे । तो अभी तक एक तो पतियों की यूनियन नहीं बनी कि अगर उनको घर में स्त्रियों से कष्ट हो तो उसके विरुद्ध प्रदर्शन करें । इसी तरह से स्त्रियों की भी कोई यूनियन अभी तक नहीं बनी ताकि यदि उनको पतियों से कोई शिकायत हो तो उसके विरुद्ध प्रदर्शन किया जाये । लेकिन आज दूसरे कामों में यह हाल हो रहा है कि कोई काम शुरू नहीं होने पाता और उसके लिये यूनियन पहले से बन जाती है । आज देश में भी यूनियन सरकार है । इस लिए सब तरफ यूनियन ही यूनियन दिखायी देती है । और इन यूनियन्स ने क्या काम किया है ? मैं सोचता था कि ऐसी यूनियन बने जो संसार के साथ अपने काम का मुकाबला करने के लिये हो । जैसे सरकारी कर्मचारियों की यूनियन बने जो कहे कि हम प्रशासन को अच्छे से अच्छा बनायेंगे । रेलवे के कर्मचारी अपनी यूनियन बनायें जिसका उद्देश्य यह हो कि हम अपने काम में इतनी उन्नति करेंगे कि संसार भर से अच्छा हमारा काम समझा जाये । पर ऐसी चीज़ तो नहीं होती । हमारे यहां पहाड़ में एक कहावत है, "ढो कद भिरग धोने पाती"। इसका मतलब यह है कि अभी मृग को मारने की तो योजना बन रही है, लेकिन उसके बटवारे के लिए झगड़े हो रहे हैं कि सिर किसको मिलेगा, नाफा किसको मिलेगा, खाल किसको मिलेगी, मांस किस को बांटा जायेगा । अभी हम प्रारम्भिक अवस्था में हैं । हमको अभी देश को बनाना है । लेकिन इस से पहले ही बटवारे के लिए झगड़े हो रहे हैं ।

कल यहां पर एक जिम्मेदार सदस्य ने कहा है कि अगर किसी जगह हड़ताल हो तो वहां पर गोली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये। उन्होंने महा भारत का एक श्लोक भी पढ़ा था। वह श्लोक तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसका मतलब यह था कि हमें नम्रता के साथ सारा काम करना चाहिए। जिनकी तरफ से यह कहा गया काश कि वह इस सिद्धान्त को अपनी संस्था में भी अपनाते। उनको तजर्बा है। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों पार्टियों को राज्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने हाथ जोड़ कर सब जगह काम किया और गोली नहीं चलायी। मैं यह मानता हूं कि यह ठीक है कि देश में गोली नहीं चलनी चाहिये, लाठी नहीं चलनी चाहिए, लोगों के साथ सत्य और अहिंसा का व्यवहार होना चाहिये। लेकिन अगर लोग भड़काये जाते हैं और वे अपने देश की सम्पत्ति का विनास करने के लिए उतारू हो जाते हैं, उन पर हाथ जोड़ने का कोई प्रभाव नहीं होता, अश्रुगैस का कोई असर नहीं होता, फिर बतलाइये कि उसके बाद दूसरा क्या तरीका रह जाता है। मैं समझता हूं कि इस में दोष भारत सरकार का है, दोषी वह लोग नहीं हैं। दोष भारत सरकार का इसलिए है कि उन्होंने इस वक्त देश में हर तरह की उछल कूद के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है। स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर एक को अपने अधिकार की सुरक्षा का पूरा अधिकार होना चाहिये। सब के पास रोजगार होना चाहिए। और कमाई हुई राशि के इस्तेमाल की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिये। लेकिन क्या यह भी कोई स्वतंत्रता है कि जो काम कर रहे हैं उनको कहा जाये कि हड़ताल करो, स्कूलों में लड़के पढ़ते हैं तो उनको कहा जाता है कि हड़ताल करो और घर में नौकर काम करते हैं तो उनको कहा जाता है कि हड़ताल करो। आज देश के अन्दर चारों तरफ हड़ताल ही हड़ताल दिखायी दे रही है। एक तो हमारे चारों तरफ आग जल रही है और हमारे देश के अन्दर इस तरह की बातें की जायें तो माननीय सदस्य भली प्रकार समझ सकते हैं कि उसका क्या परिणाम हो सकता है। लोगों को आज शिकायत है कि सरकार बड़ी सख्ती करती है लेकिन मुझ को इस बात की शिकायत है कि सरकार बहुत नर्म है यहां तक की कि जो लोग नाजायज काम करते हैं उन तक के साथ ठीक ढंग से बरताव नहीं करती। यह ठीक है कि यह सरकार सत्य और अहिसा के मानने वाली है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : तो आपकी शिकायत है कि काफी गोलियां नहीं चलायी जातीं।

श्री पद्म देव : परन्तु जो शासन को नीचे गराना चाहते हैं उनके साथ तो उपयुक्त व्यवहार ही होना चाहिए।

दंडा शास्ति प्रजा सर्वा, दंडै वाभिरक्षति,

दंडा सुप्तेषु जागर्ति दंडम् धर्मम् विदुर बुंधा :।

भले लोगों की हिफाजत के लिए दंडा चाहिए और बुरे लोगों से रक्षा की खातिर भी उसी की आवश्यकता होती है। लेकिन चूंकि हमारी सरकार बहुत नर्म है इसलिए लोगों पर समझाने का प्रभाव नहीं पड़ता। जिन लोगों का देश की समस्याओं को समझने का कोई विचार नहीं है, और जो अन्यथा ढंग से काम करते हैं उन के लिए यह स्थिति किसी वक्त भी कारगर नहीं हो सकती। माननीय गृह मंत्री जी इस बात को मानेंगे कि आज जितनी नरमी होती जा रही है, उतनी ज्यादा अनुशासनहीनता देश के अन्दर फैल रही है और जितनी अनुशासनहीनता फैल रही है उतना ही काम कम हो रहा है। इस वक्त कोई अपने दायित्व को नहीं समझता। इसी का परिणाम यह है कि

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पद्म देव]

आज देश का एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। मैं गृहमंत्री जी की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् १९४८ से इस वर्ष तक यह खर्च कितना बढ़ गया है।

१९४८–४९	३५.५४ करोड़
१९४९–५०	३९.३० करोड़
१९५०–५१	४८.८० करोड़
१९५१–५२	५३.६७ करोड़
१९५२–५३	५६.२३ करोड़
१९५३–५४	७१.२७ करोड़
१९५४–५५	७५.११ करोड़
१९५५–५६	. १०५.४१ करोड़
१९५६–५७	. १३५.९१ करोड़
१९५७–५८	. १९४.७१ करोड़
१९५८–५९	. १९७.७२ करोड़
१९५९–६०	. २२२.७३ करोड़

लेकिन माननीय गृह मंत्री जी यह भली भांति जानते हैं कि लोगों के अन्दर संतोष नहीं है। सरकारी कर्मचारी भी खुश नहीं हैं हालां कि खर्च इतना बढ़ता चला जा रहा है। वे क्यों खुश नहीं हैं। मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों के पास काम काफी नहीं है। जब काम काफी नहीं है तो फिर यह सोचने का मौका रहता है कि हमारी तरक्की नहीं हो रही है। यह दुरुस्त है कि जहां लोहार, बढ़ई, बुनकर और खेत में काम करने वाले की आमदनी बढ़ी, वहां सरकारी कर्मचारी आज भी वहां ही है, जहां वे कल थे। यह ठीक है कि उन को भत्ते मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी वे महान संकट में हैं। काम भी नहीं होता है। यह भी दुरुस्त है, लेकिन उनको जो दिया जा रहा है, वह भी कम है। अगर इन दोनों बातों पर विचार किया जाय कि किसी काम को करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है और उतने ही आदमी रखे जायें और सरकारी कर्मचारियों की ठीक व्यवस्था की जाय, तो हमारी यह मशीनरी ठीक ढंग से चल सकती है, वर्ना जो इतना रुपया हमारी योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है, वह बेकार जायेगा और देश के लोगों की ग़रीबी को दूर करने के लिए जो इतन आन्दोलन चल रहे हैं, वे असफल होंगे और गरीबी दूर नहीं होगी। सरकारी मशीनरी ठीक नहीं होगी, जब तक की सरकारी कर्मचारियों के पास पूरा काम नहीं होगा और पूरा काम तब तक नहीं हो सकता है, जब तक कि उन को थोड़ी सी रोटी भी नहीं दी जाती है।

परिगणित जातियों की तरफ़ से बहुत बातें कही गईं। उन्हें सुनने पर मुझे बड़ा दुख हुआ। उन्होंने दो तीन मिसालें दी। मैं मानता हूं कि छुआछूत आज भी देश में है, लेकिन जो घिनौनी तस्वीर उन्होंने ज़ाहिर की, वह बिल्कुल ग़लत है। उन्होंने शादी की पालकी रोकने और गुरु राम दास के बारे में कुछ बातें कहीं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर जगह सब लोग गुरु राम दास का जलसा मनाते हैं। वे उन को कोई चमार नहीं मानते हैं। लेकिन उन्होंने एक जगह की तस्वीर यहां लाकर रखदी। मुझे एक श्लोक उस वक्त याद आ गया, जो कि इस प्रकार है—

भ्रमराः मधुमिच्छन्ति
व्रणमिच्छन्ति मक्षिकाः
सज्जनाः गुणमिच्छन्ति
दोषमिच्छन्ति पामराः

अगर हम लोग हर बात में सिर्फ़ बुराई को ही देखते चले जायें और भलाई को न देखें, तो यह अफ़सोस की बात है । हरिजनों के उद्धार के लिए, उन की तालीम के लिए उन के खाने के लिए कितना रुपया खर्च किया जा रहा है, इस का अन्दाज़ा नहीं लगाया जा सकता । समयाभाव के कारण मैं आप के सामने इस संबंध में आंकड़े नहीं रखना चाहता ।

उन्होंने मनुस्मृति का उदाहरण दिया । मैं तो यह कहता हूं गायकवाड़ जी महाराज से कि आज का मनु तो अम्बेदकर है, जिन के नेतृत्व में कांस्टीच्यूशन आफ़ इंडिया बनाया गया । उन्होंने कहा है कि अस्पृश्यता विधि के अनुसार दण्डनीय अपराध है । वह मनुस्मृति की इतनी बातें करते हैं, लेकिन वह उस का यह श्लोक क्यों नहीं सुनाते ?

शुद्रोब्राह्मणतामेति
ब्राह्मणश्चेतिशूद्रतां
क्षत्रियाजातमेवन्तु
विद्यया वैश्यः तथैवच ।

कोई ऊंच नीच इस में नहीं है कि कोई कहां पैदा हुआ है, क्योंकि "जन्मना जायते शुद्राः" अर्थात् जन्म से हर एक शुद्र पैदा होता है और जैसे जैसे किसी के संस्कार होते हैं, वैसा ही उसका स्थान होता है । कोई वर्ण-व्यवस्था किसी को बड़ा या छोटा बनाने के लिए नहीं थी । यह तो काम ठीक तरीके से करने के लिए थी । जो ज्ञान में ज्येष्ठ था, वह ब्राह्मण, जो बल में ज्येष्ठ था, वह क्षत्रिय और जो व्यापार में ज्येष्ठ था, वह वैश्य हुआ और जो दूसरा काम नहीं कर सकता, उस के लिये कहा गया कि वह सेवा के छोटे मोटे बढ़ई वगैरह के काम करे । मैं गायकवाड़ जी से पूछना चाहता हूं कि यह कहने का क्या फ़ायदा है कि कल लोगों ने हमारे साथ क्या किया था । वह यह क्यों नहीं देखते कि आज उन के लिये क्या हो रहा है ? इस मनोवृति से आज अपने देश में हम एक नई जाति बना रहे हैं, एक नया फ़िर्का बना रहे हैं । कल कहा गया कि परिगणित जाति के कितने मिनिस्टर हैं । मैं सोचता हूं कि हिन्दुस्तान का सब से बड़ा काम करने वाले श्री जगजीवन राम हैं । शायद वह शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं । मुझे मालूम नहीं है । पता नहीं गायकवाड़ जी को मालूम है या नहीं । आल्वा जी और दूसरे लोग भी हैं । जैसा कि कल माननीय उपमंत्री जी ने कहा, प्रश्न यह है कि जहां तक रिक्रूटमेंट का सवाल है, वहां तक आया उन को पूरी सुरक्षा मिलती है या नहीं और फिर जो जिस काम के योग्य है, उस के अनुसार उस से काम करवाना है । यहां कोई बांटना तो नहीं है । इस लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह ठीक नहीं है कि आज भी इस किस्म की बातें की जाती हैं, जिन से मुल्क को फ़ायदा नहीं हो सकता है । हम को ऐसा काम करना चाहिये, जिस से मुल्क को फ़ायदा हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को पंद्रह मिनट हो गए हैं । अब वह समाप्त कर दें । उनके बाद में दस दस मिनट देने वाला हूं ।

श्री पद्म देव : पांच मिनट और दे दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट भी और नहीं । और माननीय सदस्य साहबान बोलने वाले हैं । उनको भी वक्त देना है । और वक्त देना उन के साथ बेइन्साफ़ी होगी ।

श्री पद्म देव : पांच मिनट और चाहिएं ।

उपाध्यक्ष महोदय : पांच मिनट नहीं दिए जा सकते हैं । एक मिनट में अगर कोई फिकरा खत्म करना चाहें तो खत्म कर दें ।

श्री पद्म देव : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस प्रकार के कटाक्ष, वाद-विवाद और प्रतिवाद के लिये स्थान नहीं है ।

मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हिन्दुस्तान के कुछ पिछड़े हुए इलाकों को अपने अधीन रखा है । और उन के उत्थान के लिए काफ़ी से ज्यादा रुपया खर्च किया जा रहा है । मैं खास तौर पर हिमाचल के बारे में कह सकता हूं कि ९०४ लाख रुपया हिमाचल के ऊपर खर्च किया जा रहा है जब कि उसकी आमदनी २८५ लाख है । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जरूर निवेदन करूंगा कि वहां पर इस वक्त जो दो अमली हैं--डायार्की--है--टेरीटोरियल कौंसिल हैं और दूसरे हैं, उस के सम्बन्ध में वह जरूर विचार करें, ताकि वहां पर ठीक ढंग से काम चल सके ।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि हिमाचल में उन सरकारी कर्मचारियों को, जिन की योग्यता भी उतनी ही है काम के लिहाज़ से, और पीरियड भी उतना ही है, आई० ए० एस० और आई० पी० एस० का मौका नहीं मिलता है, जिस से वे पिछड़े रह जाते हैं ।

तीसरी प्रार्थना मैं उन से यह करूंगा कि वहां पर

उपाध्यक्ष महोदय : तीसरी मेरी प्रार्थना है कि अब माननीय सदस्य बन्द कर दें । श्री साधूराम । अब हर एक माननीय सदस्य को दस मिनट मिलेंगे ।

श्री साधूराम (जालंधर---रक्षित---अनुसूचित जातियां) : पंडित जी के लिए पंद्रह मिनट और मेरे लिये दस मिनट ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने मुझे कल खुद कहा था कि दस मिनट दिए जायें । अब उस से ज्यादा कैसे हो सकते हैं ?

श्री साधूराम : मेरा कोई और दूसरा साथी यहां नहीं है । दस मिनट थोड़े हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : और बहुत हैं ।

श्री साधूराम : मुझे बड़ी खुशी है कि आज मुझे भी यहां बोलने का मौका मिला है । मिनिस्ट्री आफ़ होम एफ़ेयर्ज़ की रिपोर्ट में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के अपलिफ्ट के लिए जो रकम रखी गई है, उस के मुताल्लिक मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं । हिन्दुस्तान में एक पिछड़ा वर्ग बहुत काफ़ी तादाद में मौजूद है । हिन्दुस्तान की कुल आबादी, ३६ करोड़ कुछ लाख में से तकरीबन १२ करोड़ शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ एण्ड अदरबैकवर्ड क्लासिज़ हैं । इन में ७,१३,५१,७०३ तो शैड्यूल्ड कास्ट्स हैं और २,२५,११,८५४ शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ हैं । तीन करोड़ बैकवर्ड । इस वक्त की आबादी के लिहाज़ से बारह करोड़ आदमियों का बजट सैकंड फ़ाइव यीअर प्लान में ९१ करोड़ रुपये रखा गया है । अगर हिसाब लगाया जाय, तो १८ करोड़ रुपये सालाना बनता है । १९५६ की गिनती के हिसाब से अगर ९ करोड़ को बढ़ा दिया जाये, तो इस वक्त १२ करोड़ के लगभग शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासिज़ बनते हैं । १२ करोड़ आदमियों के लिए १८ करोड़ रुपये सालाना रखा गया है, जिस का मतलब यह है कि डेढ़ रुपया फ़ी कस एक साल में रखा गया है । मैं समझता हूं कि यह बहुत थोड़ा है । इस लिए देश में सोशलिस्टिक पैटर्न कायम करने के लिए, समाजवादी ढंग का ढांचा कायम करने के लिये यह जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो पिछे रखा गया वर्ग है, उसको जब तक दूसरों के बराबर नहीं लाया जाएगा, मैं समझता हूं, तब तक देश में समाजवादी समाज का ढांचा कायम नहीं हो सकता । आप वज़ीफे

भी उन लोगों को देते हैं और दूसरी तरह की सहूलियतें देते हैं। लेकिन अभी तक उनको ये पूरे तौर पर नहीं मिल पा रहे हैं। हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक स्कालरशिप बोर्ड है, वह साल में एक आध बार ही बैठता मालूम होता है। मैं जब अपने हल्के में जाता हूं, तो मैं पाता हूं कि सैंकड़ों लड़के हैं जो कि वगैर स्टाइपेंड के हैं, उनको स्टाइपेंड नहीं मिले हैं और वे इनके लिये हाहाकार कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। पंजाब में आधी फीस का झगड़ा है शैड्यूल्ड कास्ट के लड़कों का जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। कई लड़के ऐसे हैं जो पिछली फीस अदा नहीं कर सकने के कारण स्कूलों में से अपने नाम कटवा रहे हैं या जिन को स्कूलों के हैडमास्टर या प्रिंसिपल स्कूलों में से बाहर निकाल रहे हैं। ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि उन की तरफ गवर्नमेंट का जल्द से जल्द ध्यान जाना चाहिये।

आज हमारे देश में गरीबी का बड़ा जोर है। मुल्क का डेवेलेपमेंट भी हो रहा है। आज़ाद होने के बाद यह हमारा फर्ज बन जाता है कि हम अपने देश की तामीर करें, देश को नए सिरे से बनायें। लेकिन देश को बनाने के लिए सभी वर्गों में जो वर्ग सबसे पीछे हैं जो वर्ग सब से ज्यादा पिछड़ा हुआ है सब से नीचे का जो वर्ग है, उसकी ज्यादा मदद करना हमारा कर्तव्य होना चाहिये। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, जो बड़े-बड़े रजवाड़े हैं, जो बड़े-बड़े जागीरदार हैं, उनको कुछ नीचे लाया जाए। एक तरफ तो हमको बड़ों को नीचे थोड़ा लाना होगा और दूसरी तरफ नीचे वालों को हमें ऊपर उठाना होगा। जब हम ने ऐसा किया तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां समाजवादी ढांचा आएगा। देश को आज़ाद हुए बारह साल हो गए हैं लेकिन आज भी लोग यह महसूस कर रहे हैं कि देश आज़ाद तो हो चुका है लेकिन असली आज़ादी अभी नहीं आई है। आज भी गरीब लोगों को रोटी नहीं मिलती है, जिन्हें कपड़ा नहीं मिलता है, जिन के पास रहने के लिये मकान नहीं हैं, वे यही खयाल करते हैं कि देश आज़ाद हुआ या न हुआ, कोई फायदा नहीं है।

मैं गृह मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस ने आज़ादी के बाद देश के पिछड़े हुए लोगों पर काफी ध्यान दिया है और काफी उनकी मदद भी की है और काफी डिपार्टमेंट उनकी भलाई के लिये कायम किये हैं, हर एक स्टेट में बैक्वर्ड क्लासिस का डिपार्टमेंट कायम किया गया है। लेकिन स्टेट गर्वमेंटस इन लोगों की तरफ ध्यान बहुत कम देती हैं जिसका सबूत यह है कि पीछे गृह मंत्रालय ने स्टेटों के शैड्यूल्ड कास्ट्स मिनिस्टरों की एक मिटिंग यहां पर बुलाई थी और उस में बताया गया था कि फर्स्ट फाइव यीर प्लान में ३९ करोड़ रुपया जोकि इन लोगों पर खर्च करने के लिये रखा गया था, उस में से कुल २६ करोड़ रुपया ही खर्च किया गया और १३ करोड़ रुपया खर्च नहीं किया गया। इस से मैं समझता हूं कि यह साफ़ ज़ाहिर है कि स्टेट गवर्नमेंट्स इस पर पूरा ध्यान नहीं दे रही हैं। और इसका नतीजा यह हो रहा है कि जो पिछड़ा हुआ वर्ग इस देश का है वह और भी नीचे की ओर जा रहा है और वह महसूस करने लग गया है कि हमें इस आजादी से कोई फायदा नहीं हुआ है।

आजकल हमारे मुल्क में अनाज की बड़ी कमी है। पंजाब में भी इस वक्त लोगों में काफी भूख पाई जाती है। अगर आप चाहते हैं कि अनाज ज्यादा पैदा हो तो वह ज़मीन पर ही हो सकता है। लेकिन हम पिछले बारह सालों में भी ज़मीन का बटवारा नहीं कर पाये हैं और सीलिंग की बात सुनते आ रहे हैं। सीलिंग लगने के बाद भी कुछ ज़मीन निकल सकती है जो दूसरे लोगों में बांटी जा सकती है, जो लैण्डलैस लोगों में, हरिजनों में बांटी जा सकती है। अगर इन लोगों को ज़मीन मिल जाए तो एक तो इनको काम मिल जाएगा और दूसरे जो अनएम्प्लायमेंट है, वह कम हो सकेगी और साथ ही साथ मुल्क की पैदावार में इज़ाफा भी हो सकेगा। लेकिन अभी तक ज़मीन का बटवारा देश में नहीं हो सका है। पंजाब में छः सात प्रकार की ज़मीनें हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी एक बार अर्ज किया था और

[श्री साधू राम]

आज भी करता हूं । एक ज़मीन तो वह है जो सीलिंग लगने से आपके पास निकल आएगी । दूसरी वैस्ट लैण्ड है । तीसरी शामलात है । चौथी ज़मीन अनएलाटिड एरियाज़ आपके पास हैं उसमें है जो कि एक लाख एकड़ के करीब पंजाब में निकलती है । पांचवीं ज़मीन जंगलात की ज़मीन है और छठी ज़मीन जब्तशुदा ज़मीन है । ये छः किस्म की ज़मीन पंजाब में है । अगर हरिजनों को पंजाब में ज़मीन दी जाए तो मेरा ख्याल है कि वे देश की पैदावार को भी बहुत बढ़ा सकते हैं और अगर सारे हिन्दुस्तान में, सभी सूबों में ऐसा किया जाये तो मेरे ख्याल है कि अन्न का जो संकट है, यह नहीं रहेगा । पता नहीं स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वे इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं ।

सर्विस कोआप्रेटिव सोसाइटीज़ का जो रेज़ोल्यूशन आया है इसका मतलब यह है कि पैदावार अधिक हो, सुधरे हुए तरीके खेती करने में काम में लाये जायें इत्यादि । लेकिन मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को ज़मीन दी जाए और यह शर्त लगा दी जाए कि वे कोआप्रेटिव बेसिस पर फार्मिंग करेंगे, कोआप्रेटिव बेसिस पर खेती बाड़ी करेंगे, तो पैदावार अवश्य बढ़ सकती है । पैप्सू के समय में गवर्नमेंट ने ४५,००० एकड़ ज़मीन हरिजनों में तकसीम की थी और इस ज़मीन को कोओप्रेटिव सोसाइटी बनवा कर इन लोगों को दे दिया गया । कोओप्रेटिव सोसाइटी में लोग ज़रा अड़चन महसूस करते हैं, ज़रा तकलीफ महसूस करते हैं क्योंकि कोओप्रेटिव डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वे उनको चलने नहीं देते हैं । बात यह है कि कोओप्रेटिव सोसाइटीज़ को गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास मदद नहीं दी गई है, कोई ऐसी ठोस मदद नहीं की गई है जिससे उनकी हौसला अफज़ाई हो सके और उनको कामयाब बनाने की उतनी कोशिश नहीं की गई है जितनी की जानी चाहिये थी और अगर वे कामयाब बनाई जातीं तो उनको देख करके दूसरे लोग भी इस तरह से काम करने की सोचते और करते । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैंने ट्रिब्यून में पढ़ा था कि पांच लाख एकड़ ज़मीन पंजाब गवर्नमेंट के पास है । मैं चाहता हूं कि गृह मंत्रालय इस ओर ध्यान दे और अगर वह इस पांच लाख एकड़ ज़मीन को हरिजन लोगों में तकसीम करवाने में कामयाब हो गया तो पिछड़े वर्गों के लोगों को पंजाब में दशा काफी सुधर सकती है । इस पांच लाख एकड़ के अलावा और भी ज़मीन पजाब में हो सकती है जो कि इन लोगों में बांटी जा सकती है । इस ज़मीन को कोओप्रेटिव बेसिस पर हरिजनों को दिया जाए और उसमें उनकी पूरी मदद की जाए--लैण्डलैस और दूसरे लोगों को भी उसमें शामिल किया जा सकता है--और उनको कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की जाए, तो न सिर्फ पैदावार ही बढ़ेगी बल्कि दूसरे लोग भी देखा देखी कोओप्रेटिव बेसिस पर खेती करना शुरू करेंगे । जब हम अपने हल्कों में जा कर लोगों से यह कहते हैं कि कोओप्रेटिव फार्मिंग करो तो वे लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं और कहते हैं कि हम अपनी खेती दूसरों के हवाले कैसे कर दें सांझी खेती कैसे बना दें, इनको कैसे दूसरों को काम करने के लिए दें । इस वास्ते मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट की ज़मीन से ही काम चालू किया जाए और पैदावार बढ़ाने के लिए, खेती करने के लिए कुछ मदद दी जाए, ग्रांट दी जाये, लोंस (कर्जे) दिये जायें और इसको कामयाब बनाया जाए तो दूसरे लोग देखा देखी कोओप्रेटिव फार्मिंग पर यकीन करने लग जायेंगे ।

अब मैं घरेलू दस्तकारियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । इन गरीब लोगों के लिए जो रुपया रखा जाता है या इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की तरफ से जो रुपया रखा जाता है वह पूरे तौर पर इन गरीब लोगों तक नहीं पहुंचता है । मैं चाहता हूं कि इन गरीब लोगों की कोओप्रेटिव सोसाइटीज़ बना करके इनको पैसा देने के बारे में प्रेफ्रेंस दिया जाना चाहिये। साथ ही साथ इन गरीब लोगों की पूरे तौर से मदद होनी चाहिये । मैं मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि यह जो भट्टे होते हैं इनके जो लाइसेंस होते हैं, इन्हें नहीं दिया जाता है। गरीब हरिजन ही हैं जो कि ईंटें बनाते हैं, उनको पकाते हैं तथा दूसरे काम करते हैं । लेकिन किसी भी इलाके में जाकर आप देखें, आपको पता चलेगा कि भट्टे का लाइसेंस

किसी हरिजन को नहीं मिलता है, दूसरे लोगों को ही मिलता है। मेरे विचार में अगर इनको ऐसे लाइसेंस दिये जायें तो एक तो इनको काम मिल सकेगा और दूसरे ये अपनी आर्थिक अवस्था में सुधार कर सकेंगे और साथ ही साथ काम में भी सुधार ला सकेंगे। जरूरत इस बात की है कि कोशिश की जाए कि इनको खेती बाड़ी में काम मिले ताकि खेती की पैदावार बढ़े, अनएम्प्लायमेंट कम हो, देश का भला हो और जो समाजवादी ढंग का समाज हम स्थापित करना चाहते हैं, वह जल्दी स्थापित हो सके।

मैं यह भी चाहता हूं कि दुकानदारी करने के लिए या दूसरे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह के जो लाइसेंस हैं, वे भी इन लोगों को जरूर दिये जाने चाहियें।

हर रोज़ इस तरह की शिकायतें आती हैं कि सर्विसिस में उनके साथ बेइंसाफी होती है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक सर्विसिस का ताल्लुक है, जहां तक स्टेट गवर्नमेंट्स का ताल्लुक है, वहां पर कुछ न कुछ बेइंसाफी जरूर होती है। लेकिन अगर गृह मन्त्रालय इस ओर ध्यान दे तो मेरा ख्याल है यह शिकायत भी दूर हो सकती है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि पार्लियामेंट के मैम्बरान की एक कमेटी मुकर्रर कर दी जाए जो कि हिन्दुस्तान में हर एक स्टेट में जाकर वहां इन्क्वायरी करें और देखे कि आया स्टेट गवर्नमेंट्स शैड्यूल्ड कास्ट्स को या दूसरे जो लोग हैं उनको सर्विसिस में पूरी नुमाइन्दगी दे रही हैं या नहीं। उसके बाद यहां से स्टेट गवनमेंट्स को डायरेक्टिव दिया जाए कि वे पूरी नुमाइन्दगी इनको दें।

जो शिकायतें हमारे पास आती हैं उनको मैंने आपके सामने रखा है और जो मैं कहना चाहता था वह मैंने कहा है लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो लोग गवर्नमेंट की तारीफ नहीं करते उस काम के लिये जिसको उसने अच्छी तरह से किया है, वह भी एक गलत बात है।

श्री आसर (रत्नागिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में कल से गृह मन्त्रालय के बारे में बहस हो रही है। जो भी बातें यहां कही गईं, दातार साहब ने उनका जवाब देने का प्रयत्न किया, लेकिन उनके जवाब में, जो बातें यहां कही गईं उनके बारे में स्पष्ट तौर पर मन्तव्य नहीं दिया जा सका। इसलिये कई बातों को फिर दोहराने की आवश्यकता है।

बम्बई और महाराष्ट्र का प्रश्न हमारे लिये बड़े महत्व का है। बम्बई सह महाराष्ट्र का प्रश्न बड़ा ज्वलन्त हो रहा है। इस बारे में महाराष्ट्र की ओर से जितने चुनाव हुए उनके अन्दर यह स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि महाराष्ट्र का मन्तव्य क्या है। और उसी के परिणामस्वरूप आज जो लोक शाही चलनी चाहिये उस पर बोलना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। आज लोकशाही ने अपना मन्तव्य व्यक्त किया है। सरकार का कर्तव्य है कि उस मन्तव्य को सुने और उनकी मांग पूरी करने का प्रयत्न करे। मेरी यह प्रार्थना है कि संयुक्त महाराष्ट्र का प्रश्न जो कि इतना ज्वलन्त हो रहा है, उस पर ध्यान दिया जाय। मुझे इस बात का दुःख है कि हमारे गृह मन्त्रालय की जो पालिसी है उसके कारण देश के अन्दर असन्तोष बढ़ रहा है। आज इसका असर खाली संयुक्त महाराष्ट्र पर ही नहीं पड़ रहा है, महागुजरात पर भी पड़ रहा है और इस आन्दोलन का जोर सारे देश में बढ़ रहा है। हम यदि आज अपनी प्लैन्स को कामयाब करना चाहते हैं तो इसके लिये आज देश के हर भाग का सहयोग आवश्यक है। मेरी प्रार्थना है कि यदि हम जनता के सहयोग की उम्मीद करते हैं तो उसकी इच्छा को भी पूरा किया जाय, जिससे कि सब लोग पूरे मन से प्लैन्स को पूरा करने का प्रयत्न करें।

दूसरा महत्व का प्रश्न सीमा का है। सीमा के बारे में हमारे गृह मन्त्री ने बतलाया कि उनकी ओर से जितने भी प्रयत्न करने की आवश्यकता है वह कर रहे हैं, लेकिन आज तीन चार महीने हो गये, मुझे लगता है कि इस बारे में हमने कोई प्रगति नहीं की है। जहां हम थे वैसे ही हैं। इस दृष्टि से आप

को और प्रयत्न करने की आवश्यकता है। करनाटक के बार्डर, बम्बई के बार्डर पर १२ हजार से १३ हजार तक लोग जेल गये। बड़ा सत्याग्रह किया। वहां की जनता की भावना की कद्र करना हमारा कर्तव्य है। इस दृष्टि से लोगों की मांग है कि एक बार्डर कमीशन नियुक्त किया जाय। वेस्टर्न जोनल कौंसिल के जरिये यह सवाल साल्व नहीं हो सकता है। मेरी प्रार्थना है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जाय जिसको लेकर बार्डर कमीशन बनाया जा सकता है। उनका जो निर्णय होगा उसे मैं मानने के लिये तैयार हूं। लोगों की यह डिमाण्ड है कि बार्डर कमीशन नियुक्त किया जाय जिसके जरिये यह निर्णय ठीक स हो सके।

दूसरा प्रश्न नागाओं के झगड़े का है। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि रोज पाकिस्तान के हमले हो रहे हैं। इसी तरह से रोज हम नागाओं के सम्बन्ध में भी पढ़ते हैं। लेकिन उनका जो झगड़ा चल रहा है उसे हल करने में हमारी सरकार बिल्कुल असफल रही है और हम इस मामले में कोई प्रगति नहीं कर सके। इसका मूलभूत कारण क्या है? इसका मूलभूत कारण यही है कि हमने उतना प्रयत्न नहीं किया जितना कि हम को करना चाहिये था। स्वतन्त्रता की लड़ाई के बाद आज हम देखते हैं कि हमारे देश में विदेशी मिशनरियों का आ्गमन बहुत बढ़ा हुआ है। वे लोग बहुत बड़ी तादाद में आये हैं और हर जगह अड्डे बना कर बैठे हैं। परिणाम यह हुआ है कि नागा लोगों के झगड़े में भी विदेशी मिशनरियों का हाथ है, उनकी ओर से उन लोगों को प्रेरणा मिलती है। जैसे आज नागा लोगों के झगड़े उधर चल रहे हैं, अगर स्थिति यही रही तो इस तरह के नागा संगठन और भी बढ़ जाने की सम्भावना है। इस दृष्टि से देखते हुए मैं गृह मन्त्रालय से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आज नागा लोगों का झगड़ा चल रहा है, उस तरह से दूसरे झगड़े न पैदा करें। इस के लिये हमको विदेशी मिशनरियों की कार्रवाइयों की पूरी देख भाल करने की आवश्यकता है। वे आते हैं, कहते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे, अस्पताल खोलते हैं और दूसरे इस तरह के काम करते हैं। लोगों को मदद करने का बहाना करते हैं। लेकिन वह केवल एक बहाना है। उनमें से बहुत से तो दूसरे देशों के स्पाइज हैं। वे दूसरे देशों के आदमी हैं जो कि यहां की स्थिति देखते हैं और उसकी रिपोर्ट अपने देशों को देते हैं। इसलिये नागा लोगों के झगड़े को खत्म करने की तो आवश्यकता है ही लेकिन जो हमारे देश में विदेशी मिशनरी आते हैं और अड्डा जमा कर बैठ जाते हैं, उन पर पूरी नजर रखने की आवश्यकता है।

पिछले दिनों जब मध्य प्रदेश सरकार ने जस्टिस नेगी और जस्टिस रेगी कमेटी नियुक्त की थी तो उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट दी थी। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि उस रिपोर्ट का जितनी अच्छी तरह से इम्प्लिमेंटेशन होना चाहिये था उतनी अच्छी तरह से नहीं हुआ। मेरी प्रार्थना है कि उस रिपोर्ट का इम्प्लिमेंटेशन किया जाय। दूसरा प्रश्न माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि यहां पर पाकिस्तानी जासूसों का है जोकि पहले आये थे लेकिन बाद में गये नहीं। इस बारे में बार-बार होम मिनिस्ट्री से प्रश्न पूछे गये। अखबारों में भी आता है कि बीकानेर सरहद पर और काठियावाड़ सरहद पर से पाकिस्तानी जासूस हमारे देश में आ रहे हैं। हमारी सरकार इसके लिये क्या कर रही है मुझे इस का पता नहीं। लेकिन मुझे यह कहना आवश्यक मालूम होता है कि हमारे गृह मंत्रालय को जितनी अच्छी तरह से इस प्रश्न को लेना चाहिये उतनी अच्छी तरह से इसको उस ने नहीं लिया। यह बड़ी गम्भीर बात है। चारों ओर सेनायें खड़ी हुई हैं, हर रोज हमले हो रहे हैं। इस मुल्क की डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री की सीक्रेट्स विदेशों को जाती हैं। उन का परिणाम वहां के अखबारों में आता है। इस ओर भी पूरा ध्यान सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा है।

इधर भारत ने कुछ प्रगति जरूर की है लेकिन फिर भी देश में असन्तोष का वातावरण रहता है। मैं देश के चारों भागों में गया हूं। हर एक भाग में कुछ न कुछ असन्तोष है। चाहे आप पंजाब को देखें चाहे दिल्ली को देखें। कई-कई बातों के झगड़े चल रहे हैं। मैं मानता हूं कि स्वतंत्र होने से

कुछ झगड़े आये । हर लोगों का अपनी तरह से कार्य करना और उन की दृष्टि दूसरे से पृथक होना आवश्यक है लेकिन हमारे गृह मंत्रालय की सुस्ती के कारण भी देश में असन्तोष फैला हुआ है । दिल्ली का ही प्रश्न ले लीजिये । दिल्ली की राजभाषा का प्रश्न आज बहुत दिनों से चल रहा है । राजभाषा के लिये दिल्ली असेम्बली ने एक कमेटी नियुक्त की थी, यहां के कारपोरेशन ने भी एक कमेटी नियुक्त की है लेकिन उस कमेटी के कार्य के अन्दर जो बाधा डालने वाला है वह गृह मंत्रालय है । हमारे गृह मंत्रालय को जिस दृष्टि से इस प्रश्न को देखना चाहिये वह नहीं देखता है । यह एक राजनीति का प्रश्न बन गया है । हर एक बात पर गृह मंत्रालय बाधा डालने का प्रयत्न करता है । उर्दू का अड़ंगा बीच में आ रहा है और इस का परिणाम यह हो रहा है कि इस प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं किया जाता और आज दिल्ली में इस बारे में बहुत असन्तोष पैदा हो रहा है । मेरी प्रार्थना है कि इस प्रश्न में गृह मंत्रालय कोई राजनीति न लाये और जनता की जो मांग है उस को पूरी करने का प्रयत्न करे । इस के लिये प्रयत्न कर के देश में जो अच्छा वातावरण गृह मंत्रालय पैदा कर सकता है वह उसे नहीं कर रहा है ।

यहां पर संकेत किया गया कि देश में करप्शन बहुत कम हो रहा है । यह बात देश के सामने है कि इस समय स्थिति क्या है । करप्शन इतना बढ़ रहा है कि उस के बताने की सामर्थ्य गृह मंत्रालय में नहीं है । इसलिये वह कहता है कि करप्शन कम हो रहा है । मैं तो कहता हूं कि पहले करप्शन थोड़ा था, लेकिन आज आप किसी आफिस में जाइये । जो आदमी वहां बैठे होते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक सब करप्ट हैं । कोई भी काम करवाना हो तो पैसा दिये बिना पूरा नहीं होगा । मेरा तो ऐसा अनुभव है कि यहां पर कोई काम कराने के लिये आदमी जाय तो सेक्रेटेरियट तक में पैसा देना पड़ता है । पैसा देने के बाद ही वहां प्रवेश हो सकता है । मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख होता है । मैं तो कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी भूल को छिपाने के लिये कहती है कि करप्शन कम हो रहा है । उस को तो साफ कहना चाहिये कि करप्शन बढ़ रहा है । यहां बतलाया गया है कि उस को मिटाने के लिये बड़ी कोशिश हो रही है । हर एक प्रान्त में आप चले जाइये, हर एक जगह देखिये, हर एक स्थान पर करप्शन बढ़ रहा है । इस को खत्म करने के लिये जितने कड़े हाथों से काम करने की आवश्यकता है, उतने कड़े हाथों से सरकार काम नहीं करती है । परिणाम यह होता है कि सामान्य जनता में इस से असन्तोष होता है । सरकार को इस दृष्टि से इस ओर देखना चाहिये ।

सिंधी भाषा का प्रश्न भी बड़े महत्व का है । अपने देश के लिये कई लोगों ने अपनी जान दे दी, अपनी सम्पत्ति छोड़ दी पाकिस्तान में । आज उन लोगों की डिमान्ड है कि जो कुछ हम ने वहां छोड़ दिया वह तो चला गया है लेकिन हमारी सांस्कृतिक सम्पत्ति जो है वह सिंधी भाषा है, उस को जिन्दा रखने की आवश्यकता है । उन लोगों की डिमान्ड है कि सिंधी भाषा को कांस्टिट्यूशन के आठवें शेड्यूल में रखना चाहिये । जब १४ भाषाओं को शिड्यूल में लिया गया तो इस १५वीं सिन्धी भाषा को भी क्यों न उस में शामिल किया जाये । मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर सहानुभूति के साथ देखे और सिन्धी को शिड्यूल में १५वीं भाषा के रूप में शामिल किया जाये ।

दो बातें अब मैं पुलिस के बारे में कहना चाहता हूं । आजकल हम हर चीज को इकानमिक प्वाइट आफ व्यू से देखते हैं । पर हम देखते हैं कि पुलिस विभाग का खर्चा बढ़ता चला जा रहा है । जब हम अहिंसा का नारा लगाते हैं और चाहते हैं कि देश में अहिंसा रहनी चाहिये तो फिर पुलिस का खर्चा क्यों बढ़ता है । इस का कारण क्या है ? इस पुलिस का क्या उपयोग होता है ? जब देश में शान्ति है और देश में असंतोष नहीं है तो पुलिस का खर्चा क्यों बढ़ना चाहिये? मैं पुलिस के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि सदन में इस की काफी चर्चा हो चुकी है । हम पुलिस के डंडे की बहुत चर्चा सुन चुके हैं । हर जगह पुलिस का अत्याचार और गड़-बड़ चल रही है । साथ ही हम देखते हैं कि जब बार्डर पर अशान्ति है और पाकिस्तानी लोगों के हमले हो रहे हैं तो भी हम ने

डिफेंस पर २४ करोड़ रुपया कम कर दिया है और पुलिस का खर्चा बढ़ाया है। मैं कहता हूं कि डिफेंस का खर्चा कम करने की आवश्यकता नहीं थी, पर उस को तो कम किया गया है, पर पुलिस का खर्चा बढ़ा है। मैं चाहता हूं कि पुलिस का खर्चा कम किया जाय और देश में अच्छा वातावरण पैदा करने का प्रयत्न किया जाये।

इस के साथ ही मैं यह चाहता हूं कि होमगार्ड के संगठन को समाप्त करना चाहिये। बम्बई स्टेट में इस का अच्छा अनुभव नहीं आया है। जिस तरह से प्राहिबिशन के कारण पुलिस मासिक इंस्टालमेंट ले कर काम चलने देती है वैसे ही होमगार्ड भी कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। इन का कोई विशेष उपयोग नहीं है। यह फिजूलखर्ची हो रही है। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि इस संगठन को समाप्त किया जाये।

श्री प० ला० बारूपाल (बीकानेर,रक्षित-अनुसूचित जातियां) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यहां बहुत से सज्जनों ने गृह मंत्रालय की मांगों पर अपने सुझाव दिये हैं। मैं भी कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं।

हमारे पंत जी जिस ढंग से काम कर रहे हैं, मेरी गृह मंत्रालय के नीचे के अधिकारियों से प्रार्थना है कि वे भी उन से काम करने की प्रेरणा लें। यद्यपि पन्त जी इतने वृद्ध हैं, पर जब हम उन को पत्र भेजते हैं तब वे अपने हस्ताक्षर से हम को जवाब देते हैं। लेकिन गृह मंत्रालय के जो नीचे के अधिकारी हैं उन के काम में कोई फर्क नहीं पड़ा है।

मैं राजस्थान का उदाहरण आज आप के सामने रखना चाहता हूं। वहां पर हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों और जुल्मों में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जब तक किसी मामले में मिनिस्टर साहब या चीफ मिनिस्टर साहब दखल नहीं देते तब तक हरिजनों को न्याय नहीं मिलता। न्याय तो फिर भी नहीं मिलता। मैं उदाहरण के तौर पर कई बातें बता सकता हूं।

हमारी सीमा के उस पार जनरल अय्यूब का शासन है। लोग कहते हैं कि वहां तस्कर व्यापार बन्द हो गया है। लेकिन राजस्थान में सोना बेचने की मंडियां खुली हुई हैं। पुलिस न जाने क्या करती है। मैं ने पुलिस वालों से जब पूछा तो वह कहते हैं कि हम तो जब पकड़ते हैं तो सोना पकड़ते हैं पर ऊपर जा कर वह पीतल हो जाता है। तो मैं ने कहा कि पीतल को भी तो पाकिस्तान से बिना लाइसेंस लाने की आज्ञा नहीं है। तो इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये।

अब हमारे यहां डाकू समस्या तो कुछ कम हो गई है। अब वे लोग जो डाके डालते थे तस्कर व्यापार करने लगे हैं। उधर पुलिस भी उन के साथ मिल जाती है। तो यह आम बात है।

मैं आप को अपनी तरफ का हाल बतलाऊं कि पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी रहती है और अगर किसी जगह का पांच रुपया किराया है तो लोगों से कहती है कि हम तुम को आधे दाम में पहुंचा देंगे। और इस तरह से कम से कम २५ प्रतिशत लोगों को बिना टिकट पुलिस वाले ले जाते हैं।

यह ठीक है कि हरिजनों के लिये आप ने छूत-छात का अलग से कानून भी बनाया है लेकिन जब हरिजनों पर जुल्म होता है तो उन की कोई सुनवाई नहीं होती। जब वह दरख्वास्त देते हैं तो अदालत में केस को नहीं जाने दिया जाता और उन को बीच में से ही डिसमिस कर देते हैं।

आज हरिजनों के उद्योग धन्धे उन से छीने जा रहे हैं। एक टट्टी उठाने का तो ऐसा पेशा है जिस को कोई हाथ नहीं लगाता बाकी और सब धन्धे ऊंची जाति वाले कोआपरेटिव बना बना

करं अपने हाथ में कर रहे हैं और उन का मुनाफा खुद ले रहे हैं। मेरा खादी बोर्ड से सम्बन्ध है। आप देखें कि बुनकरों की क्या अवस्था है। उन का धन्धा नहीं पनप रहा है। खादी कमीशन को खूब पैसा दिया जाता है, सबसिडी दी जाती है। सारे काम की वे व्यवस्था करते हैं और संचालन करते हैं हरिजनों को तो केवल छः आना आठ आना या एक रुपया रोज मजदूरी मिल जाती है। जो लोग हाथ से काम करने वाले हैं उन को लाभ नहीं हो पाता। जो लोग स्वयं काम करते हैं उन को आप सीधा प्रमाण पत्र दें तो उन को लाभ हो सकता है। लेकिन ऐसा करने से दूसरे लोगों की ठेकेदारी चली जायेगी।

आपने हरिजनों को नौकरियों में साढ़े १२ पर सेंट का रिजरवेशन दिया है लेकिन इस मामले में भी उनके साथ न्याय नही हुआ है। जो वे प्रार्थनापत्र देते हैं उनकी छः छः महीने तक सुनवाई नहीं होती। इसी तरह से टाल-मटोल करते करते इतने वर्ष बीत गये और अब ढाई वर्ष रह गया है। वह भी बीत जायेगा और हम ऐसे ही रह जायेंगे।

पिछले दिनों यहां चर्चा हुई कि हरिजनों का रिजरवेशन रहना चाहिए या नहीं। अगर गवर्नमेंट ठीक समझती है तो रखे। लेकिन राजस्थान और दूसरी जगहों के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वहां पर कुछ जातियों को पहले अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया। जब हम लोगों ने काफी शोर मचाया तो पांच साल बाद उनको उस सूची में शामिल कर लिया गया। इससे पहले पांच साल तक उन को न छात्रवृत्तियां मिलीं और न उनको नौकरियों में ही उनका भाग दिया गया। तो इस तरह से उनको केवल पांच वर्ष ही रिजरवेशन का लाभ होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिनको आपने पांच साल बाद सूची में शामिल किया है उनका रिजरवेशन बढ़ाया जाये। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरह से अभी काम चल रहा है इस तरह हरिजनों की समस्यायें हल नहीं होंगी।

करप्शन के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जहां आज हम और चीजों में आगे बढ़ रहे हैं, वहां नैतिकता में पीछे हट रहे हैं। हम पत्थरों का तो निर्माण कर रहे हैं, नदी-नाले बांध रहे हैं लेकिन हमारे यहां मनुष्य का चरित्र गिरता जा रहा है। आज करप्शन इतना बढ़ रहा है कि किसी जगह आदमी जाये बगैर पैसे के उसका काम नहीं होता। यह कहना कि क्यों पैसा देते हो और कानून तो इसके खिलाफ है एक तरह से ठीक है, और आप ऐसा कह सकते हैं लेकिन कानून कुछ ऐसे पेचीदा हैं कि बगैर पैसा दिये काम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर विचार किया जाये और कानून को सरल बनाने का उपाय किया जाये। जो कानून हो वह ठीक होना चाहिए तभी कुछ होगा।

जब तक आप हरिजनों को उद्योग धन्धे और बड़ी बड़ी नौकरियां नहीं देंगे उनकी स्थिति ठीक नहीं हो सकती और उनका उत्थान नहीं हो सकता। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जहां हरिजन हजारों वर्षों से रह रहे हैं वहां पर उनकी जमीनों के पट्टे तक ठीक से नहीं बने हैं। आप ने बहुत से सर्कुलर भेज दिये। लेकिन होता क्या है? आज गांवों में रिहायश के लिए उन के पास ज़मीन नहीं है। शहरों में हरिजनों को ज़मीन का पट्टा नहीं दिया जाता है—रुपया मांगते हैं। चार रुपये गज़ ज़मीन का भाव है, अगर इतना रुपया दो, तो यहां बैठ सकते हैं। उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता। फिर पाकिस्तान बना दिये जाते हैं। कहा जाता है कि शहर से निकलो, यहां बनिये बसेंगे। कई बार जातीयता के नाम से नहीं उठाया जाता। किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले कर निकाल दिया जाता है। कहा जाता है कि यहां पर कारखाना खुलेगा, म्यूनिसिपैलिटी बनेगी, यहां सरकारी दफ्तर बनाया जायगा, यानी किसी न किसी बहाने उनको बाहर खदेड़ना

है, निकालना है और उन को ज़मीन नहीं देनी है । मैं पूछना चाहता हूं कि आप सारे हिन्दुस्तन में कार्यवाही क्यों नहीं कर सकते हैं । आप के सामने क्या अड़चनें हैं, जबकि सरकार आप की है ? आप का कहना नीचे वाले नहीं मानते, यह कैसी बात है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां पर हरिजन बैठे हैं, उन को फ्री पट्टे दीजिये, ज़मीन दीजिये---मकान दें या न दें । उन को संतोष हो जायगा कि हमारे लिए कुछ हुआ है । वैसे बहुत कुछ किया है । हम अस्सी या नब्बे पार्लियामेंट के मेम्बर हैं । हमारी आर्थिक हालत दूसरों से अच्छी है । एम० एल० एज़० की हालत भी अच्छी है, लेकिन गांवों और शहरों के हरिजनों के लिए कुछ भी नहीं हुआ है । अगर कहा जाय, तो नाम मात्र के लिए हुआ है । हमारे दो चार आदमियों के पार्लियामेंट के मेम्बर या मिनिस्टर बनने से तो सारे हिन्दुस्तान के हरिजनों की समस्या हल नहीं होने वाली है । अगर इस स्थिति को ठीक तरीके से न सम्हाला गया, तो आने वाला ज़माना हमारे देश के लिए अच्छा नहीं रहेगा । कांग्रेस ने हरिजनों को जो आश्वासन दिये, उन की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को उठाने और हर तरीके से उन का उत्थान करने के जो वादे किये, उन को जल्दी पूरा किया जाय, यही आप से निवेदन है । कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन ज्यादा कहने से फायदा ही क्या है,? जय हिन्द ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सिदय्या ।

श्रीमती सहोदरा बाई राय (सागर---रक्षित---अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मुझे भी दस मिनट का समय मिलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : आज तो नहीं होगा । किसी और मिनिस्ट्री में मिल जायगा ।

†**श्री सिदय्या** (मैसूर---रक्षित---अनुसूचित जातियां) : सबसे पहले मैं अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की कल्याण योजनाओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । इन योजनाओं के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में ३९ करोड़ रुपये रखे गये थे जिसमें से २६ करोड़ रुपये व्यय किये गये । दूसरी योजना में ९१ करोड़ रुपये रखे गये । परन्तु धन व्यय करने के साथ साथ इसका पता लगाना आवश्यक है कि प्रगति कितनी हुई है । अनुसूचित जाति तथा आदिम जातियों के आयुक्त प्रगति का मूल्यांकन करने का प्रयत्न तो कर रहे हैं परन्तु उनके इस काम में दो बातें बाधक हो रही हैं । पहली तो यह है कि राज्य सरकारें प्रगति के आंकड़े नहीं भेज रही हैं तथा दूसरे पर्याप्त कर्मचारी भी उनको नहीं दिये गये हैं । उन्होंने गृह-मंत्री को अभ्यावेदन भेजा था और गृह-मंत्री ने सहायक आयुक्तों की सख्या ९ से १६ करने की घोषणा सभा में की । परन्तु हमें बड़ा खेद है कि मितव्ययता के कारण यह नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं । मैं समझता हूं कि कम से कम प्रत्येक राज्य के लिए एक सहायक आयुक्त का होना आवश्यक है जो प्रगति का मूल्यांकन ठीक प्रकार से कर सके ।

मुझे खुशी है कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की कल्याण सम्बन्धी परियोजनाओं तथा अन्य सामान्य परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए श्रीमती रेणुका राय के सभापतित्व में एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया है । परन्तु मैं इस बारे में सभा का ध्यान संविधान के अनुच्छेद ३३९ की ओर दिलाना चाहता हूं । उसमें स्पष्टतया दिया गया है कि इस काम के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए । मेरी गृह-मंत्री से अपील है कि वह एक आयोग नियुक्त करें ।

अनुसूचित जाति तथा आदिम ज़ाति के लिए सेवाओं में रक्षण के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि यह बहुत कम है । मैं १-१-५६ को निर्धारित आंकड़े बताता हूं । अनुसूचित जाति के

†मूल अंग्रेज़ी में

लिए पहली श्रेणी के पदों में ०·७ प्रतिशत, दूसरी श्रेणी के लिए १·८४ प्रतिशत, तीसरी श्रेणी के लिए ५·०३ प्रतिशत तथा चौथी श्रेणी के लिए २१·६१ प्रतिशत की व्यवस्था रखी गई थी। अनुसूचित आदिम जाति के लिए पहली श्रेणी के लिए ०·११, दूसरी श्रेणी के लिए ०.०६, तीसरी श्रेणी के लिए ०·४३ तथा चौथी श्रेणी के लिए २.६१ प्रतिशतता रखी गई थी। परन्तु यह बताया गया है कि इन पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। इस सम्बन्ध में मैं राजस्थान तथा उड़ीसा सरकार को बधाई देता हूं। राजस्थान सरकार ने नियुक्ति करने वाले पदाधिकारियों को आदेश दे दिये हैं कि कामदिलाऊ दफ्तरों से यह लिखित रूप में आने पर ही कि अनुसूचित जाति अथवा आदिम जाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, इन रक्षित पदों पर सामान्य अभ्यर्थी को नियुक्त किया जाये। उड़ीसा सरकार ने भी आदेश दिये हैं कि अपेक्षित प्रतिशतता जब तक पूरी न हो जाये, तब तक तीसरी तथा चौथी श्रेणी के ५० प्रतिशत रिक्त पद अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के लिए रक्षित रहेंगे। मेरी गृह-मंत्री से अपील है कि तीसरी तथा चौथी श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए उड़ीसा सरकार के समान ही रक्षण कर दें।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। मुझे आशा है कि यह योजना इस वर्ष लागू कर दी जायेगी।

मेरा माननीय मंत्री से एक सुझाव यह है कि अस्पृश्यता निवारण के लिए जो धन व्यय किया जाता है उसका कोई लाभ हमें नजर नहीं आता इसलिए इस धनराशि में से कुछ अंश अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने तथा छात्रावास बनाने के लिए व्यय की जाये।

अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति की जो सूची बनाई गई है मेरे विचार से उसमें कुछ इस प्रकार की जातियां रख दी गई हैं जो अस्पृश्य नहीं मानी जाती हैं और कुछ ऐसी जातियों को शामिल नहीं किया गया है जो अस्पृश्य मानी जाती हैं। मैं ने गृह-मंत्री को मैसूर की ऐसी ९ जातियों को बताया है और उन्होंने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को अनुदेश दे दिये हैं। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार एक तारीख निश्चित कर दे जिसके अन्दर राज्य सरकार सूची में आवश्यक परिवर्तन कर दें।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के लिए कानूनी सहायता की राशि बहुत कम रखी गई है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए।

†**श्री बि० चं० प्रधान** (कालाहांडी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : हमारे गृह मंत्री आदिवासी जनता के सहायतार्थ पर्याप्त धन की व्यवस्था कर रहे हैं परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि धन की व्यवस्था करने से ही लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। आज आदिवासी क्षेत्रों से दो, तीन मील की दूरी पर स्कूल हैं। इन क्षेत्रों में अस्पताल नहीं बनाये गये हैं। उड़ीसा के फूलबनी क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी तीन स्कूल तथा कुछ अस्पताल थे तथा आज भी उनकी उतनी ही संख्या है। एक भी नया स्कूल अथवा अस्पताल नहीं बना है। इसके अतिरिक्त हम आदिवासी जंगलों में जो भूमि बदल बदल कर खेती करते थे उससे भी हम को वंचित किया जा रहा है। हम गरीब लोग बड़े विशाल भवनों में रह कर तथा सुन्दर स्वच्छ वस्त्र पहन कर जीवनयापन न करके, झोंपड़ियों में रह कर, फटे पुराने वस्त्र पहन कर जीवनयापन करते हैं। हमको बताया जाता है कि हमारा जीवन स्तर बढ़ाने के लिए इतना धन व्यय किया जा रहा है परन्तु हमारी पूर्व स्थिति में कहीं पर भी कोई सुधार हमें नजर नहीं आता। यही बात अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के आयुक्त

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बि० चं प्रधान]

के प्रतिवेदन में दी गई है । मेरा सुझाव है कि नियुक्तियों में जो रक्षण की व्यवस्था है उसको कृपा करके बढ़ा दीजिये । इसके अतिरिक्त माननीय गृह-मत्री को इस सम्बन्ध में सावधान रहना चाहिए कि आदिवासियों के सुधार के लिये आवंटित धनराशि का उचित रूप में व्यय हो ।

कई स्थानों पर आदिवासियों के लड़कों तथा लड़कियों की शिक्षा के लिए आश्रम खोले गये हैं । जिन में लड़कियों को खाना पकाना, काढ़ना, आदि तथा लड़कों को माली, गऊपालन आदि की शिक्षा दी जाती है । परन्तु इन बच्चों से कल्याण पदाधिकारी अपने घरों का काम कराते हैं और इससे स्पष्ट है कि किस प्रकार की शिक्षा इन्हें दी जाती है । इस बारे में कोई ठोस कार्य किया जाना चाहिए ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : माननीय सदस्यों ने गृह मंत्रालय के कार्य का जो सामान्य अनुमोदन किया है उसके लिए मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूं । उन लोगों का मैं विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने मेरे संबंध में कुछ प्रशंसात्मक बातें कही हैं । गृह मंत्रालय की मांगों के संबंध में सदन में जो कुछ कहा गया है उससे मुझे प्रोत्साहन ही मिला है । मूलतः बहुत से कटौती प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई थीं पर चर्चा के प्रक्रम के पूर्व ही उनकी संख्या बहुत कम हो गई थी और अन्ततः इस वाद विवाद के दौरान जो सात घण्टे या उससे भी कुछ अधिक समय तक जारी रही थोड़ी सी बातों का उल्लेख ही किया गया ।

कुछ माननीय सदस्यों, विशेषकर श्री द्विवेदी, श्री पटेल और संभवत श्री मुकर्जी ने भी विधि के शासन का निर्देश किया और उनमें से कुछ ने प्रजातन्त्र की रक्षा करने की आवश्यकता का भी । मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं । परन्तु मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में जब हम अपने समक्ष उपस्थित स्थिति का निरुपण करते हैं तो यह और भी आवश्यक हो जाता है कि कुछ मूलभूत बातों का ध्यान में रखा जाए । बहुत से देशों में प्रजातन्त्र का अन्त हो गया है । हमारे बहुत से पड़ौसी देशों में विप्लव और विस्फोट हुए हैं ; संविधान निरस्त कर दिए गए हैं और नागरिकों के अधिकार प्राय : समाप्त कर दिए गए हैं । जब प्रायः समस्त संसार के समक्ष इस प्रकार का संकट उपस्थित है तो यह आवश्यक है कि हम स्थायित्व और शांति की आवश्यकता को ध्यान में रखें जिन पर अन्ततः प्रजातन्त्र और प्रगति का भवन आधारित है ।

हमारे देश की जन संख्या बहुत बड़ी है ; अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं ; भाषायें हैं, धर्म हैं तथा रूढ़िया और प्रथायें हैं । कभी कभी कुछ ऐसे तत्व भी उपस्थित होते हैं जो एकता में सहायक होने के बजाय बाधक सिद्ध होते हैं । इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए कि इस समय की सर्वाधिक आवश्यकता स्थायित्व और शांति बनाए रखने की है । इस समय जब कि हम अपनी सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्निमाण की योजनायें ले कर बढ़ रहे हैं, जिनमें कभी कभी झटके और धक्के लगते हैं, इन मूल तत्वों को ध्यान में रखना और भी अधिक आवश्यक हो जाता है ।

यदि हमारा देश संसार के बहुत से अग्रणी देशों का कुछ विश्वास और मित्रता तथा आदर प्राप्त करने में सफल रहा है तो उसका कारण यही है कि हम अपने देश की सरकार, प्रशासन और सामान्य शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने में समर्थ रहे हैं । इसलिए विरोधी पक्ष के दो माननीय सदस्यों द्वारा उस पर जो बल दिया गया है वह सर्वथा न्याय्य है और हम चाहते हैं कि उसी नीति के अनुसार आचरण भी किया जाए । विधि का शासन अवश्य होना चाहिए । यदि विधि के शासन को जीवित रखना है तो यह आवश्यक है कि कानून बनाने वाले उसे तोड़ने वाले बनें क्योंकि यदि

†मूल अंग्रेजी में

कानून बनाने तथा प्रख्यापित करने वाले व्यक्ति ही उन्हें तोड़ेंगे और संसद् के सामूहिक निर्णय की अवज्ञा करेंगे तो कानून का गौरव नष्ट हो जाएगा और विधि के शासन का अन्त हो जाएगा।

श्री पटेल ने गुजरात विश्वविद्यालय का निर्देश किया। परन्तु उन्होंने उस अनुशासनहीनता और दुर्व्यवहार के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जो वहां हाल में एक अवसर पर देखा गया था। संभवतः उन्होंने स्वयं भी एक कानून का उल्लंघन किया था और उसके लिए वे दंडित किए गए थे। इसलिए जब वह हमसे विधि का शासन बनाए रखने के लिए कहते हैं तो मैं उनसे अत्यन्त नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि वह स्वयं उसका ध्यान रखें और जहां तक हो सके दूसरों को भी कानून भंग करने से रोकें। प्रजातांत्रिक समाज में कानूनों का संगठित उल्लंघन भी, चाहे वह अहिंसात्मक ढंग से ही किया जाए, प्रजातन्त्र की धारणा के विरुद्ध है। प्रजातन्त्र विवेक में विश्वास करता है, वह मानव स्वभाव में विश्वास और दूसरों को सही बात मानने के लिए मनाने की मनुष्य की क्षमता पर आधारीत है। विवेक, तर्क, वाद विवाद, आग्रह इन्हीं साधनों के माध्यम से प्रजातन्त्र चलता है और सब लोगों को सहिष्णुता और पारस्परिक सम्मान और एक दूसरे का दृष्टिकोण समझने की इच्छा के वातावरण में काम करना होता है। यदि हम प्रजातंत्र को जीवित रखना चाहते हैं जिसका जन्म कुछ वर्ष पूर्व ही यहां हुआ था तो हमें उसका पोषण बहुत सावधानी से करना होगा—विशेषकर इन निर्माणकारी वर्षों में। यह बहुत आवश्यक है कि ऐसा कोई काम न किया जाए जिससे हमारे प्रगति पथ में बाधा पड़े अथवा प्रजातन्त्र के आधार को आघात पहुंचे। यदि हम मतभेद की स्थिति में दूसरों को अपनी बात मानने को विवश करने के लिए बल प्रयोग करते हैं तो वैसा करना प्रजातांत्रिक पद्धति के विरुद्ध है। हमें धैर्य रखना चाहिए और यह प्रयत्न करना चाहिए कि स्थायित्व कायम रहे जो कि इस समय समाज में प्रगतिशील परिवर्तन करने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। हम आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में बहुत तेज़ी से बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस सब के लिए हमें ऐसे वातावरण की आवश्यकता है जिनमें संभावित झटकों के बावजूद भी प्रगति की जा सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें प्रजातन्त्र की इस मूल धारणा को स्वीकार करना चाहिए कि कानून का पालन करना आवश्यक है और हमें कानून के रास्ते से डिगना नहीं चाहिए। हम जो भी परिवर्तन चाहते हों उन के संबंध में प्रचार करके तथा लोकमत तैयार करके संसद् द्वारा ही उन्हें पारित कराना चाहिए।

इसी संबंध में उड़ीसा मंत्रिमण्डल का निर्देश भी किया गया था। यह कहा गया था कि राज्यपाल यहां आए थे तथा उन्होंने गृह मंत्री से परामर्श किया था। मैं नहीं समझता कि क्या राज्य राज्यपालों से गृह मंत्री से बात करने के लिए मना कर दिया गया है। यदि ऐसा होता तो मेरा कार्य कुछ हलका हो जाता। परन्तु साथ ही मैं उस आनन्द से वंचित हो जाऊंगा जो सुसंस्कृत, निष्पक्ष एवं विवेकशील व्यक्तियों के साथ मिल कर होता है। खैर, उड़ीसा में हुआ क्या हमें यह देखना है। वहां मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र देने का प्रस्ताव किया था यद्यपि विधान मण्डल में किसी प्रस्ताव अथवा विधेयक के संबंध में कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जिससे मंत्रिमंडल में अविश्वास का संकेत मिला हो। राज्यपाल ने विरोधी दल के नेताओं को आमंत्रित किया और उनसे कहा कि यदि वे बहुमत प्राप्त कर सकें तो उसकी एक सूची दें। वे वैसा न कर सके। ऐसी परिस्थिति में केवल दो विकल्प थे: या तो जो सरकार उस समय थी वही बनी रहती या राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता। उन्होंने प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त को अधिमान्यता दी और स्वयं सत्ता न ग्रहण कर विधान-सभा और जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन को ही कायम रहने दिया। इसलिए उन्होंने प्रजातान्त्रिक प्रणाली को बनाए रखने की दृष्टि से ही उस सरकार से त्यागपत्र न देने और काम करते रहने के लिए कहा था ताकि उन्हें विवश होकर विधान मण्डल को विघटित कर स्वयं शासन की

[श्री गो० ब० पन्त]

बागडोर न संभालनी पड़े। मेरे विचार से तो यह ऐसा कार्य है जिसके लिए उन्हें श्रेय दिया जाना चाहिए। बाद में क्या हुआ? अनेक उपचुनाव वहां हुए जिनमें सरकार की विजय हुई। अनेक विधेयक पुर:स्थापित किए गए थे जो विधान मण्डल द्वारा पारित किए गए। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने जो कुछ किया उसमें क्या गलती है? प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त के विरुद्ध उसमें क्या बात है? क्या प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों के अनुकूल कोई और कार्यवाही की जा सकती थी? इसलिए हमें प्रत्येक चीज को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए।

लाठी प्रहार, अश्रुगैस और गोली चलाए जाने का उल्लेख भी किया गया। ये सभी चीजें ऐसी हैं जिन्हें इस सभा में कोई भी पसंद नहीं करता और शासन से संबंधित व्यक्ति भी नहीं पसंद करते। कोई भी व्यक्ति बल प्रयोग का सहारा नहीं लेना चाहता। हम चाहते हैं कि हम हर जगह हर परिस्थिति में लोगों को इस प्रकार कार्य करने को मना सकें जिसमें हमें बलप्रयोग करने को विवश न होना चाहिए। परन्तु हमें खेद है कि कभी कभी ऐसा संभव नहीं होता। यदि जिम्मेदर नेता चारों ओर जाकर कर न चुकाने का प्रचार करते हैं और जब कर की वसूली के लिए कुर्की के वारण्टों को क्रियान्वित करने के प्रयत्न किए जाते हैं और वे विरोध करते हैं और कानून का क्रियान्वियन असंभव हो जाता है तब क्या किया जाना चाहिए? क्या सरकार अपने कृत्य छोड़ दे और यह स्वीकार कर ले कि वह मजबूर है और कर वसूल नहीं कर सकती, विशेषकर जब कि हमें अपनी आर्थिक प्रगति और अपने कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए धन की बहुत अधिक आवश्यकता है?

ऐसी परिस्थिति में, मेरा निवेदन है, कि हमें सावधान रहना चाहिए, यदि हम सहमत न भी हों। कभी कभी तो मत भेद सर्वथा अनपेक्षित होता है क्यों कि यदि आप उन्नति की योजनायें बनाना चाहते हैं तो जिन लोगों को लाभ होगा उन्हें योजना कार्यों के विस्तार में अपना समुचित अंशदान देना होगा। परन्तु यदि इस प्रकार से अड़चनें डाली जायेंगी तो हम आगे कैसे बढ़ सकेंगे? इसलिए मेरा निवेदन है कि इन परिस्थितियों में विधि का शासन, विधि के लिए सम्मान, कानूनी कार्यवाहियों का क्रियान्वयन और स्थायित्व बनाए रखना ही सभा के प्रत्येक सदस्य का धर्म होना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, नीतियां भिन्न होने के अवसर हो सकते हैं परन्तु प्रजातन्त्र के मूलभूत तत्वों की रक्षा करना आवश्यक है जैसा कि विरोधी दल के सदस्यों ने मुझे संकेत किया है।

जो भाषण दिए गए उनमें व्यय में वृद्धि की ओर भी संकेत किया गया था। मैं मानता हूं कि इधर उधर थोड़ी बहुत कमी की गुंजाइश हो सकती है परन्तु सामान्यत: विकासशील अर्थव्यवस्था वाली विकासशील सरकार में व्यय में वृद्धि अपरिहार्य है जबकि हम समाजवादी व्यवस्था की ओर ले जाने वाली आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। सामाजिक सुविधायें प्रदान करने के लिये अथवा अन्य प्रकार से देश का विकास और निर्माण करने के लिये उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम का प्रशासन पर असर होता है और उसमें कुछ न कुछ व्यय अवश्य अन्तर्ग्रस्त रहता है। जैसे मान लीजिए आप कोई नई सड़क बनाते हैं; बसें तथा कारें उस पर चलती हैं तो आपको कोई पुलिस या यातायात निरीक्षक नियुक्त करने पड़ते हैं। यदि आप कोई नई बस्ती बनाते हैं तब भी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होतीं हैं। अधिक झगड़े होते हैं। इस लिए हमें अधिक न्यायालयों और मजिस्ट्रेटों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जब कभी भी अर्थव्यवस्था, समाज सेवाओं अथवा सुख-सुविधाओं के विस्तार की ओर कदम उठाया जाता है तो उसके साथ प्रशासकीय व्यय में कुछ वृद्धि होना भी निश्चित है। यह अपरिहार्य है, परन्तु हम इस बात का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि रुपया बिल्कुल भी खराब न जाए और हम जो कुछ भी व्यय करते हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके।

मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि हम बांधों, पुलों, सड़कों, जल-मार्गों जलविद्युत् योजनाओं आदि का कार्य जिस तेजी से कर रहे हैं उसमें कभी कभी कुछ ऐसा व्यय हो जाता है जो, यदि हमें अधिक अनुभव होता, तो सम्भवतः बचाया जा सकता था। परन्तु अनुभव की कमी के कारण ऐसा होता ही है और उसे कोई भी व्यक्ति दूर नहीं कर सकता। या तो प्रशिक्षण न किए जायें और तेजी से बढ़ने का प्रयत्न न किया जाए और या फिर थोड़ा सा कष्ट सहन करने के लिये तैयार रहना चाहिए। परन्तु ऐसा कहते हुए मैं स्वीकार करता हूं कि हम बचत करने का यथासम्भव प्रयत्न कर रहे हैं।

वित्त मन्त्रालय में एक केन्द्रीय बचत समिति है। प्रत्येक मन्त्रालय में धन के अपव्यय को रोकने के लिए बचत समितियां हैं। एक विशेष पुनर्गठन एकक है और एक परियोजनाओं सम्बन्धी समिति भी है। इनके तथा कार्य अध्ययन जैसी अन्य चीजों के अतिरिक्त हमें संसद् के नियन्त्रण का लाभ भी प्राप्त है तथा उसकी दो समितियां—प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति—भी अपने समक्ष समय समय पर विचारार्थ उपस्थित किए गए मामलों पर परिश्रम करके सरकार की बहुत सहायता कर रही हैं। इसलिये बचत की आवश्यकता पूर्णतः स्वीकार की जाती है, परन्तु अन्य कठिनाइयों तथा एक विकासशील अर्थव्यवस्था के अपरिहार्य परिणामों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

मेरे मित्र तथा सहयोगी श्री दातार ने कल कुछ आंकड़े दिये थे जिनमें यह बताया गया था कि दूसरे देशों में एक लाख की आबादी में कितने व्यक्ति सरकारी नौकरी में हें। इस प्रकार की तुलनायें सर्वथा उपयुक्त नहीं होतीं और यह कहना सरल नहीं है कि चूंकि अन्यत्र ऐसा है इसलिए हमारे यहां भी वैसा ही होना चाहियें। परन्तु उस समय सम्भवतः श्री नाथ पाई ने एक प्रश्न किया था कि उसका हमारी राष्ट्रीय आय से क्या सम्बन्ध है। मैं इसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। हमारे देश में रेलों को मिला कर असैनिक सेवाओं पर व्यय का अनुपात राष्ट्रीय आय का ०·९ प्रतिशत होता है जबकि ब्रिटेन में वह उनकी विशाल राष्ट्रीय आय का ३ प्रतिशत है और अमेरिका में संघीय सेवाओं का व्यय लगभग १·८ प्रतिशत है। मैं इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलना चाहता परन्तु चूंकि ऐसा प्रश्न किया गया था इसलिए उसका उत्तर भर दे दिया है।

फिर उस अभिकरण का प्रश्न है जो हमारी समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करता है। अन्य चीजों के साथ हमें योग्य प्रशासन की आवश्यकता होती है और उसके लिये हम यथासम्भव प्रत्यत्न कर रहे हैं। जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात हें, सामान्य भर्त्ती के अतिरिक्त जो हमने भारतीय प्रशासन सेवा के लिए आपात भर्ती की थी। हमने केन्द्र में प्रशासकीय पुंज भी बनाया था ताकि जो अनुभव प्राप्त अधिकारी केन्द्र में प्रतिनियुक्त किए जाते हैं उनकी सेवायें एक सीमित समय के लिये नहीं वरन् जितने समय के लिए आवश्यक हो उपलब्ध हो सकें। हमने हाल में प्रबन्धकीय तथा औद्योगिक पूल भी बनाया है जिसके लिए छांटे गये व्यक्तियों के नामों की घोषणा संघ लोक सेवा आयोग ने अभी अभी की है। हमने एक वैज्ञानिक तथा प्रविधिक पूल भी बनाया है जिसमें हम अपने युवा विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों को लेने की आशा करते हैं जो विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और जो बाद में हमारे उपक्रमों में काम आयेंगे। इसी तरह हम एक नई अर्थिक सेवा, एक नई सांख्यिकीय सेवा बना रहे हैं और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा तथा केन्द्रीय इंजीनियरिंग पुंज बना चुके हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है हमारा एक जनशक्ति का निदेशालय भी है जो देश की भावी आवश्यकताओं का आकलन करता है और उनकी पूर्ति के सम्बन्ध में विचार करता है। तदनुसार भावी कार्यों के लिए तैयार रहने का प्रयत्न किया जाता है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपनी सेवाओं में एक नई भावना फूंकने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम एक प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करना चाहते हैं ताकि हमारे लोक सेवक न केवल अपने कार्य के सम्पादन की योग्यता प्राप्त करें वरन् वैसा दृष्टिकोण भी अपनायें जो प्रजातन्त्र में होना आवश्यक है तथा उन आदर्शों को भी अपनायें जो हमारे संविधान तथा निदेशक सिद्धान्तों में विनिहित

[श्री गो० ब० पन्त]

है । हमें आशा है कि केवल भारतीय प्रशासन सेवा वरन् संयुक्त परीक्षाओं में सफल होने वाले अन्य सभी व्यक्तियों को, जो बाद में पुलिस सेवा, राजस्व सेवा, आयकर सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय में नियुक्त किए जाते हैं, सामान्य अथवा आधारभूत प्रशिक्षण दिया जायगा ताकि उनमें सही दृष्टिकोण का विकास हो और बात में वे अपनी सम्बन्धित शाखाओं में विशेष योग्यता प्राप्त करेंगे ।

साथ ही हम यह अनुभव करते हैं कि हमें अपने तरीके तथा संगठन सरल बनाने चाहियें ताकि फल प्राप्ति शीघ्रता से हो सके और समय अथवा शक्ति के बिना अनावश्यक व्यय के सही निष्कर्षों पर पहुंचा जा सके । उसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं । हमारे यहा संगठन तथा रीति विभाग है । हमने अपने सचिवालय में उस प्रयोजन के लिए बहुत से परिवर्तन किए हैं और हम आशा करते हैं कि इस मार्ग के अनुसरण द्वारा कर्मचारियों की संख्या का समायोजन किया जा सकेगा और सम्भवतः उसमें कुछ कमी और अच्छे परिणाम की प्राप्ति भी की जा सकेगी । इस समय हम इन दो बातों की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं ।

चर्चा के दौरान भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहा गया । इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि भ्रष्टाचार का अस्तित्व अवश्य है । यदि भ्रष्टाचार न हुआ होता तो उसके उन्मूलन के लिए हम विभिन्न उपाय क्यों करते । परन्तु मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि उसमें वृद्धि हो रही है । जब सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान में संसद् सदस्यों जैसे सजग प्रहरी विद्यमान हैं, प्रत्येक राज्य में विधान-सभाओं और विधान मण्डलों के सदस्य हैं, लोकमत इतना मुखर है और जनता की मांग का समर्थन करने और शुद्धता तथा शिष्टता के उच्चतम स्तर का प्रचार करने के लिये समाचारपत्र मौजूद हैं तो कोई कारण नहीं है कि भ्रष्टाचार बढ़ जाए और अधिक व्यक्ति उसके शिकार हों । मैं समझता हूं कि वैसा सभी के लिए कष्टदायक होगा ।

फिर भी हमें सजग रहना चाहिये । इसीलिए हमने कानून को अधिक कठोर बना दिया है । जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, नवीनतम संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के लिए दण्डित किया जाता है उसको एक वर्ष से कम के लिए जेल की सजा नहीं दी जायेगी । उसको केवल जुर्माने की सजा या एक वर्ष से कम की जेल की सजा उसे नहीं दी जा सकती । घूस देने वाले को क्षमा किया जा सकता है । भ्रष्टाचार का अभियोग लगाये गए व्यक्ति के विरुद्ध कुछ धाराओं के अन्तर्गत पूर्वधारणा की जा सकेगी । इसी प्रकार कुछ अन्य कदम उठाए गए हैं । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं एक सतर्कता विभाग स्थापित किया गया है । विशेष पुलिस स्थापना कार्य कर रही है और उसके द्वारा लिए जाने वाले मामलों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है । इस वर्ष उसने ११०० मामलों की जांच की जिनमें से लगभग ३००—सही संख्या प्रतिवेदन में दी हुई है—न्यायालयों को भेजे गये तथा लगभग ८० प्रतिशत दंडित किए गए । इसी तरह सैकड़ों मामले विभागीय जांच के लिये भेजे गये और सम्बन्धित व्यक्ति दण्डित किए गए और उनका अनुपात मेरे विचार से लगभग ७० प्रतिशत था । इनमें से अनेक गजेटेड अधिकारी थे और बहुत से बहुत सेवाओं में उच्च स्थान वाले थे । इसलिये सरकार जो कुछ कर सकती है कर रही है । परन्तु वह इस सभा के माननीय सदस्यों का सहयोग चाहती है और यदि ऐसा कोई उपाय निकल सके जिसके द्वारा इस सभा के सदस्य इस दिशा में भली प्रकार सहयोग कर सकें तो ऐसे सुझावों पर मैं बड़ी प्रसन्नता से विचार करूंगा । जहां तक भ्रष्टाचार के उन्मूलन का प्रश्न है उसमें मतभेद के लिए गुंजाइश ही नहीं है । सभी दलों के व्यक्तियों की इस सम्बन्ध में एक ही इच्छा है । इसलिये यदि इस सम्यन्ध में कुछ और पथ प्रदर्शन और सहायता प्राप्त हो सके तो मुझे प्रसन्नता होगी ।

वाद विवाद के दौरान और पहले भी न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में विधि आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रकट किये गये विचारों का निर्देश भी किया गया। यह एक नाजुक मामला है। मैं चाहता हूं कि उन विचारों पर टिप्पण करने का भार मुझ पर न आता। परन्तु जो कुछ कहा गया है उसको देखते हुए मुझे इस सम्बन्ध में कुछ कहना ही पड़ेगा। मुझे दुख है कि एक जिम्मेदार आयोग द्वारा कुछ ऐसी बातें सार्वजनिक रूप से कही गई हैं जो न उच्चतम न्यायालय के लिए सम्मान-सूचक हैं और न उच्च न्यायालयों के लिए। उन्होंने जो कुछ कहा है उसका आशय यह है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में कुछ ऐसे न्यायाधीश हैं जो सर्वोत्तम नहीं है। इस उक्ति से उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों का गौरव नहीं बढ़ता है। मैंने कुछ मुख्य न्यायाधीशों और उनके अवर न्यायाधीशों के बीच गहरे मतभेदों को दूर करने के लिए प्रायः हस्तक्षेप किया है। मैंने अन्य तरीकों से भी न्यायाधीशों की सहायता करने का प्रयत्न किया है। इसलिए अपने शासकीय सम्बन्धों के अतिरिक्त मैं उनके गौरव को सुरक्षित रखना चाहता हूं और मेरी इच्छा है कि उच्चतम न्यायालय को देश में समुचित सम्मान एवं कुछ भय की दृष्टि से भी देखा जाये। इसलिए जब इस प्रकार की असम्मानसूचक बातें कही जाती हैं तो मुझे दुःख होता है।

यह भी कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में कार्यकारिणी ने अपना प्रभाव डाल कर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करवाया जो कि उचित प्रकार के व्यक्ति नहीं थे। मैं नहीं समझता कि उच्चतम न्यायालय के सम्बन्ध में ऐसी बातें किसी के मन में कैसे पैदा हुईं। यह कहा गया कि उच्च पदों पर आसीन लोगों ने अपना प्रभाव डाला। पर किस पर प्रभाव डाला गया? नियुक्तियां तो उस विभाग के उच्चतम पदाधिकारी के हाथ में होती हैं। अन्य कोई भी व्यक्ति उस में दखल नहीं दे सकता। अन्य किसी की राय लेने का कोई उपबन्ध नहीं है। फिर क्यों कोई प्रभाव डालने का प्रयत्न करेगा? फिर, क्या उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश साहस के साथ अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते। यह कहना कि उनमें इतना साहस नहीं है कि वे अपनी बात निर्भयतापूर्वक प्रकट करें, एक लांछन की बात है। उनके सम्मान पर इससे बड़ा कोई भी लांछन नहीं हो सकता। क्या हमारे न्यायाधीश इतने कर्त्तव्यभीरू हैं? जी नहीं, आप देखते हैं कि आये दिन संसद् द्वारा पारित विधियों को हमारे न्यायालय नियमविरुद्ध घोषित करते रहते हैं। न्यायाधीश सरकार में कोई गड़बड़ी नहीं फैलाते पर कम से कम संसद् द्वारा पारित विधियों को नियम विरुद्ध घोषित कर देते हैं। अभी आय-कर विधान में एक संशोधन किया गया था पर उच्चतम न्यायालय ने उसे अस्वीकृत कर दिया। एक दूसरा संशोधन भी था उसे भी उच्चतम न्यायालय ने अस्वीकृत कर दिया। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं। मै तो इन बातों की प्रशंसा करता हूं। मैं तो कहता हूं कि इस प्रकार अपना निर्णय देना उनका कर्तव्य था। पर, न्यायाधीशों पर यह आरोप लगाना कि उनमें पर्याप्त साहस नहीं था, मैं समझता हूं कि गलत है। उच्च न्यायालय क्या कर रहे हैं? राज्यों में उच्च न्यायालय अनेक विधानों को नियम विरुद्ध घोषित कर रहे हैं। श्री फ्रेंक एन्थनी जानते होंगे कि बहुत से विधानों को नियम विरुद्ध घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा कई मामलों में सरकार को न्यायालयों में जाना पड़ता है। क्या ऐसे मामलों में न्यायालय न्याय नहीं कर सकते? क्या न्यायाधीशों में इतना भी साहस नहीं होता कि वे खुल्लमखुल्ला कह सकें कि कौन सी बात गलत है और कौन सी बात ठीक है। इसमें किसी को जेल भेजने या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई बात नहीं है। नियुक्ति के सम्बन्ध में सुझाव देना तो मामूली सी बात है पर उस पर विचार तो दूसरे लोग करते हैं। जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है उसे शपथ लेनी पड़ती है कि वह पक्षपात व भय को छोड़ कर अपने कर्तव्य का पालन करेगा। मुझे खेद है कि ऐसी बात कही गयी जब कि उनको शपथ में यह कहलाया जाता है कि वे बिना भय के अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगे।

[श्री गो० ब० पन्त]

इन बातों का औचित्य क्या है, अब हम इस पर विचार करेंगे । १९५० के बाद से अब तक उच्चतम न्यायालय में १७ न्यायाधीशों की नियुक्ति की गयी है और इनमें से प्रत्येक के लिए भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने सिफारिश की थी । यदि हम उसकी सिफारिशों को न मानते तो वह क्या कर सकते थे ? पर हम ने हर सिफारिश को स्वीकार किया । फिर यह कैसे कहा गया कि हम ने कुछ ऐसे उपायों का सहारा लिया, जिनका सहारा हमें नहीं लेना चाहिए था । हमारे मुख्य न्यायाधिपतियों का सदा सम्मान होता रहा है और आज भी होता है । यह कहना बिल्कुल गलत है कि किन्हीं लोगों को सरकार ने अपनी मर्जी से न्यायालयों में नियुक्त कर दिया है ।

आप देखें, १९५० से अब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को मिलाकर कुल १७६ नियुक्तियां की गयीं, जिनमें से केवल एक को छोड़ कर शेष सभी नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधिपति की सिफारिशों के आधार पर की गयीं । क्या मैं यह मान लूं कि भारत का मुख्य न्यायाधिपति अपने कर्त्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहा है ? क्या उन पर भी किसी का प्रभाव है ? मैं समझता हूं कि उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है । माननीय सदस्यों को पता है कि उच्च न्यायालयों में नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद १७२ के अधीन की जाती हैं । स्थिति इस प्रकार है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मुख्य मंत्री के पास अपनी सिफारिश भेजता है । मुख्य मंत्री तथा राज्यपाल सिफारिश पर विचार करके उसे मुख्य न्यायाधिपति के पास भेजते हैं । अन्त में वह प्रस्ताव हमारे पास आता है । उस पर गृह-कार्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री विचार करते हैं और अन्त में उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जो उस पर अपना अन्तिम निर्णय देता है । इस प्रकार इस काम में ६ व्यक्ति विचार करते हैं तब निर्णय किया जाता है । प्रायः हम लोग मुख्य-न्यायाधिपति की बात को स्वीकार कर लेते हैं । क्या अन्य कोई रास्ता हो सकता है ?

मैं मानता हूं कि वकीलों में बहुत ही योग्य तथा सक्षम अन्य व्यक्ति भी हैं । पर उनकी राय लेने का सुझाव किसी ने नहीं दिया है ।

इस पर कुल १७६ नियुक्तियां की गयीं, जिनमें से केवल एक मामला ऐसा था जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधिपति सहमत नहीं थे । उस मामले में बात यह थी कि राज्य के मुख्य मंत्रीने राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय को माना न कि भारत के मुख्य न्यायाधिपति की राय को ।

इन १७६ मामलों में १६१ मामले ऐसे थे जिसमें सभी सम्बद्ध व्यक्ति सहमत थे । एक मामले का उल्लेख मैं ऊपर कर चुका हूं । शेष १४ या १५ मामले रह जाते हैं । इन मामलों में राज्य के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य मंत्री या राज्यपाल के बीच हमतभेद होने के कारण हम ने भारत के मुख्य न्यायाधिपति की राय को स्वीकार किया । कुछ मामलों में मुख्य न्यायाधिपति ने राज्य के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुसार अपनी राय दी और कुछ मामलों में राज्य के मुख्य मंत्री या राज्यपाल की राय के अनुशार ।

मैं नहीं समझता कि इसके अतिरिक्त हमें और क्या करना चाहिए था ? यह उत्तरदायित्व का काम था । उक्त विवरण को मैंने इसलिए बताया ताकि लोग जान सकें कि हम न्यायपालिका को स्वतंत्र रहने देना चाहते हैं ।

कुछ लोग कहते हैं कि अब उच्च न्यायालयों की दशा उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी पहले थी । इस सम्बन्ध में मैं कुछ भी नहीं जानता ।

अभी उस दिन मैंने किसी पत्र में लिखा देखा था कि मुख्य न्यायाधीश ने राज्यपाल से एक विशेष व्यक्ति को नियुक्त करने की सिफारिश की है। आप विचार करें कि इस में हम क्या कर सकते हैं। यह बात मुख्य न्यायाधीश ने कही है और भारत के मुख्य न्यायाधिपति इसका निर्णय करेंगे। ऐसी स्थिति में यह कहना कि सरकार ने अपना प्रभाव डाला है कहां तक उचित है ?

†**श्री नाथ पाई** : इस सम्बन्ध में मैं स्वयं मुख्य न्यायाधिपति द्वारा कही गयी बात को प्रस्तुत करना चाहता हूं।

†**श्री गो० ब० पन्त** : माननीय सदस्य शायद यह कहना चाहते हैं कि इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधिपति ने कहा है कि राज्यों के मुख्य न्यायाधीश इस भय के मारे अपनी राय स्वतंत्रतापूर्वक नहीं देते कि कहीं मुख्य मंत्री उनकी राय अस्वीकृत न कर दें। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि यदि ऐसी कोई बात थी तो मुख्य न्यायाधिपति को चाहिए था कि वह पहले ही सारी स्थिति ठीक कर लेते। भारत के मुख्य न्यायाधिपति के लिए हमारे हृदय में बहुत सम्मान है। पर जो तथ्य हैं, उन्हें मैं सभा के सामने रख रहा हूं।

†**श्री नाथ पाई** : इस सम्बन्ध में विधि आयोग ने सरकार पर जो आरोप लगाया है वह गंभीर है और आयोग से कहा जाये कि वह सभा के सामने इसका सबूत पेश करे।

†**श्री गो० ब० पन्त** : मुझे इस से कुछ मतलब नहीं कि इसका सबूत क्या है और क्या नहीं है। मेरा निवेदन तो सिर्फ इतना ही है कि ये सब नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधिपति की राय से की गयीं।

इस सम्बन्ध में एक और उदाहरण है। अभी हाल में एक राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रश्न था। यद्यपि वहां की सरकार कांग्रेसी सरकार नहीं है फिर भी, वहां के मुख्य न्यायाधीश ने जो सुझाव रखा था, उससे वहां की सरकार सहमत नहीं थी। पर अन्तिम नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधिपति की राय से की गयी और यह राय उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की राय से भिन्न थी पर वहां की सरकार की सिफारिश के आधार पर थी। क्या इन बातों को देख कर कोई कह सकता है कि इन मामलों में कोई प्रभाव डालता है या कोई स्वार्थ सिद्ध करता है ? जहां तक हमारा प्रश्न है हम न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने की कोशिश करते हैं और हमेशा न्यायाधीशों की राय के अनुसार ही काम करते हैं।

विधि आयोग की नियुक्ति के लिये मैं जिम्मेदार हूं। विधि आयोग ने स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार प्रकट किये हैं। उन्हें किसी का भय नहीं है। सभा को पता है कि हम अन्य प्रकार की भी नियुक्तियां करते हैं। ये नियुक्तियां लोक सेवा आयोग की राय से की जाती हैं। आप को पता होगा कि ऐसा कोई भी अवसर नहीं आया है जब हम ने लोक सेवा आयोग की सिफारिशों को न माना हो। इन बातों को देखते हुए भी क्या हमारी नियुक्ति प्रणाली के प्रति सन्देह प्रकट करने की कोई गुंजाइश है।

हड़ताल सम्बन्धी नियम ४क और ४ख का भी उल्लेख किया गया। माननीय सदस्यों को पता होगा कि ब्रिटेन तथा अमरीका आदि किसी भी देश में असैनिक कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। हम ने इन नियमों की सीमा में से औद्योगिक संस्थाओं तथा कुछ अन्य लोगों को निकाल दिया है। अर्थात् अनेक औद्योगिक संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्ति इन नियमों से मुक्त होंगे तथा उन पर अन्य बहुत से ऐसे नियम भी लागू नहीं होंगे जो अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री गो० ब० पन्त]

होते हैं । हम ने उन्हें बहुत अधिक अधिकार व स्वतंत्रता दी है । अतः इस सम्बन्ध में कोई शिकायत क्यों की जा रही है ? हम ने तो उन्हें बहुत सी ऐसी सुविधायें दे दी हैं जो उन्हें अब तक प्राप्त नहीं थीं ।

श्री भूपेश गुप्त ने जो कुछ भी कहा है उस के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, जब पूरी छानबीन के बाद जानकारी मेरे पास आ जायेगी तो मैं उसे देखूंगा । जहां तक उस पत्र का सम्बन्ध है, जिसे श्री ज्योति बसु ने उस के अपक्षपातरहित रवैये के लिये धन्यवाद दिया है, मैं मानता हूं कि वह समाचार पत्र बिल्कुल निष्पक्ष है, मैं नहीं जानता कि यह समाचार गलत है या सही पर मुझे पता लगा है कि केरल में जनयुगम नामक पत्र को, जो साम्यवादी दल का पत्र है, ५०,००० या ७५,००० रु० का ऋण दिया गया है । मुझे इस से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि सरकार जो चाहे करे, वह स्वतंत्र है । बाद में इस ऋण को बट्टे खाते डाल दिया जायेगा या क्याहोगा इस से मुझे कुछ मतलब नहीं है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—मध्य) : मैं यह जानना चाहता हूं कि .....

श्री गो० ब० पन्त : मुझे बताया गया है कि इस पत्र का नाम देशाभिमानी है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी ने उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय की आलोचना की और कहा कि वह निर्णय गलत था । इस सम्बन्ध में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि यदि यह निर्णय संविधान के किसी उपबन्ध के विरुद्ध होता या हमारी किसी गलती के कारण होता तो उच्चतम न्यायालय सारी बातों पर विचार कर के पुनः मामले की सुनवाई करता ।

इस के अतिरिक्त, हमें अन्य अनेक काम करने पड़ते हैं । हमें केवल सेवाओं तथा शान्ति व्यवस्था की ही देखभाल नहीं करनी होती बल्कि अन्य अनेक कार्य भी करने होते हैं, जैसे आपात कालीन सहायता संगठन, आग बुझाना प्रशिक्षण सेवा, गुप्तचर शिक्षण स्कूल, अंगुलियों के निशान की पहचान करने की शिक्षा देने वाला स्कूल आदि का संचालन । हम पिछड़ी जातियों की भी कुछ सेवा करते हैं । मेरी आकांक्षा है कि शीघ्र ही हम पिछड़ी जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने में सफल हो सकें । जब तक सारी कड़ियां मजबूत न हों, तब तक कोई भी जंजीर मजबूत नहीं हो सकती । अतः हम चाहते हैं कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों को हम पीछे न पड़े रहने दें बल्कि उन्हें अपने समान ऊपर उठायें । यही गांधीजी करना चाहते थे और हम भी यही करना चाहते हैं ।

इस सम्बन्ध में जो प्रतिवेदन अभी प्रकाशित हुआ है, उसे देख कर माननीय सदस्य समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं । प्रथम पंचवर्षीय योजना में पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये ३९ करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी । अब हम ने ९१ करोड़ रु० की राशि रखी है । हमें उन्हें केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि अन्य दृष्टिकोणों से भी सहायता दे रहे हैं । इन जातियों के लोगों की उन्नति के लिये हमारे पास अनेक योजनायें हैं । मैं उन्हें भूमि देना चाहता हूं ; उन की आर्थिक दशा सुधारना चाहता हूं । उन को मकान बनाने के लिये जगह देना चाहता हूं । अभी हाल में हम ने दिल्ली के सम्बन्ध में भूमि सुधार विधेयक तथा पंचायत अधिनियम बनाया है । इन में अन्य लोगों के समान ही उन्हें भी अधिकार मिलेगा । हम जो कुछ भी कर सकते हैं कर रहे हैं ।

जहां तक छात्रवृत्तियों का सवाल है, अभी कुछ वर्ष पूर्व तक उन को १० लाख रुपये दिये जाते थे । अब उन की छात्रवृत्तियों के लिये १ करोड़ से भी अधिक राशि दी जाती है । मैंने इस संबंध में वित्त मंत्रालय को लिखा और बाद में गृह-कार्य मंत्रालय की निधि में से भी धन दिया ताकि सब को छात्रवृत्तियां मिल सकें । इन की व्यवस्था में भी मैं कुछ सुधार करना चाहता हूं ताकि परीक्षा के बाद नया वर्ष शुरू होने के पूर्व ही छात्रवृत्तियों की राशि विद्यार्थियों को मिल जाये ।

केन्द्र में तथा राज्यों में भी कल्याण बोर्ड हैं। जो कुछ हम कर सकते हैं, कर रहे हैं। फिर भी बहुत कुछ करने को पड़ा है, श्री गायकवाड़ से मेरा निवेदन है कि वे अफ्रीका के नीग्रो लोगों की स्थिति से भारत की पिछड़ी जातियों के लोगों की तुलना न करें, क्योंकि ऐसा करना गलत ही नहीं है बल्कि उत्तेजक भी है। वैसे हमें क्या करना चाहिये, इस सम्बन्ध में वह हमें बता सकते हैं। यदि कोई गड़बड़ी हो तो वह हमें बता कर उसे ठीक करा सकते हैं, पर इस प्रकार तुलना करने से एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जोकि हमें किसी प्रकार फायदा नहीं पहुंचायेगी।

इस के अतिरिक्त, हमें केन्द्रीय राज्यक्षेत्रों की भी देखभाल करनी पड़ती है। जहां तक आदिम जातियों का प्रश्न है उन की स्थिति सब से अधिक खराब है। उन के लिये स्थानों का सुरक्षित किया जाना पिछड़ी जातियों की तुलना में कहीं अधिक आवश्यक है, अतः ९१ करोड़ रु० की रशि में से ४७ करोड़ रुपये की राशि आदिम जातियों के लोगों के लिये रखी गई हैं।

वैसे मैं अनेक योजनाओं का उल्लेख कर चुका हूं। जहां तक मेरा विश्वास है सरकार पिछड़ी जातियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये भरसक प्रयत्न करेगी। यही हमारा प्रयत्न रहा है और आगे भी रहेगा।

तो मैं बता रहा था कि हमारे अधीन केन्द्रीय राज्यक्षेत्र भी हैं। इन क्षेत्रों में कोई विधान मंडल नहीं है। इस से हमारी जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। इसी कारण इस सभा में भी उन की संख्या को देखते हुए उन के प्रतिनिधियों की काफी संख्या है। एक मंत्रणा परिषद है जिस में बैठ कर हम सब मामलों पर विचार करते हैं और उन्हें निबटाते हैं।

आप देखेंगे कि इन संघ राज्य क्षेत्रों के आयव्ययक उपबन्धों में भी काफी वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय इस सम्बन्ध में काफी उदार है। इन जातियों की उन्नति के लिये हम जो कुछ भी कर सकते हैं, कर रहे हैं। दिल्ली, मनीपुर और त्रिपुरा सभी स्थानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वहां की जनता के हित के लिये हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। नागा लोग भी कई बार कठिनाई पैदा कर देते हैं। पर मैं समझता हूं कि हम ने वहां अब पहले से अच्छा वातावरण पैदा कर दिया है।

नागा लोगों की समस्या भी अब पहले से सरल हो गई है। नागाओं ने सैंकड़ों अग्न्यास्त्रों तथा अपने को अर्पित कर दिया है। वहां धीरे धीरे शान्ति स्थापित हो रही है और आशा है कि शीघ्र ही वहां की समस्या हल हो जायेगी।

मैं समझता हूं कि अधिकांश बातों का उत्तर मैं दे चुका हूं। माननीय सदस्यों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी वह मुझे गलती करने से बचायेंगे तथा कार्य सम्पादन में सहायता करेंगे।

श्री हीं० ना० मुकर्जी : माननीय मंत्री ने कुछ बातों का उत्तर दिया है पर कुछ बातों का उन्हों ने उत्तर नहीं दिया। कल मैं ने बहुत सारे कागज पत्र दिखाये थे जो यह प्रकट करते हैं कि कलकत्ते के एक अखबार के संयुक्त सम्पादक का कहना है कि वहां के केन्द्रीय गुप्तचर विभाग का धन इस अखबार के लिये खर्च किया जाता था। यह अखबार साम्यवाद विरोधी है। मैं जानना चाहता हूं कि यदि मैं ये सारी जानकारी तथा प्रमाण माननीय मंत्री के सामने उपस्थित करूं तो क्या वे इस मामले की छान-बीन करेंगे।

†**श्री गो० ब० पन्त** : मुझे प्रोफेसर मुकर्जी से कोई कागजात नहीं प्राप्त हुए हैं। मुझे नहीं पता कि ये कागजात किस मामले से सम्बद्ध हैं। जब ये कागज मेरे पास आयेंगे तो मैं उन पर विचार अवश्य करूंगा। पर जब तक किसी आरोप का कोई आधार न हो, मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं मामले की छानबीन करूंगा।

†**श्री नाथ पाई** : श्रीमान्, विधि आयोग की उपपत्तियों में जो कुछ कहा गया है उस के आधार पर मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या विधि आयोग हमें गलत मार्ग पर ले जा रहा है या माननीय मंत्री हमें गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप निदेश दें कि जिन साक्ष्यों के आधार पर विधि आयोग ने अपनी उपपत्तियां निर्धारित की हैं, उन्हें इस सभा के सामने रखा जाये। या फिर हमें आश्वासन दिया जाये कि माननीय मंत्री हमें गलत मार्ग पर नहीं ले जा रहे हैं।

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं ने तथ्य सभा के सामने रख दिये हैं। गलत मार्ग पर ले जाने की बात कहने का मतलब है कि मैं ने जो तथ्य सभा के सामने रखे हैं, वह सही नहीं हैं। ऐसा कहना गलत होगा। कोई किसी को गलत मार्ग पर नहीं ले जा रहा है। किसी बात के सम्बन्ध में एक व्यक्ति का दृष्टिकोण कुछ भिन्न हो सकता है और दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण उस से भिन्न हो सकता है। अतः गलत मार्ग पर ले जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। मैं ने तथ्य सभा के सामने रख दिया है यदि कोई इन तथ्यों को गलत कहना चाहता है तो वह प्रमाण उपस्थित कर सकता है। विधि आयोग के प्रतिवेदन का मेरे वक्तव्य से कुछ भी मतलब नहीं है। मैं ने तो तथ्य उपस्थित किये हैं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : माननीय मंत्री के वक्तव्य तथा विधि आयोग के प्रतिवेदन से यह पता लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी अवश्य है। आखिर विधि आयोग ने किसी आधार पर ही अपनी उपपत्तियां निर्धारित की होंगी। अतः मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें आश्वासन दें कि वह मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदयः** विधि आयोग का प्रतिवेदन सरकार के पास आया है। सरकार ने ही, संसद ने नहीं, विधि आयोग नियुक्त किया था। हो सकता है माननीय मंत्री आयोग के मत से सहमत न हों। उन्हों ने अपना मत सभा के सामने रख दिया है। अतः बार बार विधि आयोग का जिक्र करना व्यर्थ है। माननीय मंत्री ने यह भी कहा कि यदि माननीय सदस्य उन के वक्तव्य को गलत समझते हैं तो गलत सिद्ध करें।

जहां तक विधि आयोग का प्रश्न है, मैं नहीं कह सकता कि क्या किया जा सकता है। मंत्री महोदय को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह किसी बात के सम्बन्ध में क्या कहें और क्या न कहें। उन्हों ने अपने विचार प्रकट कर दिये हैं। यदि माननीय मंत्री की कोई बात गलत हो, तो सभा जानती है कि उसे क्या अधिकार प्राप्त हैं। मैं माननीय सदस्य को कोई राय नहीं दे सकता कि ऐसी अवस्था में क्या किया जा सकता है।

अब मैं सब कटौती प्रस्तावों को सभा के सामने मतदान के लिये रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा मांग संख्या ४६ से ६० और १२३ पर प्रस्तुत किये गये १११ कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय द्वारा गृह-कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
४६	गृह–कार्य मंत्रालय	२,६५,७३,०००
४७	मंत्रि–मंडल	३४,२२,०००
४८	क्षेत्रीय परिषदें	३,३८,०००
४९	न्याय प्रशासन	२,२८,०००
५०	पुलिस	४,९८,१५,०००
५१	जन–गणना	१६,९७,०००
५२	आंकड़े	१,७३,२९,०००
५३	भारतीय राजाओं की नीजि थैलियां व भत्ते	३,८६,०००
५४	दिल्ली	९,९९,०२,०००
५५	हिमाचल प्रदेश	५,३४,३३,०००
५६	अंदमान व निकोबार द्वीप समूह	२,८५,४४,०००
५७	मनीपुर	२,१४,४०,०००
५८	त्रिपुरा	३,४१,५७,०००
५९	लक्कद्वीप, मिनीकोय व अमीनद्वीप द्वीप समूह	१७,२६,०००
६०	गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	१०,६८,८७,००
१२३	गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	७४,२७,०००

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आरंभ करेगी ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अड़तीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिण्डा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

कि यह सभा सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन से, जो १८ मार्च १९५९ को सभा में उपस्थित किया गया था, सहमत है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संक्लपों संबंधी समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन से, जो १८ मार्च १९५९ को सभा में उपस्थित किया गया था, सहमत है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १६५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १६५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री हेम राज :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

वस्तु मूल्य उल्लेखन विधेयक

†**श्री राम शंकर लाल** (घूमरिया गंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वस्तुओं पर उनके मूल्य को दिखाने की व्यवस्था को लागू करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वस्तुओं पर उनके मूल्य को दिखाने की व्यवस्था को लागू करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री राम शंकर लाल** : मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं।

पूर्त तथा धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** (महेन्द्रगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पूर्त तथा धार्मिक न्यास अधिनियम, १६२० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है।

कि पूर्त तथा धार्मिक न्यास अधिनियम, १६२० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

† **श्री राम कृष्ण गुप्त :** मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारण विधेयक

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है।

"कि खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री झूलन सिंह** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

सिख गुरुद्वारा विधेयक

राय जानने की अवधि का बढ़ाया जाना

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (जंजगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"भारत संघ के विभिन्न राज्यों में स्थित सिख गुरुद्वारों के सुसंचालन तथा तत्संबंधी मामलों की जांच का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राय जानने की अवधि को ३० जुलाई, १९५९ तक बढ़ा दिया जाय।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत संघ के विभिन्न राज्यों में स्थित सिख गुरुद्वारों के सुसंचालन तथा तत्संबंधी मामलों की जांच का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राय जानने की अवधि को ३० जुलाई, १९५९ तक बढ़ा दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री उमाचरण पटनायक द्वारा ६ मार्च, १९५९ को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :

"कि शस्त्र, गोलाबारूद और सैनिक सामान संबंधी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयकों श्री महावीर त्यागी, सरदार अ० सिं० सहगल, श्री भक्त दर्शन, श्री नथवानी, श्री पहाड़िया, श्री सूपकार, श्री राधारमण, श्री रघुनाथ सिंह, श्री राम गरीब, श्री अजित सिंह, श्री रघुवीर सहाय, श्री दीन बन्धु परमार, श्री दी० चं० शर्मा, श्री कुट्टिकृष्णन् नायर, श्री तिरुमल राव, श्री इलायापेरूमाल, श्री जगन्नाथ राव, श्री राधाचरण शर्मा, श्री वोडयार, श्री प्र० गं० देव बामरा, श्री केशव, श्री नौशीर भरुचा, श्री सं० चं० सामन्त, श्री प्रमथनाथ बनर्जी, श्री सुगन्धि, श्री हेमबरूआ, श्री मो० ब० ठाकुर, श्रीमती कृष्णा मेहता, श्री अ० मु० तारिक़, शेख मुहम्मद अकबर, श्री कोडियान, श्री वारियर, श्री बैरो, श्री दिनेश सिंह, श्री सुबोध हंसदा, श्री रामेश्वर साहू, श्री म० ल० द्विवेदी, श्री श्रीनारायण दास, रानी मंजुला देवी, डा० सामन्त सिंहार, श्री वै० चं० मलिक, श्री कृष्ण चन्द्र और

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और इसे मई, १६५६ के अन्त तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये ।"

श्री पटनायक अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री उ० च० पटनायक** (गंजम) : विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव पर बोलते हुए मैं ने उन परिस्थितियों का उल्लेख किया था जिनके कारण पुरानी विधि को रद्द करना और नया अधिनियम बनाना आवश्यक हो गया है । इस संबंध में सभा के सम्मुख दो विधेयक हैं । पहिला सरकारी विधेयक और दूसरा वह विधेयक जो मैं ने प्रस्तुत किया है। सरकारी विधेयक बहुत अच्छा है तथापि उसमें कुछ त्रुटियां हैं । जिन्हें मैं ने अपने विधेयक में दूर करने का प्रयत्न किया है । उदाहरणार्थ मैंने शस्त्रों को तीन वर्गों में बांटने का प्रयत्न किया है । उनके अनुसार उनके गैर-कानूनी तरीके से रखने इत्यादि के संबंध में दंड का विधान किया गया है । इसके लिये अपराध प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने का भी सुझाव रखा है । मैं ने इस बात पर भी ध्यान रखा है कि शस्त्रों के मूल्यों में अधिक वृद्धि न होने पाये और भारत में ही आवश्यक मात्रा में हथियार बनें । मैं ने इसमें अनिवार्य सैनिक सेवा का सिद्धांत भी रखा है अर्थात् जिन व्यक्तियों के पास हथियार होंगे या हथियार रखने के लायसेंस होंगे उन्हें आपातकाल में अनिवार्य सैनिक सेवा करनी होगी ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

अतः मैं ने अपने विधेयक में उन सिद्धान्तों को रखने का प्रयत्न किया है जिन से यह विधेयक स्वतन्त्र देशों के तद्विषयक विधेयकों के अनुरूप हो जाय और अवांछनीय व्यक्तियों की किसी प्रकार के शस्त्रास्त्र उपलब्ध न हों साथ ही देश के नागरिकों को सरलता से उक्त अस्त्र प्राप्त हो जायें ।

इस में सन्देह नहीं कि सरकारी विधेयक भी बहुत अच्छा है तथापि उस में कुछ ऐसी बातें हैं जिन में सुधार करने की आवश्यकता है । वे बातें मैं ने अपने विधेयक में शामिल की हैं, मैं विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखता हूं तथापि मैं सरकार से आशा करता हूं कि वह कम से कम इस प्रकार का निर्णय करे कि उस में दोनों बिधेयकों के उपबन्धों पर विचार करने का अवसर मिले ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीदातार)** : इस विधेयक पर चर्चा आरम्भ करने के पूर्व मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि इस विषय पर सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किया जा चुका है । उस पर शीघ्र ही विचार किया जायेगा और उसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जायेगा । मैं सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि प्रवर समिति इस विधेयक के उपबन्धों पर भी विचार करेगी । इस विधेयक में सभी बातों पर विचार किया गया है । सभा की इच्छा थी कि पुराना अधिनियम बहुत पुराना हो चुका है । अतः इस विषय पर एक समेकित विधेयक प्रस्तुत किया जाय । अतः सरकार ने सभा की भावना का आदर करते हुए इस पूरे प्रश्न पर विचार किया, राज्य सरकारों से सलाह ली और एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जो माननीय सदस्य की की राय के अनुसार भी काफी उदार है । अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे इस स्थिति पर विधेयक पर चर्चा करने का आग्रह न करें । प्रवर समिति में इस विधेयक के उपबन्धों पर भी

† मूल अंग्रेजी में

विचार किया जायेगा जिस से हम सभा के सम्मुख एक व्यापकपूर्ण और उदार विधेयक प्रस्तुत कर सकेंगे ।

†**श्री रघुवीर सहाय** (बदायूं) : सरकारी विधेयक विचार के लिये सभा में कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

†**श्री दातार** : हम उसे पुर-स्थापित कर चुके हैं। जैसे ही अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त होगी हम सभा से, इसी सत्र में उस पर चर्चा करने को कहेंगे ।

†**श्री उ० च० पटनायक** : मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि दोनों विधेयक एक ही प्रवर समिति को सौंपे जायेंगे । तथापि मैं यह चाहता हूं कि सरकारी विधेयक प्रस्तुत होने के पहिले सरकार तथा सभा इस संबंध में दिलचस्पी रखने तथा तत्संबंधी ज्ञान रखने वाले सदस्यों को अपने विचार सभा में व्यक्त करने का अवसर प्रदान करे इस से सभा तथा सरकार दोनों को लाभ होगा ।

†**श्री दातार** : इस का लाभ सरकारी विधेयक प्रस्तुत करने के पश्चात् मिल सकता है । क्योंकि तदन्तर जो चर्चा होगी उस में इस विधेयक के संबंध में भी प्रश्न उठाये जा सकते हैं ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** (हमीरपुर) : यदि विधेयक पर चर्चा की स्वीकृति नहीं होती तो इस विषय पर चर्चा नहीं होती । लेकिन जब यह विषय सभा में उठ खड़ा हुआ है तो इस पर चर्चा जारी रहनी चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : स्थिति यह है कि इस विषय में दो प्रकार के मत हैं । कुछ सदस्य चाहते हैं कि इस पर अन्य सदस्यों को भी बोलने दिया जाय । लेकिन जैसा कि मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि सरकारी विधेयक पर विचार करते समय इस विधेयक पर भी चर्चा करने का अवसर दिया जायेगा । हम इस समय चर्चा की अवधि बढ़ा देंगे जिस से सदस्य इस विधेयक पर भी चर्चा कर सकें ।

†**श्री स० च० सामन्त** (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर अग्रेतर चर्चा अनिश्चित तिथि तक के लिये स्थगित कर दी जाये :

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"इस विधेयक पर अग्रेतर चर्चा अनिश्चित तिथि तक के लिये स्थगित कर दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १६०८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये । मैं अपने इस विधेयक को एक बार फिर सदन के सम्मुख विचार के लिये प्रस्तुत कर रहा हूं । जैसा कि मैं ने पहले इस विधेयक के बारे में बताया था, हमारे कोड आफ सिविल प्रोसीड्योर में एक धारा ८७ बी है, जिस के अनुसार एक ऐसा अधिकार हमारे देश के भूतपूर्व शासकों को दिया गया है, जिस से इस देश के नागरिकों को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है । मैं ने सदन के सामने कई उदाहरण रखे थे, जिन से यह साफ जाहिर था कि किस प्रकार से लोगों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है । आज मैं सदन के

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री म० ला० द्विवेदी]

सामने कुछ ऐसी मिसालें रखना चाहता हूं, जिन से यह पता चल जायगा कि वास्तव में इस विधेयक पर फिर से अच्छी तरह गौर करने की जरूरत है। ऐसे अनेकों किस्से हैं, जिन में राजा महाराजा व्यापार में अथवा लेन देन में लगते हैं और नागरिकों के जो अधिकार हैं, वे उन को बरत नहीं पाते हैं। हमारे संविधान में यह दर्ज है कि भारतवर्ष में प्रत्येक नागरिक के अधिकार समान हैं और न्याय की दृष्टि से भी उन को समानता दी गई है। परन्तु एक ऐसी धारा है कि जिस से यह समानता छीन ही नहीं ली गई है बल्कि इस से लोगों के विरुद्ध एक बड़ी भारी हानिकारक बात इस देश में चल रही है। इस से पूर्व कि मैं और बातें बतलाऊं, मैं दो चार उदाहरण देना चाहता हूं। पिछली मर्तबा मैंने जब इस सदन में इस विधेयक को रखा था तो हमारे विधि मंत्री श्री सेन ने कहा था कि आप बताइये कि कहां कहां मुकदमे चलाने की इजाजत नहीं दी गई है और कोई भी ऐसी बात नहीं होगी कि जहां पर इजाजत न दी गई हो। मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि गृह-मंत्रालय को आज भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी को चाहे तो इजाजत दे सकता है और किसी को चाहे तो इजाजत नहीं दे सकता है। इस सम्बन्ध में विधि मंत्रालय की राय मांगी गई थी गृह-मंत्रालय की तरफ से या दूसरी तरह से और पूछा गया था कि इस सम्बन्ध में क्या किया जाना चाहिये। विधि मंत्रालय ने यह कहा था कि सभी केसिस में जहां तक सम्भव हो, इजाजत दी ही जानी चाहिये और इस इजाजत को रोका नहीं जाना चाहिये। विधि मंत्रालय हमारी सरकार का एक विशेषज्ञ विभाग है। उस की राय है कि मुकदमा चलाने की अनुमति दी जानी चाहिये। लेकिन ऐसे उदाहरणों की यहां गिनती नहीं की जा सकती है जिन में इजाजत नहीं दी गई क्योंकि ऐसे बहुत ही मामले हैं। कितने ही मामलों में गृह मंत्रालय की तरफ से इस तरह के मुकदमे चलाने की आज्ञा नहीं दी गई है और सालों के साल गुजर चुके हैं। जितना रुपया लोगों को राजे महाराजाओं से मिलना था, उस का ब्याज भी आज तक लाखों में हो जाता, यदि उस रुपये को किसी अन्य काम में लगाने का अवसर प्राप्त हो गया होता। लेकिन लोगों को रुपया मिलता नहीं है। यह व्यापारिक मामलों का रुपया है। सरकार ने राजे महाराजाओं को जो अधिकार दे रखे हैं, उन के साथ मुझे कोई विरोध नहीं है। जब तक वे हमारे देश के शासक थे, तब तक तो उन को पूरे अधिकार प्राप्त थे और अब भी हम ने उन को एक तो जो उन के शासक होने की हैसियत से अधिकार थे वे उन को दे रखे हैं और साथ ही साथ साधारण नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हैं, उन से कहीं अधिक दूसरे अधिकार भी उन को दे रखे हैं। नागरिक की हैसियत से वे व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, डीलिंग्स करते हैं या अन्य काम करते हैं और साधारण नागरिक की भांति रहते हैं तो फिर क्या कारण है कि हमारे साधारण नागरिकों के विरुद्ध उन को एक ऐसा स्वत्व या अधिकार दिया जाय या उन का यह अधिकार बना रहे जिस से कि दूसरे साधारण नागरिकों के जो अधिकार हैं वे छिन जायें और वे लोग अपनी गाढ़ी कमाई को वापस न पा सकें और न ही न्याय पाने के लिये अदालतों की शरण ले सकें या इस प्रकार की कोई दूसरी कार्यवाही न कर सकें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधि के विधान में तो न्याय है लेकिन विधि मंत्रालय के विधान में न्याय नहीं है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। यदि विधि मंत्रालय इतनी योग्यता रखता है और गृह मंत्रालय को राय दे सकता है तो क्या कारण है कि गृह-मंत्रालय इस राय को नहीं मानता है ? क्यों नहीं सभी मामलों में उदारतापूर्वक नागरिकों को इजाजतें दी जाती हैं जिस से वे अपनी गाढ़ी कमाई का रुपया प्राप्त करने के लिये न्यायालयों की शरण ले सकें, अदालतों में जा सकें।

मैं मानता हूं कि हमारे मंत्री महोदय लोक प्रिय मंत्री हैं। किन्तु वे भी तो सभी मामलों में नहीं जा पाते हैं, सभी मामलों पर विचार नहीं कर पाते हैं। राय तो सचिवालय की तरफ से ही आती है और उस को कितने ही ऐसे मौके मिलते हैं राजे महाराजाओं के साथ काम करने के और राजे महाराजे

इस तरह से वहां से अपना काम निकलवा लेते हैं। उन के पास और भी तरीके होते हैं जिस से वे अपना उल्लू सीधा करवा सकते हैं। मैं यह लाँछन नहीं लगाता कि कर्मचारी भ्रष्टाचार में फंसते हैं, या किसी और बुराई में फंसते हैं। लेकिन मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन से गृह मंत्रालय में प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव के कारण इजाजतें नहीं दी जाती हैं या मनमाने ढ़ंग से इजाजतें दी जाती हैं। जो कोई खुश कर लेता है, उसको तो मुकदा दायर करने की इजाजत मिल जाती है और जो खुश नहीं कर पाता है उस को नहीं मिलती है। जो खुश नहीं कर पाता है उस के मामले साल-दर-साल लकटते रहते हैं और इजाजत नहीं दी जाती है। मैं आपके सामने एक मामला रखना चाहता हूं और वह भीम सेन खोसला का है। कपूरथला के महाराजा ने अपने बांड्स को बेचने के लिये उस के साथ बात चीत की और ये बांड एक लाख २५ हजार के थे और कहा कि तुम इतने रुपये मुझे दे दो और मैं कुछ दिन में कोशिश कर के बांड आप को दे दूंगा। भीम सेन खोसला ने एक लाख २५ हजार रुपया उन्हें दे दिया। इसी प्रकार से महाराजा ने उसे कहा कि जार हजार रुपये के कैश सर्टिफिकेट हैं, वे भी मैं बेचना चाहता हूं, आप रुपया दे दें और उसने दे दिया। महाराजा ने आज तक न तो उस को बांड दिये हैं और न ही कैश सर्टिफिकेट और न ही यह रुपया उसे वापिस किया है। यह सन् १९५४ की बात है। जब इस व्यक्ति ने गृह मंत्रालय को अर्जी दी कि हमको इजाज़त दी जाए कि हम महाराजा के विरुद्ध सिविल प्रोसीडिंग्स दायर कर सकें, न्यायालय में जा सकें, तो मुझे खेदपूर्वक यह कहना पड़ता है कि इजाज़त देने में टालमटोल होती रही और आज तक वह इजाज़त नहीं मिली है। यह उनको कह दिया जाता है कि गृह मन्त्रालय ने इस पर सोच विचार किया है और वह समझता है कि इजाज़त देना मुनासिब नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जब उसका रुपया महाराजा के ऊपर चढ़ा हुआ है, प्रमाण मौजूद है कि रुपया महाराजा ने वापस नहीं किया है तो क्या कारण है कि इजाज़त नहीं दी जाती है न्यायालय में जाने की। उल्टे उन्हें कह दिया जाता है कि समझौता कर लो, इतना रुपया ले लो, बाकी न मांगो और इसी तरह की दूसरी बातें कही जाती हैं। दूसरी तरफ मुझे विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ है कि गृह-मन्त्रालय के लोगों ने प्राइवेट तौर पर महाराजा से कहा कि तुम फिक्र मत करो, परवा मत करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इसका अर्थ यह हुआ कि चूंकि गृह मन्त्रालय के पास इजाजत देने का अधिकार मौजूद है, इसलिए..........

उपाध्यक्ष महोदय : प्राइवेट तौर पर की गई बात आपके पास किस तरह से पहुंच गई ?

†**श्री मो० ब० ठाकुर** (पाटन) : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** घंटी बजाई जा रही है---अब गणपूर्ति है।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि बहुत से ऐसे उदाहरण भी हैं जिन में राजे महाराजों ने व्यापार में रुपया लगाया, बहुत लेन-देन किया और अन्य ऐसे कामों में उन्होंने साधारण नागरिकों का सा व्यवहार किया जिनमें वे पहले नहीं करते थे। जब वे किसी देशी राज्य के शासक थे तब वह राज्य की सर्वोच्च सत्ता थे, इसलिये उनके व्यापार में आने का प्रश्न नहीं आता था, लेकिन अब वह साधारण नागरिक की हैसियत से इस तरह के व्यापारों में पाये जाते हैं। देश में उनको विशेषाधिकार दिये गये थे। दूसरे विशेषाधिकारों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। वे बने रहें, लेकिन जब वे नये किस्म की चीज में प्रवेश करते हैं और एक साधारण नागरिक की तरह से व्यापार में आते हैं तो उनमें और दूसरे नागरिकों में भेदभाव नहीं होना चाहिये। आप जानते हैं कि हमारे राजे महाराजाओं को वे अधिकार दिये गये हैं जो विदेशी राजाओं को प्राप्त हैं। अब आप

†मूल अंग्रेजी में

[श्री म० ला० द्विवेदी]

बताइये कि एक देश का रहने वाला जो भारतवर्ष का नागरिक भी है, उसे विदेशी नागरिक के अधिकार दे दिये जायें तो क्या यह शोभा की बात है। फिर भी मैं केवल एक छोटी सी बात के लिये यहां पर विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं और वह यह कि सिविल प्रीसीजोर कोड की धारा ८७ बी उठा ली जाय। इस में किसी भी व्यक्ति को एक शासक के विरुद्ध, चाहे उसके द्वारा किसी किस्म का अन्याय हुआ हो, मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह धारा उठा ली जाय। एक उदाहरण मैंने आपके सामने रक्खा, दूसरे उदाहरण भी हमारे सामने हैं। एक उदाहरण है जावरा की रियासत का। जावरा के नवाब साहब ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपनी बेगम को दिया। उसमें एक मकान और कुछ और जायदाद थी। जब उनके मरने के बाद उनका लड़का गद्दी पर बैठा तो उसने अपनी मां का मकान और जायदाद छीन ली और अब वह उसको देना नहीं चाहता। कायदे से, कानून के मुताबिक भी वह बेगम साहब ही उसकी हकदार हैं और मालिक हैं। लेकिन चूंकि मुकदमा चलाने का अधिकार किसी नागरिक को प्राप्त नहीं है इसलिये उसकी विधवा मां भी इस बात का कोई उपाय नहीं पा सकती जिससे वह जायदाद उसको मिल जाय। आज उसका पति नहीं है, वह बेवा की हैसियत से है। उसके पास कोई साधन नहीं है कि वह दूसरा मकान बनवा सके और जीवन यापन का दूसरा साधन पा सके। ऐसी उसकी हालत है। अगर रियासत का शासक उसके साथ अन्याय करता है तो गृह मन्त्रालय उसको इजाजत नहीं देता है मुकदमा चलाने की। न उसकी जायदाद ही दिलाता है और न कोई इन्तजाम ही करता है। तो फिर आखिर उसका क्या होगा? इससे यह होगा कि हम अपने नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित रखते हैं जो कि साधारणतया संविधान के द्वारा उनको मिल चुके हैं। यह संविधान की उपेक्षा है और उसी की एक धारा की आड़ में हम अपने नागरिक अधिकार को खत्म कर दें यह हमें शोभा नहीं देता। मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। एक दूसरा किस्सा बिलासपुर के महाराज का है। एक बुढ़िया ने कोई ३० हजार की रकम महाराज बिलासपुर के पास जमा की थी। जब वह नौजवानी में थी, उसका राज था और उसका विश्वास था कि वह उसे मिल जायगी, जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन रियासत खत्म हो गई। अब कहते हैं कि राजा साहब बुढ़िया का रुपया नहीं देना चाहते हैं। वेबा है, बुड्ढी है, चल फिर नहीं सकती है, खाने पीने और जीवनयापन का जरिया नहीं है। राजा साहब देने से इंकार करते हैं, उसके पास इतने साधन नहीं हैं कि वह उस रुपये को प्राप्त कर सके या अपने खाने पीने का प्रबन्ध कर सके। गृह मन्त्रालय की ओर से उसको भी इजाजत नहीं मिल रही है कि वह मुकदमा चला सके और अपनी जायदाद को प्राप्त कर सके। इस किस्म के बहुत से उदाहरण मैं सदन के सामने रख सकता हूं। लेकिन मैं बहुत से उदाहरण रख कर सदन का समय नहीं लेना चाहता। लेकिन सदन इस बात को समझ ले कि वास्तव में जो हमारी शिकायत है वह सच्ची शिकायत है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आज हम कोई बहुत बड़ा अधिकार मांग रहे हैं या कोई बहुत बड़े स्वत्व की मांग कर रहे हैं। आप इस को ठंडे दिल से सोचिये और इस विधेयक को स्वीकार कीजिये। मैं आपकी सूचना में यह लाना चाहता हूं कि इस विधेयक को चलते चलते करीब साल भर हो गया है। इस पर विचार चलता ही रहा है। जबतक विधि मन्त्रालय की राय नहीं थी तब तक हमसे यह कहा गया कि हम इसमें राय नहीं ले पाये हैं, इस पर ठीक तरह से विचार नहीं हो पाया है, और इस कारण वह मुल्तवी होता गया। एक समय किसी और कारण से इस विधेयक पर विचार इस सदन में मुल्तवी हो गया और आज बहुत दिनों के बाद फिर आया है। मैं सोचता था कि हमारे मन्त्री जी इस विषय में काफी सोच विचार कर चुके हैं। लेकिन गृह मंत्रालय के मन्त्री श्री दातार ने बतलाया कि वह अभी इस मामले में तैयार नहीं हैं और वह मेरा बिल अभी देख नहीं पाये हैं। इस कारण वह इस मामले में अभी कुछ नहीं कह सकते। आज हमारे विधि मन्त्रालय के उपमन्त्री कहते हैं कि वे इस बात से राजी हैं और इस बात

को गहराई से और अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन उनके सामने कुछ कठिनाइयां हैं और वे ऐसी हैं कि सेक्रेटेरियेट की तरफ से नोट आ जाता है तैयार होकर, जिसे ब्रीफ कह सकते हैं . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : यह बातें आप क्यों कहते हैं। य उनको ही कहने दीजिये जब उनका समय आये। आप उनकी कठिनाइयों की चर्चा क्यों करते हैं ?

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं इसलिये कह रहा हूं कि सब को पता चल जाय और मैं चाहता हूं कि सदन समझ ले कि असलियत क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह आपको नहीं कहना चाहिये, यह उन्होंने आपको विश्वास में लेकर कहा है।

श्री म० ला० द्विवेदी : उन्होंने तो नहीं कहा है, लेकिन मुझे मालूम हो गया है। वे . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात तो उन्हीं के बारे में है भेद किसी ने भी दिया हो।

श्री म० ला० द्विवेदी : सदन के सदस्यों का कर्तव्य है कि वे भेद की बातें यहां लायें और सरकार को ठीक तरह से चलाने का प्रयत्न करें। यह हमारे स्वत्व की बात है कि हम कहां से पता लगाते हैं और अपने देश की जनता और देश के नागरिकों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में आपको इससे प्रसन्न होना चाहिये, उपाध्यक्ष महोदय। यह कार्य सरकार का है कि वह जांच करे और अगर किसी ने गलती की है तो उसे सजा दे, लेकिन सभी बातों पर टालमटोल करना उचित नहीं है। न्याय की बातों पर हमारी सरकार को जल्दी विचार करना चाहिये क्योंकि हमने इस देश में बार बार कहा है कि हम एक समाजवादी ढांचा स्थापित करना चाहते हैं, हमने बार बार कहा है कि हम नागरिकों को बराबरी के अधिकार देना चाहते हैं। हमने बार बार कहा है कि हम एक ऊंचे किस्म की सत्ता स्थापित करना काहते हैं। मैं यह बात बारम्बार कहना चाहता हूं कि बारम्बार इस विषय को सदन में लाये जाने पर भी, और इस बात का खुलासा होने पर भी इसमें टालमटोल की जा रही है और इस सम्बन्ध में उचित निर्णय नहीं लिया जा रहा है। आज समय आ गया है कि इस पर अच्छी तरह से गौर किया जाय और इस मसले को टाला न जाय। हमें यह विश्वास अगर हो सके कि लोगों को न्याय मिलेगा तो कोई आपत्ति, नहीं जैसा है कानून वैसा ही बना रहे। हमें इस बात पर भी कोई आपत्ति नहीं है कि जो अधिकार गृह मन्त्रालय के पास है जो कि इसको डील करता है, कि इजाजत दी जाय या नहीं, वह उसके पास रहे यदि यह अधिकार कोर्ट के पास पहुंच जाय कि वह परमिशन दे कि मुकदमा दायर किया जा सकता है या नहीं। कोई भी इजलास इसको तय करे तो इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि न्यायालय में जाकर कम से कम न्याय तो हो सकेगा। मुझे इस बात पर आपत्ति नहीं है कि हमारे शासकों के अधिकार बने रहें, क्योंकि बहुत से शासक तो बड़े अच्छे हैं और हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, वह किसी का भी रुपया वापस कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपने इस अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुझे शिकायत उनसे है। सबसे नहीं है। तो आवश्यकता इस बात की है कि यह अधिकार कम से कम न्यायालयों को दे दिया जाय कि जो दुखी आदमी है, जिसका रुपया नहीं मिल सका है अगर वह न्यायालय को अर्जी दे कि उसको मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी जाय तो न्यायालय उस की जांच पड़ताल कर के फैसला करे। मुझे आशा है कि इस प्रकार सबको न्याय मिल सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से अपील करता हूं कि वह इस विधेयक को स्वीकार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो पेश हुआ है, मैं उस का हृदय से स्वागत करता हूं । हम ने निश्चित रूप से इस देश में एक समाजवादी व्यवस्था से सम्बद्ध सरकार स्थापित करने का संकल्प किया है और इस दिशा में यह देश प्रगति भी कर रहा है । जब राजकीय व्यवस्था भंग की गई इस देश में तब कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिन के कारण हम ने राजाओं को कुछ सहूलियतें इस लिये दीं कि वे अनिवार्य लिटिगेशन में न उलझ जायें । विधि मंत्रालय पर इस बात का अधिकार रखा जरूर गया है कि वह यह निर्णय करे कि अब किसी राजा के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई हो सकती है या नहीं । लेकिन इस प्रगतिशील राज्य के अन्दर मैं नहीं समझता कि बहुत अधिक देर तक इस तरह के संरक्षण को कायम रखना चाहिए । इस देश के अन्दर जो भी आदमी रहते हैं उनमें हम किसी किस्म के भेदभाव को बरदाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं । हम चाहते हैं कि चाहे कोई राजा महाराजा हो या कोई इस देश का नागरिक हो सब कानून की दृष्टि में बराबंर होने चाहिएं । इस देश में किसी किस्म के भेदभाव की बात न रहे; इसके लिए जरूरी है कि किसी भी तबके को विशेषाधिकार या विशेष प्रकार के संरक्षण न दिये जायें, कम से कम शहजोर तबके को तो न दिये जायें । अगर कोई कमजोर तबका है तो उसको संरक्षण दिया जा सकता है लेकिन राजे महाराजे तो कमजोर तबके में नहीं हैं । उनकी स्थिति तो हमारे देश के कोटि कोटि मानव समाज से बहुत अच्छी है । ऐसी स्थिति में मैं यह नहीं समझ सकता कि अगर कोई उस तबके में से गलती करे तो वह उसके लिए कोर्ट के सामने क्यों न आवे, ऐसी व्यवस्था हमारे कानून में क्यों हो । जो क्लाज उन्हें यह संरक्षण दे रहा है उस क्लाज को मैं आज के प्रगतिशील देश की स्थिति में अनुपयुक्त और अनावश्यक समझता हूं । हमारे साथी ने सदन के सामने जो वाकयात पेश किये वे हमारे हृदय पर चोट पहुंचाने वाले हैं । विधि मंत्रालय में और और कहीं भी लोग कुंडली मारे बैठे रहें और राजा महाराजाओं को अनावश्यक प्रोटेक्शन दें यह हमारे शासन के ऊपर एक बड़ी कड़ी टीका है । मैं समझता हूं कि शासकों को इस विषय में सजग होना चाहिए कि हमारे सेक्रेटेरियेट के आदमी इस तरह के अनावश्यक प्रोटेक्शन न दें । यह जो विधेयक के रूप में संशोधन पेश किया गया है मैं इसे बहुत मौजूं समझता हूं और इसका समर्थन करता हूं ।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । इसका मुख्य कारण यह है कि इससे हमारे वे वचन भंग होते हैं जो हमने उन ५०० व्यक्तियों को दिये थे जिनके सहयोग के कारण हमें स्वतंत्रता प्राप्ति में सरलता हुई । निसंदेह हम समाजवादी ढांचे का समाज बनाने का दम भरते हैं तथापि अधिकांश हम बातें ही करते रहते हैं और कुछ ठोस कार्य नहीं कर पाते हैं । तथापि मैं यहां राजा लोगों का पक्ष नहीं ले रहा हूं । मेरा मत निसंदेह यह है कि उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने को मिटा दिया । यदि उनका सहयोग प्राप्त न होता तो भारत का स्वतंत्र होना कठिन था । यदि स्वयं सरदार बल्लभभाई पटेल आज जीवित होते तो कदाचित माननीय सदस्य इस प्रकार के विधेयक को पुरःस्थापित करने का साहस नहीं कर सकते थे । मेरे विचार से यह कोई महत्वपूर्ण मामला भी नहीं है मोटे तौर पर यह मामला केवल ५०० व्यक्तियों से सम्बन्ध रखता है निस्संदेह उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिये गये हैं लेकिन यह बात केवल राजाओं पर ही लागू नहीं होती अन्य लोगों को भी हमारे संविधान में विशेषाधिकार दिये गये हैं । मेरे विचार से बहुत से राजा लोग स्वयं इस विशेषाधिकार का उपयोग नहीं करेंगे । वस्तुतः यदि आप समाजवादी प्रकार का समाज बनाना चाहते हैं तो पहिले आप अल्पमत वालों को उनके अधिकार दीजिये । जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

वस्तुतः हम उन लोगों की अवहेलना कर रहे हैं तभी यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, वस्तुतः उन्हें शासक कहना ही गलत है, फिर यह कहा गया कि यह विधेयक उनके निजी सौदों से सम्बन्ध रखता है। भला मेरे माननीय मित्र इन सौदों को निजी किस प्रकार कह सकते हैं जब कि वे संविधि के अन्दर हैं।

हम निजी थैलियों इत्यादि की बातें करते हैं परन्तु हम भूल जाते हैं कि हम स्वयं संसद् सदस्य होने के नाते कुछ विशेषाधिकारों की मांग करते हैं। यदि राजाओं से हम ने कुछ विशेषाधिकारों का वायदा किया है तो कुछ समय के लिए हमें उन्हें यह रियायत देनी ही चाहिए। हमें उदार होना चाहिये और इन ५०० राजाओं को भूल जाना चाहिए लेकिन उनके इन विशेषाधिकारों को रहने दिया जाना चाहिये। जब हम ने एक वचन दिया है तो उसे निभाना चाहिये। इन शब्दों से मैं इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : मैं इस विधान का स्वागत करता हूं, परन्तु मैं इस बात पर जोर दूंगा कि इसे जम्मू और काश्मीर राज्य पर भी लागू किया जाना चाहिए। जब वह भारत का अंग है तो यह भेदभाव क्यों? राजा महाराजाओं को जो विशेषाधिकार थे उसका कारण अंग्रेज सरकार थी। सब रियासतें उसके अधीन थीं। परन्तु अब तो वे रियासतें समाप्त हो गयीं और राजा लोग उसी प्रकार से भारत के सामान्य नागरिक हैं जिस प्रकार की अन्य सामान्य नागरिक हैं; अतः उन्हें सामान्य विधि से मुक्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो यह संविधान के आधारभूत अधिकारों के विरुद्ध होगा। मेरे विचार में इन राजाओं और महाराजाओं के कोई विशेषाधिकार नहीं होने चाहिएं और इन्हें व्यवहार प्रक्रिया संहिता की परिधि से परे नहीं रखा जाना चाहिए।

श्री पद्म देव (चम्बा) : उपाध्यक्ष महोदय, १५ अगस्त, १९४७ को रात के १२ बजे से पहले हिन्दुस्तान के ५६३ राज्य थे। उसके बाद ५६२ राज्य यहां रहे। यह ख्याल करते हुए कि वे भी अपनी परम्परा को कायम रखेंगे, भारत सरकार ने उनको सब प्रकार की सुरक्षा दी, महल, जेब खर्च, जागीरें, वगैरह, वगैरह। उसके लिए मैं समझता हूं कि किसी को भी उस वक्त कोई ज्यादा अफसोस नहीं हुआ था। किन्तु उसके पश्चात हमने अपना कांस्टीट्यूशन बनाया और तब प्रश्न उठा कि जिन लोगों के लिए भारत सरकार के कोष से करोड़ों रुपया जाता है, उनको भी इलैकशन में खड़े होने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं। निश्चय हुआ कि वे भी दूसरे नागरिकों की भांति भारत के नागरिक हैं। अन्य नागरिकों की भांति उनको भी इन सब मामलों में समानता का अधिकार मिला हुआ है। उसके पश्चात हमारे यहां के ५६२ भूतपूर्व राजाओं ने अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए व्यापार में, नौकरियों में तथा दूसरे क्षेत्रों में भाग लेना शुरू किया और राजकीय पुराना ठाठ बाठ सब का सब छोड़ दिया। इसके बारे में मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता हूं लेकिन यही कहना चाहता हूं कि यह बात दुरुस्त ही थी कि जब सब एक ही सतह पर हैं, एक तरह के नागरिक हैं, तो कोई कारण नहीं कि बिना किसी लाइसेंस के अनगिनत शस्त्रास्त्र उनके पास रहें या दूसरी चीज़ें रहें या जागीरों से थोड़ा सा रुपया मिले, इलैकशन लड़ने के लिए देश का उसी तरह से खर्च हो, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन पर विचार होना चाहिए।

मेरे एक माननीय मित्र ने कहा है कि अगर सरदार पटेल होते तो उनके सामने किसी की जुर्रत न होती कि इस किस्म का बिल ला सके। मेरा विश्वास है कि अगर सरदार पटेल जिन्दा होते तो शायद इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें न होतीं और पुराने निशान कभी के मिट गये होते और जो अशान्ति करने वाली और लोगों में असन्तोष पैदा करने वाली बातें हैं, वे भी कभी की खत्म हो गई होतीं। लेकिन वह तो भूत की बात है, आज की नहीं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री पद्म देव]

मुझे अफसोस है कि एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि दुश्मनी की वजह से इस विधेयक को लाया गया है। यह भी कहा गया है कि बेचारे रूलर्स को जीने का अधिकार तो रहना ही चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि यहां जागीरें छीनने का सवाल तो नहीं है। यहां पर तो सवाल यह है कि जब वे साधारण नागरिकों के साथ रहते हैं, कारोबार करते हैं, व्यापार में हिस्सा लेते हैं और अन्य प्रकार का लेनदेन करते हैं तो अगर कल कोई इस तरह की बात हो जाती है कि किसी को पैसा नहीं मिलता या कोई और गलती वे करते हैं, तो उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार तो साधारण नागरिकों को मिलना ही चाहिए। मेरा यह पूरा विश्वास है और न्याय इस बात की मांग भी करता है कि जो देश का कानून है वह तो सब के लिए बराबर ही होना चाहिए। आप चाहें तो राजाओं को जो खर्चा इस वक्त दे रहे हैं, उससे और अधिक दे दें, महल दे दें, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स जो बन रही हैं, या बन गई हैं, उनमें से उनको कोई बिल्डिंग्स दे दें जिन के पास नहीं है, लेकिन जहां तक कानून का ताल्लुक है वह सब के लिए समान होना चाहिए। जब वे लोगों के साथ रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो कोई भूलें, कोई गलतियां भी कर सकते हैं और उन भूलों और गलतियों के लिए जो न्यायालय है वह सब की पहुंच में होना चाहिये, जो चाहे न्यायालय में किसी के विरुद्ध शिकायत ले कर जा सकता है, इसकी इजाज़त होनी चाहिये। हर एक को अपने अपने कष्ट, दुख, तकलीफ हर एक व्यक्ति के विरुद्ध जोकि दोषाधिकारी हो, न्यायालय में ले जाने का पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय माननीय म० ला० द्विवेदी जी ने जो विधेयक यहां प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही सामयिक है, बहुत जरूरी है और देश के हित में है, इसलिए उसे अवश्यमेव स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री जयपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं था कि न्यायालय के सामने सब बराबर न हों। मेरे कहने का मतलब केवल इतना था कि इन लोगों की गिनती कोई ज्यादा नहीं है और जो ज़बान उन को दी गई है, जो अधिकार एक बार दिये गये हैं, उनको हमें कायम रखना चाहिये, अपनी ज़बान पर कायम रहना चाहिए।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक यहां पर रखा गया है, इस पर बहुत ज्यादा वाद विवाद की आवश्यकता मालूम नहीं देती है। मेरे विचार में इस विधेयक का रूप अगर थोड़ा सा बदला हुआ होता, तो वाद विवाद की नौबत ही न आती। मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट इस में कुछ सुधार कर के इस को स्वीकार कर लेगी।

जो धारा ८७(बी) है उस को इस विधेयक की रू से निकाल देने से जो कुछ दिक्कतें होंगी, उन को तो मेरे भाई जयपाल सिंह जी ने आपके सामने रख दिया है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि इस का मतलब दिये गये वादों से पीछे जाना होगा। वादा तो दे दिया गया, वह कब तक चालू रहे यह सोचने की बात अवश्य है। साथ ही साथ जो वादा देने वाला था जब वह जिन्दा था शायद उसी के समय में दफा ८७(बी) भी बनी थी। इस वास्ते जब वह बनी तो खूब समझ बूझ कर ही बनी थी। चन्द सूरतों में ही उन को राहत दी गई थी और यह कहा गया था कि आम तौर पर उन को अदालतों में घसीटा न जाय और जब तक केन्द्रीय सरकार समझ न ले कि उन का अदालतों के सामने जाना जरूरी है जब तक उन को अदालतों में न ले जाया जाय।

माननीय म० ला० द्विवेदी जी ने जो कारण अपने विधेयक को उपस्थित करते समय ब ाये हैं, उस में उन्होंने कहा है कि मूल कारण यह है कि आजकल बहुत से दावे राजाओं के खिलाफ ोग

करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि साधारण नागरिक की हैसियत से अगर कोई राजा तजारत करता है पैसे का लेन देन करता है, ऐसी अवस्था में अगर उसको किसी राजा के खिलाफ दावा करना पड़े, तो बड़ी दिक्कतें पेश आती हैं, रास्ते में बहुत सी रुकावटें पेश आती हैं, इसलिये, जो नियम है, इस को बदल दिया जाना चाहिये और यह जो धारा है, इसको निकाल दिया जाना चाहिये ताकि आम नागरिक की तरफ से किसी राजा महाराजा के खिलाफ दावा हो सके। उन की यह बात तो सही प्रतीत होती है अपनी जगह पर। लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से उनको यह आश्वासन मिला हुआ है कि उन के कुछ प्रिवेलेजिज़ हैं, जिन को छीना नहीं जायगा। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि दफा ८६ के अन्दर यह साफ लिखा हुआ है कि जहां कहीं तजारत की बात हो,वहां पर परमिशन दे दी जायेगी। उसमें कहा गया है कि इन हालात को छोड़ कर बाकियों में परमिशन नहीं दी जायगी। दफा ८६ की सब-क्लाज़ २ के भाग बी के अन्तर्गत कुछ अवस्थाओं में केन्द्रीय सरकार परमिशन दे सकती है।

श्री म० ला० द्विवेदी : नहीं दी जा रही है, यही तो शिकायत है।

श्री सिंहासन सिंह : अगर दी नहीं जा रही है, तो वह देखना तो इस समय केन्द्रीय सरकार का काम है। लेकिन उसे इन हालात में परमिशन देनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जहां पर रूलर्स ने अपने अधिकारों को स्वतः ही छोड़ दिया है प्रकट रूप में या किसी और रूप में, वहां पर तो इजाज़त न मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि जब सारा राज्य उन का चला गया, शासन चला गया, तो इस एक छोटे से अधिकार के लिये वे बहुत ज्यादा लालायित भी नहीं होंगे और समय आयेगा कि वे खुद ही इस अधिकार को भी छोड़ देंगे। यहां पर वे साधारण नागरिक के नाते बैठे हुए हैं, कोई ज्यादा प्रिवेलेज भी उन के नहीं हैं, तो फिर कोर्ट के सामने भी वे कोई प्रिविलेज नहीं चाहेंगे। लेकिन यह थोड़ा सा डर रहता है कि प्रतिशोध की भावना भी आ सकती है और उस के लिये थोड़ा सा प्रोटैक्शन रहना चाहिये और उस प्रोटैक्शन की आड़ में उन को सुविधायें मिली हुई हैं।

मैं समझता हूं कि अगर इस बिल को गवर्नमेंट इस तरह से बदल दे तो यह अच्छा रहेगा। यहां पर जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्ड आया है दफा ८६ सब-क्लाज़ २ के अन्दर, उस की जगह पर कोर्ट कर दिया जाना चाहिये। कोर्ट के सामने डिसक्रिशन हो कि अगर वह समझे कि वह ऐसे मामलो में दावा हो सकता है अदालत के अन्दर और मामला तजारत का है तो वह उस को दायर करने की इजाज़त दे दे। इस का मतलब यह होगा कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट के पास आने में जो दिक्कत होती है, अधिक खर्चा होता है, वह खत्म हो जायगा। अब साधारण नागरिक दावा दाखिल करेगा और साथ ही साथ परमिशन के लिये भी दरख्वास्त देगा और बतायेगा कि दावा इस नेचर का है कि अदालत में जा सकता है, फिर अदालत चाहे तो इस की इजाजत दे दे और चाहे तो न दे। तो दफा ८७बी का क्लाज़ अगर छोड़ दिया जाय और आईंदा के लिये अदालत को यह अधिकार दे दिया जाय, जहां पर कि आपने भूतपूर्व शासकों का सवाल रक्खा है, तो मैं समझता हूं कि ठीक रहेगा। औरों के लिये तो आप ने दफा ८५ और ८६ रक्खा है लेकिन दफा ८७ के द्वारा हम ने अपने पुराने राजाओं को कुछ अधिकार दिया है। तो या तो आप दफा ८७ बी को हटा दें या फिर उस को अमेंड कर दें। जहां पर 'सेन्ट्रल गवर्नमेंट' शब्द आये हैं उन की जगह पर आप 'कोर्ट' कर दें तो कोई हानि नहीं है। ऐसा कर देने से शायद हमारे द्विवेदी जी का मतलब भी हल हो जायेगा और दूसरों की दिक्कतें भी हल हो जायेंगी। हमारे वादे में भी कोई गड़बड़ी नहीं पड़ेगी और वह ज्यों का त्यों सही रास्ते पर चलता रहेगा।

[श्री सिंहासन सिंह]

इन शब्दों के साथ मैं गवर्नमेंट से उम्मीद करूंगा कि वह बिल जल्दी से जल्दी पेश कर दें या इस में ही किसी संशोधन को मान लें ताकि यह चीज हो जाय और हर एक नागरिक समझे कि जहां तक व्यवहार का सम्बन्ध है, उसमें पुराने राजा और वह एक हैसियत के हैं। और बातें कानून में रही आयें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : विचाराधीन विधेयक बड़ा सरल है परन्तु उस में निहित सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है । यदि हमने किसी विशेषाधिकार के बारे में कोई पहले ही आश्वासन दिया है तो उस का पालन अवश्य किया जाना चाहिये । परन्तु संविधान के अनुच्छेद ३६२ के अनुसार किसी भी प्रकार इस प्रकार के वचनबद्ध होने की गुंजायश नहीं है । केवल अनुच्छेद २९१ में गारन्टी की व्यवस्था है । अतः हमें देखना है कि यह विधेयक इन विशेषाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करता । यदि नहीं, तो फिर यह एक ठीक प्रस्थापना ही है । वास्तव में राजा महाराजा स्वयं भी यही चाहेंगे कि उन्हें सब के साथ समानाधिकार ही हो । मैं यही चाहता हूं व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ४८ख नहीं रहनी चाहिये और इस के लिये यह आवयश्यक है कि प्रस्थापित संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये । इस से सरकार का अनुमति देने का भार भी कम होगा और अदालत सामान्य न्याय करने का काम करेगी ।

हम इस देश में समाजवादी समाज, वर्गहीन समाज की रचना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं । उस के लिये हमें किसी भी प्रकार के विशेषाधिकारों की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं । यह हो सकता है कि आवश्यकता अनुसार अदालतें राजाओं को व्यक्तिगत रूप में पेश होने के मामले में छूट दे दें । और किसी अभिकर्ता द्वारा उनका वक्तव्य ले ले। मेरा मत तो यह है कि जो वचन और आश्वासन दिये जा चुके हैं, उन को पूरा करने के बाद हमें अब समानता पर ही जोर देना चाहिये ।

मैं श्री म० ला० द्विवेदी के विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : मैं एक साधारण नागरिक की दृष्टि से इस विधान का परीक्षण करना चाहता हूं । यद्यपि हमारी समाजवादी विचारधारा से यह बात मेल नहीं खाती कि हम विशेषाधिकारों की व्यवस्था रखें, परन्तु संविधान के अनुच्छेद ३६२ के अन्तर्गत कुछ विशेषाधिकार इन राजाओं को प्राप्त हैं । यदि दिये हुए वचन भंग किये जायें तो यह परम्परा उचित नहीं कही जायेगी । यह व्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से चली आ रही है । मेरा विचार है कि दिये हुए वचन को भंग करना अच्छा नहीं । उचित ढंग यह होगा कि हम इन राजाओं से प्रार्थना करें कि वे देश के सामूहिक हितों का ध्यान रखते हुए इन विशेषाधिकारों को स्वयं ही छोड़ दें । मेरी राय में इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिये ।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि कई स्थानों पर विशेषाधिकारों के बिना काम नहीं चलता । जो भी जिस के विशेषाधिकार हैं समय आने पर वह सब स्वयं ही उन्हें वापिस कर देंगे, परन्तु अभी उस के लिये समय नहीं आया । मैं राजा महाराजाओं का वकील नहीं परन्तु इतना कहता हूं कि देश के प्रति उन्होंने अपने व्यवहार से एक अच्छा उदाहरण ही प्रस्तुत किया है ।

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । यह विधेयक उपयुक्त समय पर प्रस्तुत किया गया है । भूतपूर्व नरेशों की स्थिति के बारे में दो प्रश्न उठते हैं । एक प्रश्न तो यह है कि

---

†मूल अंग्रेज़ी में

संविधान के अनुच्छेद १४ के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है, क्या ये नरेश विशेष सुविधा प्राप्त व्यक्ति हैं जोकि अनुच्छेद १४ के क्षेत्र से बरी रहेंगे। दूसरे भारतीय राज्यों के विलयीकरण के समय इन नरेशों से समझौता किया गया था। तो क्या सरकार उन समझौतों को मानेगी? जहां तक कि इन भूतपूर्व नरेशों को विशेष नागरिक मानने की बात है मेरे विचार से ऐसा करना संविधान की भावना के विरुद्ध है। संविधान के अनुच्छेद २९१ में इन भूतपूर्व नरेशों की निजी थैली के अतिरिक्त अन्य सुविधाओं के संबंध में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार अनुच्छेद २९१ अनुच्छेद १४ का विरोधी समझा जायेगा। जब भूतपूर्व नरेश सभी प्रकार की राजनीतिक कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं और वे यह भी आशा करते हैं कि वे देश के किसी भाग पर शासन भी कर सकते हैं तो यह अच्छा है कि उन्हें जो सुविधायें मिली हैं वे उन से वापिस ले ली जायें।

ये विशेष सुविधायें उन्हें १९४६-४७ में दी गई थीं जब कि देश की आंतरिक स्थिति एवं सुरक्षा की स्थिति ठीक नहीं थी। अब यह देखना है कि क्या आजकल भी हमारे यहां वही परिस्थिति है जोकि उन दिनों थी जबकि इन नरेशों को ये विशेष सुविधायें दी गई थीं। यदि सरकार यह समझती है कि परिस्थिति वैसी ही है तो ये विशेष सुविधायें कुछ और वर्षों के लिये दी जा सकती हैं।

किन्तु मेरे विचार से अब समय बदल गया है और इन भूतपूर्व नरेशों के लिये ५॥ करोड़ निजी थैली के लिये रखना ठीक नहीं है और साथ ही इन्हें विशेष सुविधायें देना भी ठीक उपयुक्त नहीं है। आशा है कि सरकार जनता की भावना का आदर करेगी और भारत के इन भूतपूर्व राजाओं को दी जाने वाली विशेष सुविधाओं को बन्द कर देगी।

†**श्री कर्णी सिंह जी** (बीकानेर): जिस समय देशी नरेशों को ये विशेष सुविधायें दी गई थीं उस समय श्री पटेल का उद्देश्य केवल यही था कि विलयीकरण के समय इनके ऊपर आने वाली विपत्तियों अथवा आपत्तियों से इन्हें बचाया जाये। मैं स्वीकार करता हूं कि विधि के सामने सब समान हैं। यदि नरेशों को भी सब के समान दर्जा दिया जाता है तो मैं इस का स्वागत करूंगा। किन्तु इतना निवेदन है कि जो कुछ भी किया जाये वह आगामी निर्वाचनों से पूर्व ही किया जाये ताकि नरेशों में से भी कुछ व्यक्ति लोगों के अधिकारों के लिये लड़ सकें और उन का प्रतिनिधित्व कर सकें।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: हमें उन परिस्थितियों पर विचार करना है जिनके अधीन कुछ क़रार या समझौते किये गये थे और उन्हीं परिस्थितियों के अधीन कुछ करार भी किये गये थे जिनके अनुसार हमें विलयीकरण करना पड़ा। अतः इस प्रश्न पर हमें बिना किसी भावना के वशीभूत होकर विचार करना है और उन समझौतों की पवित्रता को ध्यान में रखना है। स्वतन्त्रता से पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार विदेशी शासकों तथा भारतीय शासकों को कुछ छूट अथवा सुविधाएं मिली हुई थीं। इसके पश्चात् स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद और राज्यों के विलयीकरण के समय यह प्रश्न फिर उठा। उस समय कुछ करार किये गये और ये करार भारत सरकार द्वारा प्रकाशित श्वेतपत्र में देखने को मिल सकेंगे। अतः इन समझौतों के आधार पर हमने इन नरेशों को ज्यों का त्यों बने रहने तथा विलयीकरण से पूर्व उन्हें जो सुविधाएं प्राप्त थीं उन्हें उसी स्थिति में छोड़ने का निश्चय किया। यही कारण है कि विभिन्न समझौतों, और विलयीकरण सम्बन्धी करारों के अधीन भारत सरकार ने विलय करने वाले राज्यों के नरेशों को १५ अगस्त १९४७ को वे सब अधिकार, सुविधाएं, और पद दे दिये जो उन्हें पहले से मिले हुए थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद ३६२ और २९१ का हवाला दिया गया है। अनुच्छेद २९१ में निजी थैली के सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है। किन्तु जहां तक कि समझौतों तथा अन्य दूसरी बातों का सम्बन्ध है वे अनुच्छेद ३६२ के अनुसार हैं। और इस अनुच्छेद का हम सीमित निर्वाचन नहीं कर सकते। अत: ये समझौते तथा करार संविधान के एक अनुच्छेद के अनुसार हैं अत: हमको इनको मानना चाहिये क्यों कि संविधान के इस अनुच्छेद की पवित्रता हम सब ने स्वीकार की है।

एक माननीय सदस्य ने संविधान के अनुच्छेद १४ का उल्लेख किया है और कहा है कि विधि की दृष्टि में सभी प्रजा समान है। इसी प्रकार का एक मामला किसी राज्य के विरुद्ध बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता का खंड ८७ ख संविधान के कई अनुच्छेदों का अतिक्रमण करता है। किन्तु माननीय न्यायाधीशों ने अपने निर्णय में कहा है "कि संहिता का खंड ८७ ख संविधान के अनुसार शक्ति के परे है"। अत: यह मामला भी निपट जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को कोई हानि होती है अथवा उसे कोई कमी होती है। किन्तु इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि इन सब करारों के करने के पश्चात् भारत सरकार ने कुछ सिद्धान्त बनाये हैं और अब उसकी एक दृढ़ नीति है। इन सिद्धान्तों की व्याख्या करने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि जब कभी किसी भूतपूर्व नरेश के विरुद्ध अभियोग चलाने के लिये गृहमंत्रालय से आज्ञा मांगी जाती है तो हम बड़ी सावधानी से उस आवेदन पत्र पर विचार करते हैं तथा विधि मंत्रालय से परामर्श ले लेते हैं।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : सन् १९५४ में श्री खोसला के मामले में जो कपूरथला के महाराजा के विरूद्ध था आज्ञा मांगी गई थी और विधि मंत्रालय ने आज्ञा देने का परामर्श दिया था किन्तु आज्ञा अभी तक नहीं दी गई है।

†**श्री दातार** : ऐसे मामलों में विधि मंत्रालय विशेषरूप से कुछ सिद्धान्तों पर विचार करता है। चूंकि इन शासकों से सब अधिकार छीन लिये गये हैं अत: जनता की भावना यह है कि इनको परेशान किया जाये और इनका शोषण किया जाये। फिर इसके बाद हम यह देखते हैं कि जो दावा किया गया है क्या वह प्रत्यक्षत: ठीक है। इन बातों पर विचार किया जाता है। इसके बाद यह देखा जाता है कि क्या शासक को इसके बारे में कोई आपत्ति है अथवा स्पष्टरूप में कोई गम्भीर आपत्तियां हैं तब विधि मंत्रालय इन सब बातों पर विचार करके हमें यह परामर्श देता है कि भारत सरकार को इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करनी चाहिये।

यदि इस सम्बन्ध में आप आंकड़े देखें तो आपको स्पष्ट हो जायेगा कि भारत सरकार इन मामलों पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करती है। गुणिता के आधार पर इन मामलों के बारे में विचार किया जाता है। और उसके बाद ही आज्ञा दी जाती है अथवा नहीं दी जाती। यह नहीं समझना चाहिये कि वैसे ही आज्ञा नहीं दी जाती।

संविधान के लागू होने से १९५७ के अन्त तक ५२४ मामले आये जिनमें से २३२ मामलों में आज्ञा दी गई। इन मामलों में सरकार ने यह देखा कि प्रत्यक्षत: ये मामले ठीक हैं और वादी को न्यायालय में मामला ले जाने की आज्ञा मिलनी चाहिये। १६९ मामलों में आज्ञा नहीं दी गई। इसका अभिप्राय यह है कि लगभग एक चौथाई मामले या तो तै हो गये अथवा वापस ले लिये गये।

†मूल अंग्रेजी में

प्राय : होता क्या है कि मुकदमे की सूचना देने के पश्चात् हम से आज्ञा देने के लिये कहा जाता है और फिर दोनों पक्ष हमारे पास आते हैं, अधिकतर मामलों में या तो समझौता हो जाता है अथवा वे तै हो जाते हैं। १४ अगस्त १९५७ को केवल २१ ऐसे मामले थे जो विलम्बित थे। इन आंकड़ों को देखने से पता चल जायेगा कि ऐसे मामलों में बड़ी खोजपूर्ण जांच की जाती है और इस बात का पता चल जाता है कि सरकार इस बात की इच्छुक है कि कोई सही मामला इस आधार पर अस्वीकृत न हो जाये कि प्रतिवादी भूतपूर्व नरेश हैं। सारे मामले की अच्छी तरह जांच की जाती है और निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर उनके बारे में विचार किया जाता है और स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिस प्रकार संविधान के अनुसार हमने कुछ मूलभूत अधिकार दिये हैं उसी प्रकार व्यक्तियों की समानता के बारे में कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं। सभी बातों पर विचार किया जाता है और यह प्रयत्न किया जाता है कि किसी प्रकार का अन्याय न हो। इसलिये भारत सरकार इस बात की इच्छुक है कि पूर्ण न्याय हो और उन सभी प्रार्थनापत्रों को जो सदाचार से दूर हैं रद्द कर देती है। मैं यहां भूतपूर्व नरेशों की बात नहीं कर रहा हूं। वे चाहे इससे सहमत हों अथवा न हों। यहां तो उस कानून की बात है जो हमने अपने लिये बनाया है। अत : माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे इस विधेयक के बारे में अधिक आग्रह न करें।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : इस विधेयक के प्रस्तावक ने कहा है कि इन प्रार्थनापत्रों पर निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर विचार नहीं किया जाता बल्कि सचिव कुछ असम्बन्ध बातों के आधार पर इनके बारे में निर्णय कर देते हैं। मैं इस आरोप का विरोध करता हूं। इन प्रार्थनापत्रों के बारे में जो कुछ किया जाता है वह सब कुछ हमारी जानकारी और सहमति के आधार पर किया जाता है तथा प्रत्येक मामले में जो कुछ भी निर्णय किया गया है उसका पूर्ण उत्तरदायित्व मैं लेता हूं।

मैं जानता हूं कि प्रार्थनापत्र पर प्रत्येक पहलू से विचार किया जाता है। सरकार इस बात की इच्छुक रहती है कि कोई भी सही शिकायत को दबाया न जाये और कोई व्यक्ति किसी मामले को यदि न्यायालय तक ले जाना चाहता है तो उसे न्यायालय तक जाने की अनुमति दी जाये ताकि यह कहने का अवसर न रहे कि चूंकि यह मामला भूतपूर्व नरेश के विरूद्ध था अत : उसे न्यायालय तक भी जाने की अनुमति नहीं दी गई। इस बात का भी ध्यान नहीं रखा जाता कि भूतपूर्व नरेश अमुक दल का है अथवा अमुक दल का नहीं है।

इन मामलों में केवल एक बात पर ही ध्यान दिया जाता है कि क्या यह न्यायसंगत हैं कि अमुक मामला न्यायालय में ले जाया जाये अथवा नहीं। हम ऐसे मामलों म आज्ञा नहीं देते जहां कि यह देखते हैं कि कहीं वादी न्यायालय के अधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। किसी नरेश के विरुद्ध प्रार्थनापत्र आने पर वह प्रार्थनापत्र उसके पास भेजा जाता है और उससे विस्तृत उत्तर मांगा जाता है। हम यह देखते हैं कि उत्तर ठीक है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह विधि दायित्व से बचना चाहता हो। यह स्मरणीय है कि हम संविधान के सिद्धान्तों का अधिक से अधिक सम्मान करते है। और जहां कहीं भी उन सिद्धान्तों को लागू करने की आवश्यकता है हम उन्हें लागू करते हैं।

माननीय सदस्य श्री द्विवेदी ने कहा है कि विधि मंत्रालय और गृह मंत्रालय के ढंगों में अन्तर है उसमें विभिन्नता है उनका ऐसा कहना गलत है। विधि मंत्रालय तो उस मामले का विधिक पहलू देखता है जब कि गृह मंत्रालय अन्य बातों पर विचार करता है। निर्णय तो सरकार का है और हम सभी उसके लिये समान रूप से उत्तरदायी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक सुझाव दिया गया है कि किन्य उस सुझाव को लागू करने में आने वाली जटिलताओं पर विचार नहीं किया गया है। श्री द्विवेदी ने उस सुझाव में कहा है कि "केन्द्रीय सरकार" के स्थान पर "न्यायालय" शब्द रख दिया जाये। मान लीजिये कि किसी भूतपूर्व नरेश के विरूद्ध अभियोग चलाने के लिये न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो प्रश्न यह उठता है किस आधार पर उस प्रार्थना पत्र के बारे में निर्णय किया जायेगा। मान लीजिये कि वह दावा ठीक है और वह इस प्रकार का है कि उसके प्रति आज्ञा मिलनी चाहिये तो जैसे ही उसके प्रति आज्ञा दी जाती है दावे के बारे में नि र्णय हो जाता है। तो क्या फिर से उसकी सुनवाई होगी?

हम तो प्राय यही देखते हैं कि वादी ने जो आज्ञा मांगी है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका इरादा उस नरेश की बदनामी करके उससे पैसा छीनने का हो। किन्तु जहां हमें इस बात का आभास हो जाता है कि इस मामले में विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा तो यह हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि ऐसे मामले में उसे आज्ञा नहीं मिलनी चाहिये और हम उसे आज्ञा नहीं देते। चूंकि हम अपने कामों और अपने निर्णयों के लिये संसद् के प्रति उत्तरदायी हैं अत: अपने दायित्व को न्यायालय पर नहीं डालते। यह तो न्यायालय का काम है कि वह उस मामले का निर्णाय उसकी गुणिता के आधार पर करे और वह करती भी ऐसा ही है। अत: यह नया संशोधन तो नरेशों के लिये एक और खार बन जायेगा। इससे भूतपूर्व नरेश की सुरक्षा होना तो दूर रहा वह तो और भी बन्धन में पड़ जायेगा क्योंकि उसे अपने मामले में दो बार पैरवी करनी पड़ेगी। अत: यदि धारा ८७ ख को आप किसी रूप में रखना चाहते हैं तो आपको भूतपूर्व शासकों की सुरक्षा के लिये कोई काम करना होगा।

यह सभी जानते हैं कि धारा ८७ ख विधि का ही एक अंग है। यदि कोई व्यक्ति किसी नरेश के साथ कोई समझौता करता है तो वह केन्द्रीय सरकार से अनुमति प्राप्त किये बिना कोई अभियोग उस पर नहीं चला सकता।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : जब राज्य थे और उस समय उनके शासकों को जो रुपया दिया गया था और उन्होंने वह रुपया वापस नहीं किया तो उस धन के बारे में क्या होगा?

†**श्री हजारनवीस** : सीधी सी बात है। राजा के ऊपर उसके राज्य में कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता था। अब चूंकि संविधान लागू हो गया है और उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय कर दिया है कि संविधान भूतलक्षी नहीं है अत: इसके लागू होने से पूर्व के दायित्वों का कोई प्रश्न नहीं उठता। अतः यह स्पष्ट है कि संविधान के लागू होने के पश्चात् यदि कोई कारबार किसी शासक के साथ किया गया है और उसमें मुकद्दमे बाजी की स्थिति आ गई है और उस मामले को न्यायालय तक ले जाने का अवसर आ गया है तो यह मामला केन्द्रीय सरकार से प्रमाण पत्र लिये बना न्यायालय तक नहीं जा सकता। अत: कोई व्यक्ति यदि कानून को जानते हुए भी ऐसा करता है तो वह इससे होने वाले परिणामों का भागी होगा। अत: ऐसी स्थिति में सरकार ऐसे मामलों में बड़ी जागरुक रहती है कि उन पर भली प्रकार से विचार किया जाये।

हमारा कानून ऐसे उदाहरणों से भी भरा पूरा है जहां कि कुछ व्यक्तियों को बहुत सी सुविधाएं प्राप्त हैं जैसे कि दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी पर केद्रीन्य सरकार अथवा उपयुक्त पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना उस अपराध के लिये कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता जो उसने कार्यरत रहते किया हो। न्यायाधीश न्यायाधीश के पद पर काम करते

†मूल अंग्रेजी में

हुए इस बात से मुक्त हैं अर्थात् उन पर कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्हें विधि के अनुसार विशेष सुविधाएं दी जाती हैं और उनकी सुरक्षा की जाती है तथा उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जातीं। यदि ऐसे कुछ भूतपूर्व नरेश हैं जिन्हें संविधान में दिये गये वचन के अनुसार कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं तो सरकार उन सुविधाओं को उन्हें देना चाहती है और इस प्रकार अपने वचन का पालन करना चाहती है। अतः ऐसी स्थिति में मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह अपना विधेयक वापस ले लें।

श्री म० ला० द्विवेदी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। मुझे खेद है कि दातार साहब उस समय इस सदन में नहीं थे जबकि राज्यों का विलीनीकरण हुआ था। मुझे खेद है कि उन्होंने उन कवेनेन्ट्स और शर्तनामों का उतना अध्ययन नहीं किया है जितना कि मैंने किया है। मैं राज्यों के आन्दोलनों से सम्बन्धित रहा हूं। और सरदार पटेल से भी मेरा निजी सम्बन्ध रहा है, और मैं उन सब बातों से भली भांति परिचित हूं। सरदार पटेल ने राजा महाराजों को जो अधिकार दिये हैं मैं उनका हामी हूं। मैं राजाओं का विरोधी नहीं हूं। मैं समझता हूं कि वे हमारे साथी हैं। उन्होंने देश के लिए अपनी सत्ता दी। किन्तु उस कवेनेन्ट के बाद नई बातें पैदा हुई हैं उन बातों को भी आप सुन लें। हमारा समाज स्थिर समाज नहीं है। वह स्टेटिक नहीं है, वह रिजिड नहीं है। उसमें फ्लैक्सिबिलिटी है। जब कोई नई बातें उत्पन्न होती हैं तो हमें उनके मुताबिक अपने को ढालना पड़ता है। यही कारण है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आपके विरुद्ध दिया तो आपने एक नया कानून बना कर उसको ठीक किया। क्या सदन इस बात का गवाह नहीं है। आज स्थिति यह है हमारे राजा महाराजाओं में से ९० या ९५ प्रतिशत ऐसे अच्छे हैं कि वे अपने व्यवहार में गड़बड़ी नहीं करते, लेकिन जो ५ फीसदी हैं वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और उनके कारण जो निरीह जनता को नुकसान हो रहा है उसकी ओर यह मन्त्रालय ध्यान नहीं दे रहा है। मंत्री महोदय ने कहा कि हमारा मंत्रालय बड़े गौर से इन चीजों को देखता है। उन्होंने बतलाया कि ४०० और कुछ केसेज में से २३२ केसेज तै नहीं किये गये हैं यानी आधे केसेज निपटाये गये हैं। बाकी पड़े हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा था कि २०० केसों में तो फैसला दे दिया गया है कुछ केसेज बाकी हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी: मैं उस पर आ रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय: आप उस पर आ तो रहे थे लेकिन फैसला पहले ही दे दिया कि वे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा था कि पड़े हुए नहीं हैं। बीस पच्चीस बाकी हैं। दूसरों में फैसला दे दिया गया है या आपस में बाहमी फैसला कर लिया गया है।

श्री म० ला० द्विवेदी: मैं यह कह रहा था कि २३२ केसेज में इजाजत दी गयी, १६९ केसेज में इजाजत नहीं दी गयी कुछ केसों में फैसला कराया गया। फैसला कराने के ढंग के बारे में मैंने कहा था कि कम्प्रोमाइज कराने में पार्टीज़ पर दबाव डाला जाता है ताकि उनको रुपया कम दिया जाये। जो डिफाल्टिंग पार्टीज़ हैं उनके पक्ष में या किसी प्रकार से ऐसा समझौता कराने की कोशिश की जाती है कि वह बेचारा मजबूर हो जाता है और सोचता है कि जो कुछ मिल जाये वही बहुत है।

†**श्री दातार:** यह जानकारी एक दम गलत है।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य को पहले सूचना देनी थी। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं मन्त्री महोदय को यह किसी समय बतलाऊंगा। यह सत्य है कि भीमसेन खोसला को यह कहा गया कि तुम इस केस को कम्पाउण्ड कर लो और इतना रुपया मान लो। जो राजा महाराजा ने बात कही थी उसी को मिनिस्ट्री दुहराती थी। अफसोस है कि जो कपूरथला के राजा ने कहा वही मिनिस्ट्री कहती थो और उस आदमी को नुकसान में डालने की कोशिश की गयी। लिहाजा कम्पाउण्ड ठीक नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को मशविरा दूं कि वे किसी चीज़ को इस तरह से लेकर हाउस में इतने जोर से कहें यह ठीक नहीं मालूम देता।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं निष्पक्ष रूप से कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आया आप ही यह फैसला करेंगे कि आप निष्पक्ष रूप से कह रहे हैं। मिनिस्ट्री भी कह रही है कि हम निष्पक्ष रूप से कह रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष रूप से कह रहे हैं। तो कैसे फैसला होगा।

श्री म० ला० द्विवेदी: मैं कहता हूं कि तमाम कागजात सदन पटल पर रखे जायें तो मालूम हो जायेगा कि कौनसी बात ठीक है। अगर सारे कागजात पटल पर रखे जायें तो मालूम हो जायेगा कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। अगर जैसा मैं कहता हूं वैसा न निकला तो मैं अपने शब्दों को वापस ले लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: आप मिनिस्टर साहब के पास चले जायें और कागजात देखने के बाद निर्णय कर लें तब यहां आवें।

श्री म० ला० द्विवेदी: मैं कहता हूं कि श्री दातार ने सारी बातों का अध्ययन नहीं किया है और चूंकि उन्हें उत्तर देना है इसलिये उन्होंने उत्तर दे दिया। मैंने यह नहीं कहा कि हम राजाओं के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। हमारे मित्र सिंहासन सिंह ने भी एक सुझाव दिया। मैंने भी कहा कि आप इस अधिकार को उदारतापूर्वक बरतें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तीन सुझाव दिये उनमें से उन्होंने एक को भी नहीं माना है। और सचिवालय ने उनकी जो ब्रीफ दिया है उससे वे रत्ती भर भी ज्यादा नहीं बोलना चाहते। और जो निर्णय लेने वाले मन्त्री हैं वे यहां हैं नहीं। श्री जयपालसिंह जी आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने मेरे विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने मुझे बतलाया है कि वे पुराने सदस्य हैं। लेकिन मैं तो उन बातों को ठीक समझा नहीं जिनकी ओर उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया। मुझे खेद है कि उन्होंने मेरा पूरा व्याख्यान नहीं सुना और बिना मेरा पूरा भाषण सुने हुए अपना भाषण दिया। अगर वह मेरा पूरा भाषण सुन लेते तो मुझ से सहमत होते। वे मेरे मित्र हैं और हर चीज को सहानुभूतिपूर्वक देखते हैं।

उन्होंने कहा कि आदिवासियों को कुछ स्वत्व मिले हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि उनको वे स्वत्व मिले हुए हैं और मैं तो चाहता हूं कि आदिवासियों को और हरिजनों को अधिक से अधिक अधिकार मिलें क्योंकि वे सदियों से पिछड़े हुये और ठुकराये चले आ रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि उनको बराबर अधिकार मिले रहें जब तक कि वे हमारे बराबर न आ जायें। लेकिन राजा महाराजा तो सम्पन्न लोग हैं। उन्होंने देश के लिए अपने अधिकार छोड़े हैं। इसके लये मैं उनको बधाई देता हूं और उनके त्याग की प्रशंसा करता हूं। और आज वे स्वयं इस तरह के अधिकार को बरतना नहीं चाहते। वे तो उदारता दिखा रहेहैं लेकिन दूसरी तरफ मंत्रालय कवेनेन्टस की आड़ ले रहा है जिनमें रिजिडिटी है। आज हमारे सामाज में स्थिरता नहीं है। हमारा समाज फ्लेक्सिबिल है। हमें नई आवश्यकताओं के अनुसार अपने कानून का निर्माण करना होगा, उसमें सुधार करना होगा।

हमारे विधि उपमंत्री ने कहा कि केस अदालत के सामने दो बार जायेगा यह कहना गलत है मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के पहले परमिशन लेनी पड़ती है फिर अपील चलती है। तो क्या इसके मानी यह हुए कि वह केस अदालत में दो बार चला। मुझे अफ़सोस है कि लॉ का ज्ञान रखते हुए भी वह इतनी सी साधारण बात न कह कर एक ऐसी दलील दे रहे हैं, जो सदन को नहीं जंच सकती।

मुझे हर्ष है कि हमारे मित्र, बीकानेर के नरेश ने, जो कि संसद् के सदस्य हैं, बड़े उदार विचार हमारे सम्मुख रखे हैं। उन्होंने शासक की हैसियत से नहीं, बल्कि जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने विचार रखे हैं। मैं उन विचारों का समर्थक हूं। मैं नहीं चाहता कि हमारे राजा-महाराजाओं के लिए एक दुःखद वातावरण उत्पन्न करने और उन को सताये जाने की बात कही जाये। मैं उस बात का विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि उन को कोई सताये नहीं। इस लिए मैं श्री सिंहासन सिंह के सुझाव को मानने के लिए तैयार था कि जो अधिकार गृह मंत्रालय के पास हैं, वह अधिकार न्यायालय को दे दिया जाय। इस वक्त गृह मंत्रालय एक व्यूरोक्रेसी से गवर्न्ड है। व्यूरोक्रेसी जैसा निर्णय करती है, उस को वह मान लेते हैं। जब हमारे न्यायालय के लोग गृह मंत्रालय से ज्यादा योग्य हैं, जुडिशरी हमारे देश की निर्णायक है, तो फिर यह अधिकार क्यों न उस को दे दें कि आप निर्णय कीजिये कि अमुक मुकदमा होना चाहिए अथवा नहीं। अगर वह कहे कि नहीं होना चाहिए, तो केस को आगे न चलाया जाये और अगर कोर्ट को विश्वास हो जाय कि अमुक केस हैरासमेंट और सताने के लिए नहीं है, बल्कि वह वास्तविक केस है, तब तो वह मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दे। जुडिशरी के ज़रिये वह इजाज़त मिलनी चाहिए। गृह मंत्रालय क्यों यह बोझा अपने ऊपर लादने के लिए तैयार है? संविधान में कहा गया है कि इस सम्बन्ध में सैंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है। तो सैंट्रल गवर्नमेंट एक संशोधन द्वारा कोर्ट को यह अधिकार दे सकती है। धारा ८७-बी में राजा-महाराजाओं को जो सुरक्षा मिली हुई है, वह उन को मिली रहेगी और साथ ही साथ आप जनता के प्रति भी न्याय कर सकेंगे। यह एक ऐसी उचित मांग है कि अगर कोई भी समझदार व्यक्ति इस सदन में होगा, तो वह इस को मानने के लिए तैयार होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जो इस को न मानेंगे, वह गैर-समझदार हैं? यह बात तो नहीं कहनी चाहिए।

श्री म० ला० द्विवेदी : मुझे अधिकार है इस बात के कहने का।

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर दूसरे भी कह सकेंगे।

श्री म० ला० द्विवेदी : कहें। उन्होंने कहा है। कुछ लोगों ने मुझ पर लांछन लगाये हैं बावजूद इस बात के कि बड़े उदार विचारों से प्रेरित हो कर मैं ने इस विधेयक को सदन के सामने रखा है, किसी को नुक्सान पहुंचाने के लिए नहीं। मेरा यह उद्देश्य है कि भारत में और हमारे समाज में न्याय की व्यवस्था कायम हो। मेरे इरादे पर शक करना एक ग़लत बात है, क्योंकि अगर मैं न्याय की व्यवस्था की स्थापना के लिए एक बात कहता हूं, तो उसकी सराहना करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इरादों पर किस ने शक किया है?

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरे मित्र ने कहा है कि सदस्यों के अधिकारों को ज्यादा चाहते हैं। मैं पहला आदमी हूंगा जो उन को छोड़ने के लिए तैयार होगा। मैं चैलेंज करता हूं श्री जयपाल सिंह को कि मैं पार्लियामेंट के तमाम अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार हूं—वह भी आयें और छोड़ें। अधिकारों के इस्तेमाल के लिए वह आगे आ जाते हैं, लेकिन जब लांछन लगाने की बात आ

[श्री म० ला० द्विवेदी]

जाती है, तो समस्त सदस्यों को लांछित करते हैं। हम त्यागी लोग रहे हैं। हम देश के लिए जान कुर्बान कर सकते हैं और इस सदन के सदस्यों को जो छोट मोटे प्रिविलेजिज़ मिले हुए हैं, हम उन को छोड़ सकते हैं। हम को उन का लालच नहीं है। जो चार सौ रुपये सदस्यों को मिलते हैं, हम को उन का मोह नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मगर वह तो किसी से छुड़वाने के हक में नहीं हैं। अब माननीय सदस्य को खत्म करना चाहिए।

श्री म० ला० द्विवेदी : थोड़ा सा और रह गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे तो एक घंटे से ज्यादा एक्सटेंड करने का अधिकार नहीं था। इस बिल को मैं जितना ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सकता था, वह मैं ने दे दिया।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं इस विधेयक के बारे में कोई विशेष बातें नहीं कहना चाहता हूं। एक बात कह कर मैं समाप्त करता हूं।

अभी हमारे दातार जी ने कहा है कि केवल २१ केस ऐसे हैं जिन में इजाज़त नहीं दी गई। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर २१ केस मर्डर के केस होते और उन को पेंडिंग रखा गया होता, तो न्याय का गला घोंट दिया गया होता या नहीं। मान लिया कि सिविल सूट थे, लेकिन वे २१ केस कितने साल से पेंडिंग पड़े हैं, इस का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि मंत्रालय इन बातों पर फिर से गौर करे और जो केसिज़ पड़े हुए हैं, उन को शीघ्र से शीघ्र डिसपोज़ आफ़ करे और उन का फ़ैसला दे। साथ ही साथ जिन मामलों में अन्याय की दुहाई दी जाये, उन पर वह पुनः विचार करे। वह राजाओं से परामर्श करे और अगर वह समझौता करा सकता है, तो अच्छा है, नहीं तो मुकदमा चलाने की इजाज़ दी जाये। झूठे केसिज़ को इजाज़त न दी जाय, मैं इस को मानता हूं, लेकिन यह कहना कि हम सब बातों में बहुत केयरफुल हैं—बहुत सावधानी रखते हैं, कुछ अर्थ नहीं रखता है। मंत्री जी की मैं जानता हूं कि वह बड़े सावधान हैं, लेकिन जहां पांच सौ केसिज़ हों, वहां मंत्री जी का ध्यान पांच सौ केसिज़ की तरफ़ नहीं जा सकता है। जो ब्रीफ़ सैक्रेटेरियट से आता है, जिस तरह से आता है, वह आप जानते हैं। आज हमारे समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर यह न होता, तो ये मुंदड़ा डील और दूसरे डील न होते। अगर मंत्री जी आश्वासन दें कि वह इस बिल पर रीज़नेबल तरीके से विचार करने के लिए तैयार हैं, या इस संशोधन पर विचार करने के लिए तैयार हैं, तो मैं सदन के सामने प्रस्ताव रखता हूं कि इस विधेयक पर विचार तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाये, जब तक कि इस बारे में दूसरा विधेयक न लाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो वह आप से आश्वासन चाहते हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : अगर वह मान लें कि आगे वह इस को मान लेंगे, तो मैं वापस लेने के लिए तैयार हूं। अगर वह अवसर चाहते हैं, तो वह हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर मैं हाउस के सामने रखूं ?

श्री म० ला० द्विवेदी : माननीय मंत्री कोई एशोरेंस दें।

†**श्री दातार :** मैं कह चुका हूं कि इस मामले पर सावधानी से विचार करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि केयरफुली देखा जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर वोट हो जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं ने यह विधेयक सरकारी विधेयक से बहुत पहले रखा था। परन्तु सरकारी विधेयक के पारित किये जाने से पूर्व मुझे पता लगा था कि मैं ने अपने विधयक में जो संशोधन किये हैं वह इस सरकारी विधेयक में किये जा रहे हैं। परन्तु सरकारी विधेयक के पारित हो जाने के बाद मुझे कुछ ऐसा मालूम हुआ कि मेरे संशोधन उसमें नहीं हुए हैं। इसलिए मैं आज अपने विधेयक को प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं ने अपने विधेयक में एक नया अपराध भारतीय रेलवे अधिनियम में रखे जाने की व्यवस्था की है। वह अपराध रेलवे में माल को चुराने का है। रेलवे अधिनियम में इस के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है। केवल भारतीय दण्ड संहिता में ही इस प्रकार का उपबन्ध है। माल के रेलों पर से चोरी हो जाने के कारण ही आज रेलवे की आय कम हो गई है। इसके अतिरिक्त माल के चोरी जाने से रेलों को करोड़ों रुपये प्रतिकर के रूप में देने पड़ते हैं। इसीलिये मैंने रेलों में माल चोरी होने को नया अपराध घोषित कराना उचित समझा और इसके लिए कारावास और जुर्माने की सज़ा की व्यवस्था रखी है। साथ ही एक परन्तुक भी रखा है जिसके अनुसार यदि चोरी करने वाला कोई रेलवे कर्मचारी होगा तो उसको और कठोर दण्ड दिया जायेगा।

सभा जानती है और रेलवे की भ्रष्टाचार समिति ने भी बताया है कि रेलों में चोरी के ८० प्रतिशत मामलों से रेलवे कर्मचारी ही सम्बन्धित रहते हैं। इसीलिए हमें सावधानी से इस मामले पर विचार करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि रेलवे मंत्री इसके सम्बन्ध में उपयुक्त उपबन्ध रखेंगे अथवा मेरा विधेयक स्वीकार कर लेंगे।

दूसरी बात मैंने बिना टिकट यात्रा करने के सम्बन्ध में रखी है। हाल में ही पारित विधेयक में इसके लिए जो दण्ड व्यवस्था रखी है वह बड़ी उदार है। इसको कठोर बनाया जाना चाहिए। आज बिना टिकट यात्रा करने की भावना जनता में बहुत बढ़ती जा रही है ऐसा सरकार ने स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त रेलों से जो प्रतिवेदन मिलते हैं उन से भी पता लग जाता है कि बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि मैंने भी एक रेलवे मजिस्ट्रेट से पूछा था जिसने बताया कि बिना टिकट की यात्रा से सरकार को उसके क्षेत्र से ही १००० रुपय प्रतिदिन की हानि हो रही थी। वह स्वयं रोज बिना टिकट लोगों को पकड़कर इतनी राशि उन से उगा देता है। इसीलिए

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री झूलन सिंह]

मैं ने इस विधेयक में यह व्यवस्था रखी है कि बिना टिकट यात्रा करने वालों से पकड़े जाने पर किराये का २० अथवा ३० प्रतिशत अधिक लेने के साथ साथ इसको दण्ड दिये जाने योग्य अपराध बनाया जाना चाहिए। रेलवे कर्मचारी सर्वदा पहले दर्जे में यात्रा करते हैं। रेलवे का कोट पहनना ही काफी है आराम से यात्रा करने के लिए। इस प्रकार टिकट लेने वाला व्यक्ति कष्ट भोगता है जबकि वह नीचे दर्जे में यात्रा करने के अधिकारी होते हुए ऊंची दर्जे में यात्रा करते हैं। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं अपितु चाहता हूं कि इस प्रकार की बातों को रोकने का उपबन्ध भी रेलवे अधिनियम में रखा जाना चाहिए।

तीसरी बात मैं रेलवे में भीड़भाड़ के बारे में बताना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि भीड़भाड़ का कारण हमारे सीमित संसाधन हैं। हमें इस भीड़भाड़ को अभी बरदाश्त करना ही है। मैं कोई खास इलाज यहां नहीं बता रहा, लेकिन मैंने कुछ सुझाव देने का प्रयत्न किया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अगले दिन अपना भाषण जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २३ मार्च, १९५९ / २ चैत्र, १८८० (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार २० मार्च, १९५९

२९ फाल्गुन, १८८० (शक)

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . ३६६९—९५

तारांकित
प्रश्न संख्या

१४०५	परिवार नियोजन और जन संख्या नियंत्रण	३६६९–७०
१४०६	तार जांच समिति	३६७०–७१
१४०७	केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन	३६७१–७२
१४०८	सौराष्ट्र में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड	३६७२–७३
१४०९	नार्वे से सहायता	३६७३–७४
१४१०	खंड विस्तार समिति	३६७४–७५
१४११	डाक तथा तार विभाग के क्षय रोग से पीड़ित कर्मचारी	३६७५—७७
१४१४	बहु प्रयोजनीय खाद्य	३६७७–७८
१४१५	प्रादेशिक निदेशक (खाद्य), पूर्वी प्रदेश	३६७९–८०
१४१६	इच्छा छेरा नदी में बाढ़	३५८०
१४१८	हीरा कुंद परियोजना	३६८०—८२
१४२०	मछली पकड़ने के जहाज	३६८२–८३
१४२१	सेवा सहकारी समितियां	३६८३—८६
१४२५	भारत-इटली विमान सेवा	३६८६
१४२७	मध्य प्रदेश में धान का क्रय	३६८६—८८
१४२८	डाक तथा तार कर्मचारियों द्वारा वेतन हड़ताल	३६८८—९०
१४२९	आन्ध्र से चावल का समाहार	३६९०—९२
१४३१	मनीपुर के गांवों में बिजली लगाना	३६९२–९३

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

१०	उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण क्षेत्र में इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के 'डकोटा' के साथ दुर्घटना	३३९३—९५

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	३६६५—३७३७

तारांकित
प्रश्न संख्या

१४१२	बिहार में चीनी के सहकारी कारखाने	३६६५–६६
१४१३	चीनी के मूल्य पर नियंत्रण	३६६६
१४१७	टिकटों की छपाई	३६६६
१४१६	सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट रेल का फाटक	३६६६–६७
१४२२	नवद्वीप-शान्तिपुर रेलवे लाइन का बन्द किया जाना	३६६७
१४२३	मनमाड में रेल का ऊपरी पुल	३६६७
१४२४	पंजाब के लिये रासायनिक उर्वरक	३६६८
१४२६	बर्मा से रेल के स्लीपरों का आयात	३६६८
१४३०	रेलवे में सतर्कता विभाग	३६६८–६६
१४३२	पदाल वृक्ष	३६६६
१४३३	रेलों पर भोजन आदि के मूल्य	३६६६
१४३४	उचित मूल्य वाली दुकानों द्वारा गेहूं का संभरण	३७००
१५३५	मनीपुर राज्य परिवहन	३७००
१४३६	मोटर गाड़ियों पर कर लगाने की एकरूप नीति	३७००–०१
१४३७	तूफान एक्सप्रैस	३७०१
१४३८	बम्बई राज्य द्वारा तलकर्षकों (ड्रेजर्स) की मांग	३७०१
१४३६	मैडिकल कालेजों में महिलाओं के लिये रक्षित स्थान	३७०१–०२
१४४०	दिल्ली में आयात किये हुए गेहूं का वितरण	३७०२
१४४१	रेलवे कार्यालय में पटाखे का विस्फोट	३७०२–०३
१४४२	उत्तर प्रदेश में सहकारी चीनी मिलें	३७०३
१४४३	परिवार नियोजन गवेषणा केन्द्र	३७०३
१४४४	मध्यवर्ती पत्तनों का विकास	३७०३–०४

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२१८०	रेलवे के सवारी डिब्बों की खरीद	३७०४
२१८१	रेलवे-स्टेशनों पर खाने के सस्ते पैकेटों की बिक्री	३७०४
२१८२	बहु-प्रयोजनीय और बड़ी सिंचाई परियोजनायें	३७०४–०५
२१८३	रेल के माल डिब्बे तैयार करने वाले कारखाने	३७०५
२१८४	दिल्ली और फुलेरा के बीच जनता गाड़ी	३७०६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२१८५	बम्बई राज्य में गोशालाओं के लिए अनुदान	३७०६
२१८६	बम्बई राज्य के लिये सिंचाई योजनायें	३७०६
२१८७	बम्बई में उचित मूल्य वाली दुकानें	३७०६-०७
२१८८	उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर यात्री-सुविधायें	३७०७-०८
२१८९	मध्य रेलवे में माल-डिब्बों का लादा जाना	३७०८
२१९०	उड़ीसा में स्टेशनों पर बिजली लगाना	३७०८
२१९१	इंजनों का फेल हो जाना	३७०८-०९
२१९२	रेल-मार्ग के नीचे पड़ने वाली खानें	३७०९
२१९३	चिदम्बरम् स्टेशन को नये नमूने का बनाना	३७०९-१०
२१९४	असैनिक हवाई अड्डों पर विशिष्ट व्यक्तियों के लाउंज	३७१०
२१९५	उड़ीसा सरकार द्वारा चावल और धान की खरीद	३७१०-११
२१९६	लक्काद्वीप द्वीप समूह में अन्तरिक्ष विज्ञान संबंधी केन्द्र	३७११
२१९७	बम्बई राज्य के लिये सिंचाई योजनायें	३७११-१२
२१९८	नागपुर के दन्तचिकित्सा कालेज	३७१२
२१९९	रेलवे में अपराध	३७१२
२२००	उत्तर प्रदेश में गेहूं, आटा आदि की कीमतें	३७१२-१३
२२०१	दिल्ली में पुरस्कार वितरण	३७१३
२२०२	दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्र	३७१३
२२०३	मारवाड़ भीमल और भिलडी के बीच गाड़ियां	३७१३-१४
२२०४	उड़ीसा में फलों के उद्यान	३७१४
२२०५	उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण योजनायें	३७१५
२२०६	प्रादेशिक प्रयोगशालायें	३७१५-१६
२२०७	पटसन सम्बन्धी सम्मेलन	३७१६-१७
२२०८	बर्दबान स्टेशन पर ऊपरी पुल	३७१७
२२०९	बेलानगर स्टेशन पर यात्री यातायात	३७१७-१८
२२१०	टेलीफोन एक्सचेंज, बर्दवान	३७१८
२२११	गैर-विभागीय टेलीफोन आपरेटर	३७१९-२०
२२१२	सरकारी क्षेत्र में विद्युत् संयंत्र की स्थापना	३७२०
२२१३	अनाज का तस्कर व्यापार	३७२०
२२१४	त्रिपुरा में चावल और धान का समाहार	३७२०-२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२२१५	रेलवे लाइनों का जीर्णोद्धार	३७२१—२२
२२१६	कोयम्बटूर में खाद्यान्न बिक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही	३७२२
२२१७	गाड़ियों में स्नान करने की सुविधायें	३७२२
२२१८	रेलवे पदाधिकारियों के लिये सैलूनों का रक्षण	३७२२—२३
२२१९	रेलवे प्लेटफार्मों पर वस्तु विक्रेता	३७२३
२२२०	राष्ट्रीय राजपथों पर पुल	३७२३—२४
२२२१	करजात स्टेशन के समीप गाड़ी का पटरी से उतर जाना	३७२४
२२२२	गाड़ियों में स्थानों का रक्षण	३७२५
२२२३	भारत में मोटर गाड़ियों का यातायात	३७२५
२२२४	पंजाब में डाक तथा तार भवन	३७२५
२२२५	मनीपुर में प्रशासकीय यूनिट	३७२६
२२२६	दक्षिण-पूर्व रेलवे पर रेलवे टैक्नीकल कर्मचारी	३७२६
२२२७	रेलवे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार	३७२६—२७
२२२८	रिंग रोड, नई दिल्ली, पर रोशनी की व्यवस्था	३७२७
२२२९	नयी व्यवस्था के अधीन रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति	३७२७
२२३०	गाड़ी निरीक्षक	३७२७—२८
२२३१	"माल-डिब्बों का अधिकाधिक उपयोग" आन्दोलन	३७२८—२९
२२३२	रेलवे चिकित्सा सहायता नियम	३७२९
२२३३	मन्माड स्टेशन	३७२९
२२३४	राज्यों को उर्वरक ऋण	३७२९—३०
२२३५	मद्रास राज्य में क्षय को रोकना	३७३०
२२३६	छोटी सिंचाई योजनायें	३७३०—३१
२२३७	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में कर्मचारी	३७३१
२२३८	गोबर की रेलवे भाड़ा दर में कमी	३७३१—३२
२२३९	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की भर्ती	३७३२
२२४०	गुड़	३७३२
२२४१	वाणिज्यिक विमान-चालकों का प्रशिक्षण	३७३२—३३
२२४२	दक्षिण रेलवे पर ऊपरी पुल	३७३३
२२४३	रेलवे बोर्ड में अनुसूचित जातियों के पदाधिकारी	३७३३
२२४४	रामपल्ली में 'हाल्ट' स्टेशन	३७३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२२४५	बम्बई राज्य के रत्नगिरी जिले में जड़ी-बूटियां . .	३७३४
२२४६	गांधी स्मारक न्यास द्वारा कोढ़-निरोधक कार्य	३७३४
२२४७	अनाज	३७३४
२२४८	हिमाचल प्रदेश में सिंचाई कार्य . . .	३७३५
२२४९	उत्तर रेलवे में आउट-ऐजेंसियां . . .	३७३५
२२५०	उत्तर रेलवे पर स्टेशनों का नव-निर्माण . . .	३७३५
२२५१	अमृतसर-कलकत्ता मेल के साथ भोजन यान . . .	३७३५—३६
२२५२	कानपुर झांसी लाइन पर सवारी गाड़ियां . . .	३७३६
२२५३	व्यापारिक फसलें	३७३६
२२५४	रेलवे स्लीपर	३७३६—३७
२२५५	आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के लिये इस्पात	३७३७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७३८

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ७ मार्च, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २८२।

(दो) दिनांक ७ मार्च, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २८३।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ९ मार्च, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २८९।

(दो) दिनांक ९ मार्च, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २९०।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

विषय पृष्ठ

(तीन) दिनांक ९ मार्च, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २९१, जिसमें चावल तथा धान (केरल) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५९ दिया हुआ है।

(चार) दिनांक १० मार्च, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २९२, जिसमें उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमा पर लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५९ दिया हुआ है।

विधेयक पर राय—सभा-पटल पर रखी गयी. ३७३९

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक पर प्राप्त रायों के पत्र संख्या ४ की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गयी।

मंत्री द्वारा वक्तव्य ३७३९

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) ने जहाज के दूसरे कारखाने के स्थान के बारे में दिनांक १२ मार्च, १९५९ को तारांकित प्रश्न संख्या ११४७ पर श्री सतीश चन्द्र सामन्त द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया।

अनुदानों की मांगें . . . . ३७३९—६५

गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत ३७६५

अड़तीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित . . . . ३७६६—६७

(१) श्री हेम राज का लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५९ (धारा ७३ का संशोधन)।

(२) श्री राम शंकर लाल का वस्तु मूल्य उल्लेखन विधेयक, १९५९।

(३) श्री राम कृष्ण गुप्त का पूर्त तथा धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, १९५९। (धारा ३ और ४ का संशोधन तथा नई धारा ७ क और ७ख का रखा जाना)

(४) श्री झूलन सिंह का खाद्यान्नों का मूल्य-निर्धारण विधेयक, १९५९।

विषय पृष्ठ

विधेयक पर राय जानने के लिये समय का बढ़ाया जाना . . ३७६७

सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक पर राय जानने का समय ३० जुलाई, १९५९ तक बढ़ा दिया गया।

गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक पर वाद-विवाद—स्थगित . . ३७६७—६९

श्री उ०च० पटनायक ने भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपने के लिए ६ मार्च, १९५९ को स्वयं प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर अपना भाषण समाप्त किया। उसके बाद श्री स० चं० सामन्त ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पर वाद विवाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—अस्वीकृत. . . . ३७६९—८७

श्री म० ला० द्विवेदी ने प्रस्ताव किया कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा ८७ख का हटाया जाना) पर विचार किया जाये। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन . . . ३७८७—८८

श्री झूलन सिंह ने प्रस्ताव किया कि भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९५७ (नई धारा ९९क का रखा जाना तथा धारा ११३, ११८ और प्रथम अनुसूची का संशोधन) पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सोमवार, २३ मार्च, १९५९ / २ चैत्र, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि—

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा।